


वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2022-23



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin – 682 025



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, पी.बी. नं. : 2277, पालारिवट्टम पी.ओ.

एरणाकुलम - 682 025

वेबसाइट : www.indianspices.com

संकलन व सम्पादन

श्री नितिन जो

उप निदेशक

श्री टी.पी. प्रत्यूष

उप निदेशक

श्री बिजु डी. षेणाई

सहायक निदेशक

सुश्री रश्मी ई.जी.

फार्म प्रबंधक

सुश्री अनीनामोल पी.एस.

संपादक

तकनीकी सहायता:

श्री आर. जयचंद्रन

ईडीपी सहायक

विषय सूची

कार्यकारी सारांश	04
1. संघटन और प्रकार्य	09
2. प्रशासन	12
3. वित्त और लेखा	18
4. मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और कटाई उपरांत सुधार	20
5. निर्यात विकास और संवर्धन	31
6. व्यापार सूचना सेवा	42
7. प्रचार एवं संवर्धन	48
8. कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप	52
9. गुणवत्ता में सुधार	54
10. निर्यातोन्मुख अनुसंधान	59
11. सूचना प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रक्रमण	63
12. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	64
भविष्य की ओर	65
परिशिष्ट	67
सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2022-23 के खंड	



कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन के लिए एक अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए संचालित गतिविधियों की अगुवाई कर रहा है, ताकि भारतीय मसाला उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र बनने तथा वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में स्वच्छ और मूल्यवर्धित मसालों और शाकों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित होने में मदद मिल सके। बोर्ड ने अपने विकास और प्रचार रणनीतियों के लिए गुणवत्ता और स्वच्छता को आधार बनाया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत ने ₹ 31,761.38 करोड़ (3,952.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 14,04,357 मीट्रिक टन मसाले और मसाला उत्पादों का निर्यात किया। मात्रा में 82 प्रतिशत, मूल्य (आईएनआर) में 131 प्रतिशत और मूल्य (अमेरिकी डॉलर) में 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए भारत के मसालों का निर्यात 2013-14 में ₹ 13,73,539 लाख (2,268 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के 8,17,250 मीट्रिक टन से वर्ष 2022-23 में ₹ 31,76,138 लाख (3,952.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के 14,04,357 मीट्रिक टन तक बढ़ गया। भारत का मसाला क्षेत्र 2013-14 से मात्रा में 6.2 प्रतिशत, मूल्य (आईएनआर) में 9.76 प्रतिशत और मूल्य (अमेरिकी डॉलर) में 6.37 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में भारत से मसालों के निर्यात में मूल्य के रूप के अनुसार 4.74 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान भारतीय मसाला निर्यात बास्केट में 225 मसाले और मसाले उत्पाद शामिल हैं जिनका निर्यात विश्व स्तर पर 180 गंतव्य स्थानों में किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मसाला निर्यात बास्केट के मुख्य योगदानकर्ता मिर्च (33 प्रतिशत), जीरा (13 प्रतिशत), मसाला तेल और तैलीराल (13 प्रतिशत), पुदीना उत्पाद (11 प्रतिशत), हल्दी (5

प्रतिशत), करी पाउडर (4 प्रतिशत), छोटी इलायची (3 प्रतिशत) और कालीमिर्च (2 प्रतिशत) थे, जिन्होंने कुल मिलाकर मसालों के कुल निर्यात आय के 80 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया।

अवधि के दौरान, भारतीय मसालों के प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन (20 प्रतिशत), यूएसए (14 प्रतिशत), बांग्लादेश (7 प्रतिशत), यूई (6 प्रतिशत), थाईलैंड (14 प्रतिशत), इंडोनेशिया (4 प्रतिशत), मलेशिया (4 प्रतिशत), यूके (3 प्रतिशत), श्रीलंका (3 प्रतिशत), जर्मनी (2 प्रतिशत), नीदरलैंड्स (2 प्रतिशत), नेपाल (2 प्रतिशत), और सउदी अरब (2 प्रतिशत) थे जो मसालों के निर्यात आय के 70 प्रतिशत से अधिक योगदान दिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख 11 गंतव्यों में से, सात प्रमुख गंतव्यों में निर्यात में वृद्धि देखी गयी है।

वर्ष 2022-23 में, अन्य बीज में वर्गीकृत हल्दी, धनिया, लहसुन, अजवाइन, सौंफ, सोआ बीज, आदि जैसे कुछ बीजीय मसाले और अन्य मसाले में वर्गीकृत हींग, दालचीनी, और कैसिया जैसे मसालों के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि देखी गयी है। मूल्यवर्धित उत्पादों के मामले में, करी पाउडर/पेस्ट के निर्यात में मात्रा एवं मूल्य दोनों के संदर्भ में वृद्धि हुई।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुरूप, स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) जारी करने के लिए डीजीएफटी द्वारा विकसित सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (ईआरसीएमसी) पर ऑनबोर्डिंग का प्रक्रम शुरू किया। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य व्यापार करने की आसानी के भाग के रूप में विनियामक अनुपालन को रूप देना है और बोर्ड ने ऑनबोर्डिंग शुरू की और अप्रैल 2022 से डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से सीआरईएस जारी करना शुरू की। डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से, 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 1,771 निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) जारी किए गए। वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने कुल 1,968



निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) जारी किए जिनमें 1,774 प्रमाणपत्र व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 194 प्रमाणपत्र विनिर्माता श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

व्यवसाय करने की आसानी के भाग के रूप में, एक अगस्त 2022 से बोर्ड उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा इलायची ब्यौहारी अनुज्ञप्ति और नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए विकसित नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में ऑनबोर्ड किया है। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 131 इलायची ब्यौहारी अनुज्ञप्तियों में से 39 नंबर एनएसडब्ल्यूएस (NSWS) पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए थे।

स्पाइसेस बोर्ड 22 अक्टूबर 2022 को नाशकजीवनाशी और कृत्रिम रंग के लिए प्रयोगशाला में परीक्षित इलायची के लिए एक अलग विपणन चैनल की सुविधा के लिए पायलट आधार पर प्रयोगशाला में परीक्षित इलायची की विशेष ई-नीलामी शुरू की। विशेष ई-नीलामी की शुरुआत नाशकजीवनाशी एमआरएल के अनुरूप में कृत्रिम हरे रंग से मुक्त आईपीएम (अंतर्राष्ट्रीय नाशकजीव प्रबंधन) इलायची के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी थी। विपणि शक्तियों द्वारा संचालित बेहतर मूल्य प्राप्ति सुकर बनाने के अलावा निर्यात विपणि की खोज के लिए अच्छी गुणवत्तावाली इलायची की सोर्सिंग को पहचानना और सुकर बनाना भी उसका उद्देश्य था। इस अभियान से इलायची में जीएपी/आईपीएम/जैविक उत्पादन प्रथाओं को अपनाने में अधिक किसानों को आकर्षित करने की भी उम्मीद है। पणधारियों को या तो बोर्ड के केरल के पुट्टुडी के या तमिलनाडु के बोडिनायकनूर के ईनीलामी केंद्र में क्लाउड आधारित लाइव ईनीलामी सुविधा के माध्यम से विशेष ई-नीलामी में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गयी।

ब्लॉक अवधि 2020-23 के लिए, बोर्ड ने पूरे भारत में 668 इलायची ब्यौहारी लाइसेंस जारी किए थे, जिनमें से 629 लाइसेंस छोटी इलायची के लिए और 39 बड़ी इलायची के लिए थे। पुट्टुडी और बोडिनायकनूर में इलायची (छोटी) के ईनीलामी आयोजित करने के लिए कुल 12 ईनीलामकर्ता लाइसेंस जारी किए गए थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक में इलायची (छोटी) का मैनुअल नीलामी आयोजित करने के लिए चार, और फेक, नागालैंड में इलायची (बड़ी) का मैनुअल नीलामी आयोजित करने के लिए एक मैनुअल नीलामकर्ता लाइसेंस जारी किए गए थे।

अगस्त 2022-जुलाई 2023 की अवधि के दौरान बोर्ड के पुट्टुडी और बोडिनायकनूर नीलामी केंद्रों में आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से कुल 27,843 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बेची गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान छोटी इलायची में 513.68 किलोग्राम/हेक्टेयर और बड़ी इलायची में 285.76 किलोग्राम/हेक्टेयर की उत्पादकता के साथ छोटी एवं बड़ी इलायची का उत्पाद क्रमश 24,463 मीट्रिक टन और 9074 मीट्रिक टन था।

स्पाइसेस बोर्ड ने नागालैंड में बड़ी इलायची की ई-बिक्री के लिए मेसर्स एम जंक्शन के सहयोग से एक पायलट परियोजना शुरू की। इस पायलट परियोजना से बड़ी इलायची के किसानों के लिए आसान विपणन विकल्प लाने की उम्मीद है, जिनमें से अधिकांश उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं और खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे और उत्पादकों को बेहतर कीमत दिलाने में योगदान देंगे।

वर्ष 2022-23 को दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट ₹ 11,550.00 लाख था। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से बोर्ड को अनुदान के लिए ₹ 7,874.50 लाख की राशि, इमदाद के लिए ₹ 2,027.50 लाख, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रावधान के लिए ₹ 849.00 लाख; एससी उपयोजना के प्रावधान के लिए ₹ 349.00 लाख; और जनजातीय उपयोजना के प्रावधान हेतु ₹ 450.00 लाख प्राप्त हुए। बोर्ड ने 2022-23 में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता परीक्षण सेवाओं, नर्सरी से पौध की और अनुसंधान फार्मों के कृषि उत्पाद बिक्री, सदस्यता और विज्ञापन शुल्क, निर्यातकों का पंजीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पावधि जमा पर ब्याज आदि से ₹ 2,661.36 लाख का एक आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधन (आईईबीआर) बनाया। वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड का कुल व्यय ₹ 12,096.58 लाख था।

भारत से मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के दौरान सात घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठकें और तीन अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं। स्पाइसेस बोर्ड, मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रगतिशील पणधारियों को आकर्षित करने, प्रेरित करने और लैस करने के लिए, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें पूरे भारत के प्रतिभागी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने तीन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।



वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने वैश्विक स्तर पर भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 17 घरेलू व्यापार मेलों और सात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया। उत्तर पूर्वी मसाला समुदाय को वैश्विक मसाला बिरादरी के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 30 जून और 01 जुलाई के दौरान गुवाहाटी, असम में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) और मसाले सम्मेलन आयोजित किए गए जिसमें आठ उत्तरपूर्वी राज्यों के किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी थी।

भारत के जी 20 अध्यक्षता के संबंध में, 28-30 मार्च 2023 के दौरान मुंबई, महाराष्ट्र में व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक आयोजित की गई थी और आयोजन स्थान में मसाले, बाजरा, चाय, और कॉफी पर विषय आधारित अनुभव क्षेत्र स्थापित किए गए थे। इस बैठक में, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा मसालों पर प्रस्तुत अनुभव क्षेत्र सौंदर्यपरक डिज़ाइन का था और अतुल्य भारतीय मसालों का एक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए जीवित मसाला पौधे के अतिरिक्त मसाले और मूल्यवर्धित मसाला उत्पाद का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया।

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) का छठा सत्र 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर 2022 को आभासी रूप से आयोजित किया गया था। स्पाइसेस बोर्ड भारत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुसंधान निदेशक डॉ. एम.आर. सुदर्शन ने सत्र की अध्यक्षता की, और इसमें 60 सदस्य देशों, एक सदस्य संगठन (यूरोपीय संघ) और चार अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों (आईजीओ) के प्रेक्षकों और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने भाग लिया। सीसीएससीएच 6 तीन और नए मसालों, अर्थात् मिर्च कालीमिर्च और पैप्रिका, जायफल, और केसर के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसे अपनाने के लिए सीएसी को भेज दिया गया।

स्पाइसेस बोर्ड उत्पाद, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में इलायची (छोटी और बड़ी) के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होने के नाते इलायची क्षेत्र की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए। वर्ष 2022-23 के दौरान, पुनःरोपण/नव रोपण योजना

के कार्यान्वयन के माध्यम से बोर्ड ने 430.85 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 444.90 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनःरोपण में सहायता की। 549.21 हेक्टेयर के क्षेत्र की बड़ी इलायची के पुनरोपण/नव रोपण के लिए भी सहायता दी गई और इमदाद के रूप में ₹ 455.04 लाख की व्यवस्था की गई, जिससे 2338 उत्पादक लाभान्वित हुए। बोर्ड की विभागीय नर्सरियों ने 144,060 इलायची रोपण सामग्री, कालीमिर्च की 193,753 मूल लगाई कतरनें और कालीमिर्च की 15,027 न्यूक्लियस रोपण सामग्री का उत्पादन किया और उत्पादकों को वितरित किया। प्रमाणित नर्सरी योजना के अंतर्गत ₹ 96.37 लाख की वित्तीय सहायता से 174.4 छोटी इलायची इकाइयाँ (8,72,000 रोपण सामग्री) और 226.37 बड़ी इलायची इकाइयाँ (11,31,850 रोपण सामग्री) स्थापित की गई थीं। सिंचाई और भूमि विकास योजना के तहत, कुल 66 जल भंडारण संरचनाओं और 53 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया था और 110 सिंचाई पंप सेट और 15 सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की गई जिससे वर्ष 2022-23 में ₹ 54.19 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 244 किसान लाभान्वित हुए।

फसल कटाई पश्चात गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 71.94 लाख रुपये की कुल इमदाद पर छोटी इलायची के लिए चार उन्नत इलायची उपचार उपकरण और इलायची के लिए चार उन्नत इलायची उपचार उपकरण स्थापित किए गए थे। बड़ी इलायची के उपचार के लिए 15.61 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से 67 संशोधित भट्टी इकाइयों का निर्माण किया गया।

बोर्ड ने ₹ 80.73 लाख की कुल इमदाद पर किसानों के खेतों में बिजली चालित 103 थ्रेशर; ₹ 80.73 लाख की कुल इमदाद पर 459 कालीमिर्च थ्रेशर; ₹ 281.76 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पर 122 हल्दी माप उबलते इकाइयाँ; ₹ 178.34 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पर 204 मसाले पॉलिशिंग इकाइयाँ और ₹ 69.07 लाख रुपये की 322 जायफल/लौंग ड्रायर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की। इसके अलावा, छह पुदिना आसवन इकाइयाँ, 28 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/सर्पिल गुरुत्वाकर्षण विभाजक, और 54 मसालों की वाशिंग मशीनों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई थी, जिसका कुल वित्तीय इमदाद ₹ 50.59 लाख था। गुणवत्ता गैप ब्रिजिंग ग्रूप्स के तहत, मसाला क्षेत्र में 21 किसान समूहों ने फसल कटाई के बाद की विभिन्न मशीनें स्थापित कीं और 130.64



लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिससे 6,441 किसान लाभान्वित हुए।

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹ 30.77 लाख की इमदाद पर 307 उत्पादकों को लाभान्वित करते हुए 307 वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की गईं और ₹ 4.65 लाख की वित्तीय सहायता के साथ अदरक और हल्दी के लिए सात जैविक बीज बैंक स्थापित किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान 235 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत ₹ 16.20 लाख के कुल व्यय के साथ 13,087 कर्मियों को गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण प्रदान किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) और संबंधित उत्पादक क्षेत्रों में अन्य मसालों के लिए 28,550 विस्तार दौरे किए गए और 19,526 समूह बैठकें / अभियान आयोजित किए गए। विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल व्यय 2,098 लाख रुपये था।

छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं जैसे कि कम या अधिक वर्षा, गर्मी, (तापमान) और सापेक्ष आर्द्रता आदि से बचाने के लिए, जिन्हें उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला माना जाता है, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) के सहयोग से केरल के इडुक्की जिले में छोटी इलायची के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, इस योजना के तहत 217 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 325 किसानों को नामांकित किया गया और बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹ 34.54 लाख की सहायता प्रदान की गई।

भारत में अच्छी कृषि प्रथाओं को मजबूत करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने भारत अच्छी कृषि प्रथाओं (IndGAP) में प्रमाणन योजना विकसित की थी, जो प्रमाणन और मान्यता ढांचे के साथ उत्पाद/प्रक्रिया प्रमाणन अपेक्षाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 17065 के अनुसार संरेखित है। मसाला बोर्ड ने "मसालों के इंडगैप प्रमाणीकरण पर पायलट परियोजना" चलाने के लिए क्यूसीआई के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पायलट चरण में क्यूसीआई ने कृषि निर्यात नीति (ईपी) में पहचाने गए विभिन्न समूहों से पांच परियोजनाएँ कार्यान्वित की थीं।

स्पाइसेस बोर्ड के 36 वें स्थापना दिवस मनाते हुए 27 फरवरी, 2023 को मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात के विभिन्न चरणों में अपनाई जाने वाले जोखिम, सुधारात्मक कार्रवाइयों और अच्छी प्रथाओं पर पणधारियों को अवगत कराने के लिए साफ एवं सुरक्षित मसाले पर एक अभियान आयोजित किया गया था। यह सभी पणधारियों और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर, बोर्ड ने यस बैंक लिमिटेड के सहयोग से भारत में मसाला निर्यातकों के उपयोग के लिए मसाला निर्यातकों के लिए प्रमुख योजनाओं पर एक सारसंग्रह शीर्षक से एक पुस्तक संकलित और प्रकाशित की।

स्पाइसेस बोर्ड और केरल कृषि विकास सोसायटी (केएडीएस) पीसीएल ने संयुक्त रूप से तोडुपुष्पा, इडुक्की, केरल में जैविक खेती पर एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्घाटन 29 अप्रैल, 2022 को किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत से मसालों के निर्यात के विकास और प्रचार के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए, जिनमें प्रयोगशाला में परीक्षण की गई इलायची के लिए एक विशेष ई-नीलामी की शुरुआत, क्रेता-विक्रेता बैठकें, उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। व्यापार संवर्धन योजनाओं के तहत पात्र निर्यातकों को विभिन्न घटकों के तहत 90.78 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।

कोच्ची, चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (क्यूईएल) चयनित मसालों की निर्यात परेषणों की विश्लेषणात्मक सेवाएँ और अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करती रहीं। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के अंतर्गत, मसाला पार्क, जोधपुर में जीरा और अन्य बीजीय मसालों के लिए एक बुनियादी जांच सुविधा स्थापित की है जिसका उद्घाटन 20 अप्रैल 2022 को हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रयोगशाला ने एफ्लोटॉक्सिन, अवैध रंग, नाशकजीवनाशी अवशेष, एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) और साल्मोनेला एसपीपी आदि सहित कुल 1,32,806 मापदंडों का विश्लेषण किया।

प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक उन्नयन और मूल्यांकन के माध्यम से भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), मैलाडुम्पारा द्वारा विकसित श्रेष्ठ



गुणवत्ता वाली इलायची क्लोन (एमसीसी 594) आईसीएआर-एनबीपीजीआर, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत है। इस क्लोन को आईसी नंबर 645 601 सौंपा गया है और रोपण फसलों के लिए केरल राज्य वैराइटी रिलीज कमेटी में एक नई किस्म के रूप में प्रस्तावित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। किस्म जारी करने के लिए एक शर्त के रूप में इस क्लोन के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इडुक्की जिले के इलायची क्षेत्र में किसानों के खेत में इस क्लोन के दस बहु-स्थानीय जांच (एमएलटी) किए गए।

छोटी इलायची में संकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दो संकरों को विकसित किया जो इडुक्की जिले के इलायची क्षेत्रों के लिए आशावादी और उपयुक्त थे। विकसित किए गए इन दो संकरों का लगातार चार वर्षों तक मूल्यांकन किया गया और दोनों संकरों को आईसीएआर-एनबीपीजीआर द्वारा अधिसूचित किया गया और क्रमशः आईसी 645599 (एमएचसी-1) और आईसी 645600 (एमएचसी-2) के रूप में आईसी नंबर दिए गए।

सहयोगी परियोजना (आईसीआरआई, स्पाइसेस बोर्ड; रबर बोर्ड और केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय) के आउटपुट के रूप में साइट विशिष्ट उर्वरक संस्तुति के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का एक आदिप्ररूप विकसित किया गया था, जिसका शीर्षक था इलायची क्षेत्र की जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता मूल्यांकन और जलवायु अनुकूल इलायची की खेती के लिए ऐप आधारित उर्वरक संस्तुति को एकीकृत करना। पायलट आधार पर, इडुक्की जिले के दस गांवों में मसाला उत्पादकों के लिए उर्वरक की संस्तुति उपलब्ध होगी। 18,024 पोषक प्राचलों को कवर करते हुए कुल 1,502 मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया और दक्षिण भारत में 554 मसाला किसानों तक मृदा परीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के माध्यम से

सलाहकार सेवाएँ प्रदान की गईं।

राज्य बागवानी मिशन, केरल की वित्तीय सहायता से आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा में नाशकजीवनाशी अवशेषों के विश्लेषण के लिए एक अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, आईसीआरआई द्वारा 30 मोबाइल स्पाइस क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और 515 किसानों को निदानसूचक क्षेत्र दौरों और कृषि सलाहकार सेवाओं के माध्यम से कार्यक्रमों से लाभ हुआ।

मसाला बोर्ड की 92वीं बोर्ड बैठक 26 अप्रैल, 2022 को आईटीसी गोल्डन पैलेस, मैसूर में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

वार्षिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के संबंध में जारी आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग ने राजभाषा नीति कार्यान्वयन को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए अपने प्रयास 2022-23 के दौरान भी जारी रखा।

स्पाइसेस बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रभावी रूप से लागू किया है और वर्ष 2022-23 में इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने स्वतः प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना को उस रूप और तरीके से आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) प्रदर्शित किया है कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ है। वर्ष 2022-23 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 74 आरटीआई आवेदन (भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) और 15 अपील प्राप्त हुए तथा सभी मामलों में निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान कर दी गयी। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की एक सुनवाई हुई।





संघटन और प्रकार्य

अ) स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुड़े मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड का गठन किया, जो 26 फरवरी 1987 से अस्तित्व में आ गया।

आ) स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में

- क) अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी
- ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने होते हैं
- ग) केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि - तीन सदस्य
- वाणिज्य
 - कृषि; एवं
 - वित्त;
- घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि छह सदस्य;
- ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;
- च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;
- छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य
- योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग);
 - भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई;
 - केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूरु;
 - भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिकोड;
- झ) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) सं.जी.एस.आर.157 (ई)

दिनांक 2 फरवरी, 2018 के अनुसार संशोधित।

इ) बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986, के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं:-

क) बोर्ड

- मसालों के निर्यात का विकास, संवर्धन एवं विनियमन करें;
- मसालों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;
- मसालों के निर्यात के संवर्धन के लिए कार्यक्रम व परियोजनाएँ प्रारंभ करें;
- मसालों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, श्रेणीकरण के तकनीक और पैकिंग में सुधार के लिए अनुसंधान व अध्ययन में सहायता दें एवं उसका प्रोत्साहन करें;
- निर्यात के लिए मसालों की कीमतों के स्थिरीकरण के लिए प्रयास करें;
- निर्यातार्थ मसालों के लिए उपायुक्त गुणवत्ता मापमान विकसित करें और गुणवत्ताचिह्नोंकन के माध्यम से गुणवत्ता का प्रमाणन प्रारंभ करें;
- निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;
- निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अनुज्ञप्तियां प्रदान करें;
- यदि निर्यात के संवर्धन के हित में आवश्यक समझे तो किसी मसाले का विपणन करें;
- मसालों के लिए विदेशों में भंडारकरण की सुविधाओं की व्यवस्था करें;
- संकलन एवं प्रकाशन के लिए मसालों के बारे में आंकड़ों का संग्रह करें;
- केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री



केलिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा

xiii) मसालों के आयातनिर्यात संबंधी किसी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह दें।

ख) साथ ही, बोर्ड:-

- इलायची कृषकों के बीच सहकारिता प्रन्यासों को बढ़ावा दें;
- इलायची कृषकों के लिए लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;
- इलायची की खेती और प्रसंस्करण के उन्नत तकनीकों के लिए इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करें;
- इलायची के विक्रय और इलायची की कीमतों के स्थिरीकरण का विनियमन करें;
- इलायची की जाँच तथा उसके श्रेणीमानदण्ड नियत करने में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें;

vi) इलायची के उपभोग में वृद्धि और उस प्रयोजन के लिए प्रचार करें;

vii) इलायची के दलालों (जिनके अंतर्गत नीलामकर्ता हैं) एवं इलायची के कारोबार में लगे व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त करें;

viii) इलायची के विपणन में वृद्धि करें;

ix) कृषकों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से जो विहित किए गए जाए, इलायची उद्योग से संबंधित किसी विषय पर आँकड़ों का संग्रह करें; ऐसे संगृहीत आँकड़ों या उनके भागों या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन भी करें;

x) कर्मचारियों के लिए अधिक अच्छी कार्यकारी दशाओं और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और


xi) वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक अनुसंधान आरंभ करें, उसमें प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

ग) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूचि में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं


1	इलायची	19	कोकम	37	जूनिपर बेरी
2	कालीमिर्च	20	पुदीना	38	बेपत्ता
3	मिर्च	21	सरसों	39	लूवेज
4	अदरक	22	अजमोद	40	मर्जोरम
5	हल्दी	23	अनारदाना	41	जायफल
6	धनिया	24	केसर	42	जावित्री(मेष)
7	जीरा	25	वैनिला	43	तुलसी
8	बडी सौंफ	26	तेजपात	44	खसखस
9	मेथी	27	पीपला	45	ऑलस्पाइस
10	अजवाइन	28	स्टार एनीज़	46	रोज़मेरी
11	सौंफ	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)	47	सेज
12	अजोवन (मसाले का पौधा)	30	महा गलेंजा	48	सेवरी
13	काला जीरा	31	होर्सरैडिश	49	थाइम
14	सोआ	32	केपर	50	ओरगेनो
15	दालचीनी	33	लौंग	51	टेरागन
16	अमलतास (कैसिया)	34	हींग	52	इमली
17	लहसुन	35	कैंबोज		
18	करी पत्ता	36	हिस्सप		

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड का ऑर्गेनोग्राम



स्वीकृत स्टाफ संख्या - 379
वर्तमान स्थिति - 243 (जैसे कि 31-03-2023 को है।)



प्रशासन

अ) प्रशासन

श्री डी. सत्यन आईएफएस ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के रूप में कार्य करना जारी रखा। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डॉ. रमा श्री ए.बी. निदेशक (अनुसंधान) के रूप में बनी रही और उन्होंने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री बी. वेंकटेशन, उप निदेशक (विकास), श्री जिजेश टी. दास, उप निदेशक (ईडीपी) तथा श्री बी.एन.झा, उप निदेशक (विपणन) ने क्रमशः निदेशक (विकास), निदेशक (प्रशासन) तथा निदेशक (विपणन) का कार्यभार ग्रहण किया।

स्पाइसेस बोर्ड ने पहले ही पुनर्गठन प्रस्ताव में स्वीकृत लक्षित कर्मचारियों की संख्या हासिल कर ली है। जैसे कि 31 मार्च, 2023 को है, 379 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 243 है जिसमें 71 ग्रुप क, 82 ग्रुप ख और 90 ग्रुप ग कर्मचारी शामिल हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने 17 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है और पात्र तीन कर्मचारियों को एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है। बोर्ड ने निर्यात संवर्धन राम विकास गतिविधियों के समर्थन के लिए पाँच विपणन सलाहकारों, दो विपणन कार्यपालकों और सात विकास कार्यपालकों को नियुक्त किया है।

बोर्ड ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 110 से अधिक बेरोजगार युवाओं को गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में विश्लेषणात्मक सेवाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुसंधान स्टेशनों में कृषि विस्तार सेवा और लेखा विभाग, प्रचार विभाग तथा पुस्तकालय में शासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त किया है।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए पद-आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि

31 मार्च, 2023 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व. की श्रेणियों में 141 पदाधिकारी (अ.पि.व.81, अ.जा 34 और अ.ज.जा 26) थे। स्पाइसेस बोर्ड के भर्ती विनियम की स्वीकृति लम्बित होने के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई है। मंत्रालय ने पत्र संख्या 5/6/2018 प्लांटडी दिनांक 04.02.2020 के माध्यम से बोर्ड को निदेश दिया है कि जब तक मंत्रालय द्वारा भर्ती नियम को मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक वह कोई भर्ती न करें।

ख) महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2023 को है, बोर्ड की क, ख व ग श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 66 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड की वर्ग क स्तर की एक महिला अधिकारी को महिला कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं की परेशानियाँ/समस्याएं, यदि कोई हों, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।

ग) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया जा है।

घ) दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया है। सरकार के निदेशानुसार बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण भी लागू किया गया है।



ड) मसाला बोर्ड का कार्यात्मक नेटवर्क

बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्ची में स्थित है। बोर्ड के देश भर में कार्यालय हैं जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.), अनुसंधान स्टेशन और मसाला पार्क शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहे

(i) निर्यात संवर्धन कार्यालय

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	पडेरु	आंध्र प्रदेश
2	वारंगल	आंध्र प्रदेश
3	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
4	गुवाहटी	असम
5	पटना	बिहार
6	जगदलपुर	छत्तीसगढ़
7	नई दिल्ली	दिल्ली
8	पोंडा	गोआ
9	अहमदाबाद	गुजरात
10	उँझा	गुजरात
11	उना	हिमाचल प्रदेश
12	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
13	बैंगलूरु	कर्नाटक
14	मुंबई	महाराष्ट्र
15	शिलाँग	मेघालय
16	आइज़ॉल	मिज़ोरम
17	कोरापुट	उड़ीसा
18	जोधपुर	राजस्थान
19	चेन्नई	तमिलनाडु
20	नागरकोविल	तमिलनाडु
21	निज़ामाबाद	तेलंगाना
22	हैदराबाद	तेलंगाना
23	अगरतला	त्रिपुरा
24	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
25	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(i) विकास कार्यालय/फार्म

छोटी इलायची का अनुसंधान व विकास		
क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	अडिमाली	केरल
2	एलप्पारा	केरल
3	कल्येड्डा	केरल
4	कट्टप्पना	केरल
5	कुमली	केरल
6	नेडुंकण्डम	केरल
7	पांपाडुम्पारा	केरल
8	पीरमेड	केरल
9	पुट्टडी	केरल
10	राजाक्काड	केरल
11	राजकुमारी	केरल
12	शांतनपारा	केरल
13	उडुन्पनचोला	केरल
14	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु
15	इरोड	तमिलनाडु
16	बल्लगुंडु	तमिलनाडु
17	आइगूर (फार्म)	कर्नाटक
18	बेलगोला (फार्म)	कर्नाटक
19	बेलिगेरी (फार्म)	कर्नाटक
20	बेड्डामने (फार्म)	कर्नाटक
21	सकलेशपुर	कर्नाटक
22	हावेरी	कर्नाटक
23	कोप्पा	कर्नाटक
24	मडिकेरी	कर्नाटक
25	मुडिगेरे	कर्नाटक
26	शिवमोगा	कर्नाटक
27	सिरसी	कर्नाटक
28	सोमवारपेट	कर्नाटक
29	वनगूर	कर्नाटक
30	येसलूर (फार्म)	कर्नाटक

बड़ी इलायची का अनुसंधान व विकास		
क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
2	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
3	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
4	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
5	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
6	दीमापुर	नागालैंड
7	कोहिमा	नागालैंड
8	गान्तोक	सिक्किम
9	गेयसिंग	सिक्किम
10	जोरथांग	सिक्किम
11	मंगन	सिक्किम
12	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल
13	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल
14	चुराचंदपुर	मणिपुर



(iii) अनुसंधान स्टेशनों

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	मैलाडुंपारा	केरल
2	डोनिगल-सकलेशपुर	कर्नाटक
3	ताडियनकुडिशि	तमिलनाडु
4	तादोंग	सिक्किम

(iv) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	काण्डला	गुजरात
3	कोच्ची	केरल
4	मुम्बई	महाराष्ट्र
5	नरेला	नई दिल्ली
6	चेन्नई	तमिलनाडु
7	तूतिकोरिन	तमिलनाडु
8	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(v) मसाला पार्क

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	पुट्टडी	केरल
3	छिदवाडा	मध्य प्रदेश
4	गुना	मध्य प्रदेश
5	जोधपुर	राजस्थान
6	रामगंज मंडी (कोटा)	राजस्थान
7	शिवगंगा	तमिलनाडु
8	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

च) वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यकलाप

(i) उत्पादों व सेवाओं की अधिप्राप्ति

सुरक्षा, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि सभी आउटसोर्स की गई सेवाएँ, सरकार-बाज़ार, जेम (GeM) के ज़रिए अधिप्राप्त की गईं। कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेखन-सामग्रियाँ आदि जैसे उत्पाद भी जेम के ज़रिए खरीदे गए हैं (कुल खरीद का 80 प्रतिशत से अधिक जेम के ज़रिए किया गया)।

(ii) स्वच्छ भारत मिशन कार्यकलापों का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी कार्यकलाप सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए और फोटो सहित रिपोर्टें मंत्रालय को अग्रेषित की गईं।

(iii) वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड बैठकें

वर्ष के दौरान एक बोर्डबैठक का आयोजन किया, अर्थात् 26 अप्रैल, 2022 को आई टी सी गोल्डन पैलस, मैसूर में 92 वीं बोर्ड बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। वर्तमान बोर्ड की वैधता 27-05-2022 तक ही था और वर्ष 2022-23 के दौरान अगले बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

(iv) बाहरी कार्यालयों का अनुरक्षण

कोच्ची में स्थित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय और देश भर के 82 कार्यालयों, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, विकास कार्यालय, आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), चार अनुसंधान स्टेशन और आठ मसाला पार्क शामिल हैं, का अनुरक्षण किया गया।

(v) राष्ट्रीय महत्ववाले दिनों का मनाया जाना

स्पाइसेस बोर्ड में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के दिन मनाए गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसे निम्नलिखित दिन मनाए गए

क) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

ख) विश्व रक्तदान दिवस

ग) सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह

घ) स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस आदि राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिवस

(vi) कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय

बोर्ड ने कार्यालय में कोविड-19 महामारी के संबंध में मंत्रालय के सभी नियमों और निर्देशों के पालन में, निम्नलिखित उपायों सहित, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी



उपाय सुनिश्चित किए गए

क) कार्यालय परिसर में हाथ सैनिटाइज़ करने की सुविधा।

ख) मुख्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों को सैनिटाइज़र का वितरण।

ग) कार्यालय में कोविड पॉजिटिव मामले पाए जाने पर कार्यालय परिसर को सैनिटाइज़ करना।

घ) आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय वाहनों को सैनिटाइज़ करना।

आ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाने और उनका संचालन करने में बोर्ड की सहायता करने और बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल ऑफिस है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सहमति और अनुमोदन से वर्ष 2022-23 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां

(i) अनुवाद

निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टे) किया गया

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र), निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि
- वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट व लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्टें

- हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर
- सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को स्मृतिचिह्न के लिए सामग्री
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी समारोहों के लिए सामग्रियाँ बैनर, बैकड्रॉप, निमंत्रणकार्ड, कार्यक्रम शीट आदि

(ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमशः 22 जून, 2022 (अप्रैल-जून, 2022), 29 सितंबर, 2022 (जुलाई-सितंबर, 2022), 28 दिसंबर, 2022 (अक्तूबर-दिसंबर, 2022) और 27 मार्च, 2023 (जनवरी-मार्च, 2023) को आयोजित की गईं।

ख) हिन्दी कार्यशाला

बोर्ड के स्टाफ सदस्यों के लिए प्रत्येक तिमाही (12-05-2022, 07-09-2022, 09-11-2022 और 17-02-2023) में नियमित रूप से चार हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और प्रतिभागियों को कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें राजभाषा नीति के साथ-साथ चेकप्वाइंट के प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ राजभाषा नीति को लागू करने के लिए बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

इस दौरान बोर्ड के अधीनस्थ कार्यालयों विशेषकर क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। दिनांक 09 नवंबर, 2022 को आयोजित कार्यशाला में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सभी संबंधितों को उचित जानकारी प्रदान की गई।

ग) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार 'डेली हिन्दी मिलाप' और सरिता व 'वनिता' नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा देना जारी रखा।



घ) राजभाषा निरीक्षण

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने 04 जनवरी 2023 को बोर्ड के मुख्यालय की राजभाषा का निरीक्षण किया। समिति ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बोर्ड द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन किया। बोर्ड के प्रकाशनों की सामग्री एवं नमूनों तथा राजभाषा कार्यान्वयन में किये गये कार्यों की प्रदर्शनी लगायी गयी। निरीक्षण के दिन समिति के माननीय सदस्यों ने स्टॉल पर जाकर प्रदर्शित सामग्रियों को देखा। निरीक्षण/बैठक के दौरान समिति ने राजभाषा नीति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये। समिति द्वारा दिये गये सुझावों एवं समिति को दिये गये आश्वासनों पर कार्यवाही की जा रही है।

ङ) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2022

बोर्ड में 14 सितम्बर, 2022 को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। बोर्ड की ओर से, प्रभारी हिन्दी अधिकारी ने 14 सितम्बर, 2022 को सूरत, गुजरात में आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन में भाग लिया। उसी दिन को पूरे बोर्ड में हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 से 29 सितम्बर, 2022 के दौरान आयोजित हिन्दी पखवाड़ा समारोह में पूरे भारत के अधिकारियों ने भाग लिया। हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2022 के संबंध में स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यह समारोह बोर्ड के अधिकारियों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया के साथ एक शानदार सफलता बन गया।

सितम्बर 2022 के हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/महीने के संबंध में, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी केंद्र सरकार कार्यालयों से हिन्दी में महत्वपूर्ण उद्धरण प्रदर्शित करने वाले कम से कम दस पोस्टर/बैनर/स्टैंडी या दो डिजिटल डिस्प्ले बनाने को कहा। तदनुसार, बोर्ड ने प्रख्यात व्यक्तित्वों के उद्धरण वाले दस पोस्टर तैयार किए और उसे प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किए ताकि बोर्ड के अधिकारी को हिन्दी के प्रति सांविधिक एवं संसदीय दायित्व की याद दिलाई जा सके, अधिकारियों को अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं।

हिन्दी पखवाड़ा 2022 विशेष कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड अपने हिन्दी पखवाड़ा समारोह के हिस्से के रूप में हर साल स्कूली बच्चों और जनता के लिए हिन्दी में विशेष कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने बेंगलुरु शहर और उसके आसपास के स्कूलों के हाई स्कूल के बच्चों के लिए 03 दिसंबर, 2022 को हिन्दी में एक वार्तालाप प्रतियोगिता - 'वार्तालाप' आयोजित की। प्रतियोगिता के लिए 30 से अधिक स्कूलों ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन स्पाइसेस बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, सकलेशपुर के उप निदेशक डॉ. जॉन्सी मनिथोट्टम ने किया। विजेताओं को ट्रॉफी और मसाला उपहार बॉक्स देकर सम्मानित किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा समारोह का समापन समारोह 2 मार्च, 2023 को बोर्ड के मुख्यालय में हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी स्टाफ सदस्यों ने ऑनलाइन भाग लिया। मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को ट्रॉफियां, नकद पुरस्कार/प्रमाण पत्र, कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किया गया सराहनीय कार्य, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार, अनुभागों के लिए राजभाषा रोलिंग/उपविजेता ट्रॉफी, वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा नीति को लागू करने में विशेष प्रयास केली पुरस्कार वितरित की गई। बाहरी कार्यालयों के विजेताओं के प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को डाक द्वारा भेजे गए।

च) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड को कार्यालय में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कोच्ची टोलिक द्वारा स्थापित रोलिंग ट्रॉफी (चौथा स्थान) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 29 जून, 2022 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी), कोच्ची की आवधिक बैठक के दौरान प्रभारी निदेशक (प्रशासन) द्वारा प्राप्त किया गया।

इस अवधि के दौरान, बोर्ड के प्रभारी निदेशक (प्रशासन) और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 09 नवंबर, 2022 को



आयोजित नराकास, कोच्ची की अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया।

काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोच्ची के तत्वावधान में अनुवाद उपकरण से संबंधित तकनीकी कार्यशाला में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने भाग लिया।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 11 जनवरी, 2023 को कोच्ची की तीनों नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य संगठनों के हिंदी कर्मियों के लिए राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार में स्पाइसेस बोर्ड के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं राजभाषा प्रशिक्षु ने भाग लिया।

छ) सेवाकालीन प्रशिक्षण

जुलाई-नवंबर 2022 सत्र तथा जनवरी-मई 2023 सत्र के लिए हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित पारंगत प्रशिक्षण हेतु दो-दो पदाधिकारियों का नामांकन किया गया।

iii) स्पाइस इंडिया (हिन्दी)

बोर्ड की हिंदी मासिक पत्रिका 'स्पाइस इंडिया' के विमोचन

से संबंधित कार्य में सहायता प्रदान की गई।

इ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची डाटा सहित पुस्तकों व पत्रिकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व प्रलेखन इकाई को मजबूत बनाने की प्रक्रिया, नई पुस्तकों व पत्रिकाओं को जोड़कर जारी रखा गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, 138 नई पुस्तकें जोड़ी गईं और करीब 120 पत्रिकाओं के लिए चंदा जारी रखा गया। पुस्तकालय ने किताबें जारी करना तथा वापस लेना, दस्तावेजों व पत्रिकाओं का परिचालन, करंट एवेयरनेस सेवा, दैनिक सूचना सेवाएं, ईसमाचारपत्र पठन और जर्नलों को मुक्त अभिगम्यता और स्पाइसेस समाचार सेवा जैसी नियमित सेवाएं जारी रखीं। विविध संस्थाओं के लगभग 10 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सहित संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गईं। नियमित कार्यकलापों के अलावा जैविक कृषि, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, कालीमिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, पुदीना, बीजीय मसाले, वृक्ष मसाले, तेल व तैलीराल पर सूचना समेकित की गई।





3

वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यक्रमों से अर्जित आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीबार) के जरिए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट 11,550.00 लाख रुपए है। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के लिए 7,874.50 लाख रुपए, वित्तीय सहायता/इमदाद के लिए 2,027.50 लाख रुपए, उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए प्रावधान के रूप में 849.00 लाख रुपए और अनुसूचित जाति उपप्लान के लिए प्रावधान के रूप में 349.00 लाख रुपए और जनजातीय उपप्लान के लिए प्रावधान के रूप में 450.00 लाख रुपए बोर्ड को प्राप्त हुए। बोर्ड ने 2022-23 के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता जांचसेवाओं के विश्लेषण चार्ज, पौधशालाओं से पादपों, अनुसंधान फार्मों के फार्मउत्पादों की बिक्री, चंदा एवं विश्लेषण शुल्क, निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालीन जमा पर ब्याज आदि से 2,661.36 लाख रुपए का आईईबीआर अर्जन किया।

मसाला बोर्ड को मसालों (52 अनुसूचित मसालों और उसके उत्पादों) के निर्यात संवर्धन और इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन और निर्यात के लिए मसालों के गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन का काम सौंपा गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र योजना मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार और इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में निर्यातोन्मुख उत्पादन, निर्यातोन्मुख अनुसंधान, निर्यात विकास और संवर्धन, गुणवत्ता सुधार और मानव संसाधन विकास जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड का कुल व्यय 12,096.58 लाख रुपए था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

लेखा शीर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
निर्यातोन्मुख उत्पादन	4,047.05
निर्यात विकास एवं संवर्धन	2,168.79
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	773.59
गुणवत्ता सुधार	1,039.90
एच आर डी व निर्माणकार्य	66.17
स्थापना	4001.08
कुल	12,096.58

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि आईसीएआर, एएसआईडीई और अन्य से प्राप्त अनुदानों से कुछ चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुदानों एवं किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

कार्यक्रम	प्राप्त अनुदान (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में)
क्षेत्र व्यापी आईपीएम काली मिर्च	2.25	-
आई सी ए आर ए आई सी आर पी एस	11.50	12.85
बेयर परियोजना	-	4.84
एसएचएम केरला परियोजना आईसीआरआई	-	63.51
डब्ल्यूटीओ - एसटीडीएफ	76.23	56.54
डीयूएस जांच केंद्र	-	0.50
पॉलीसल्फेट का आकलन	5.88	-
स्पिनेटोरम का मूल्यांकन	25.96	0.19
ई स्पाइस प्रोजेक्ट आईटी मंत्रालय	-	2.51
कुल	121.82	140.94

(*) व्यय में, पिछले वर्षों में प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग में लाया गया अनुदान शामिल है।



वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



वर्ष 2022-23 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से एक नई वित्तीय लेखा प्रणाली (एफएएस) लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। यह परियोजना बोर्ड की आवश्यकता के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार द्वारा विकसित की गई है। बेहतर डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, असीमित भंडारण क्षमता, कम जनशक्ति हस्तक्षेप, वेब आधारित पहुंच पुराने FAS (iDempiere) की तुलना में महत्वपूर्ण तकनीकी फायदे हैं। नया एफएएस बोर्ड के उपयोगकर्ता को पूरे भारत में यूनिट कार्यालयों तक पहुंच प्रदान करने और दिन-प्रतिदिन के व्यय और प्राप्तियों को रिकॉर्ड करने का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। नए एफएएस में भुगतान गेटवे सिस्टम वास्तविक समय के आधार पर बैंक प्राप्तियों के लेखांकन में मदद करते हैं। स्वीकृत योजनाओं/बजट आवश्यकताओं

के आधार पर प्रत्येक इकाई कार्यालय स्तर पर व्यय सीमाएँ मुख्यालय से आवंटित की जाती हैं। इन सुविधाओं ने वित्त विभाग को बोर्ड के सभी इकाई कार्यालयों से संबंधित बैंक शेष, व्यय, अग्रिम, सब्सिडी भुगतान, आवंटित व्यय सीमा आदि की वर्तमान स्थिति देखने में सक्षम बनाया, जो बदले में बेहतर प्रबंधन नियंत्रण और मुख्यालय से नियमित निगरानी में मदद करता है। नए एफएएस का ट्रायल रन और सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण समय पर पूरा किया गया ताकि 1 अप्रैल 2023 से समयसारणी के अनुसार नए एफएएस को लाइव किया जा सके। अतिरिक्त सुविधाओं का विकास और अन्य विभाग मॉड्यूल के साथ एकीकरण भी एनआईसी द्वारा शुरू किया गया है। स्पाइसेस बोर्ड पर वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2022-23 के अनुच्छेद परिशिष्ट में दिए गए हैं।



मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और कटाई उपरांत सुधार

स्पाइसेस बोर्ड उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के मामले में इलायची (छोटी और बड़ी) के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड निर्यात के लिए गुणवत्ता पूर्ण मसालों के उत्पादन के लिए फसल कटाई के बाद सुधार कार्यक्रम भी लागू कर रहा है। बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फसल कटाई के बाद गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना - "मसालों में निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता में सुधार और इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत योजना" के तहत 'निर्यात उन्मुख उत्पादन' घटक में शामिल किया गया है।

विकास कार्यक्रमों को बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें उसके क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय और फील्ड कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड मसाला उत्पादकों की रोपाई के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय नर्सरी का रखरखाव कर रहा है।

केसर उत्पादन एवं निर्यात विकास एजेंसी (स्पेडा)

स्पाइसेस बोर्ड ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) की स्थापना की है। एसपीईडीए की सह-अध्यक्षता सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बोर्ड ने एसपीईडीए के पुनर्गठन के लिए कदम उठाया है।

मसाला विकास एजेंसियां (एसडीए)

स्पाइसेस बोर्ड ने देश में उगाए जाने वाले मसालों के विकास और विपणन को बढ़ावा देने और मसालों के अनुसंधान, उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता सुधार और निर्यात के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विभिन्न राज्य,

केंद्रीय और संबद्ध एजेंसियों/संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय को सक्षम करने के लिए 11 मसाला विकास एजेंसियों (एसडीए) की स्थापना किया था। 17 सितंबर 2021 से, मंत्रालय के पत्र संख्या 2/21/2020-प्लांट-डी के अनुसार, एसडीए का डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब (डीईएच) योजना में विलय कर दिया गया है जिसकी निगरानी विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा की जाती है।

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन

वर्ष 2022-23 के दौरान 'मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन' घटक के तहत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

अ. इलायची (छोटी)

छोटी इलायची की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में की जाती है। छोटी इलायची के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान छोटी इलायची की खेती का कुल क्षेत्रफल 70,410 हेक्टेयर (हे) और अनुमानित उत्पादन 24,463 मीट्रिक टन था। छोटी इलायची के विकास हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं।

क) पुनःरोपण/नया रोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के उत्पादकों को रोगग्रस्त, पुराने, बूढ़े और अलाभकारी खेती की व्यवस्थित पुनः रोपण के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना और सीमांत उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुनः रोपण/नए रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा छोटी इलायची की खेती के क्षेत्रफल में विस्तार करना है। उत्पादकों को केरल और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹ 1,00,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ₹ 2,10,000/- और



कर्नाटक में प्रति हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹ 75,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ₹ 1,68,000/- की वित्तीय सहायता दी जा रही है जो परियोजना की अवधि के दौरान पुनः रोपण और रखरखाव की लागत के मद में क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है, जिसका भुगतान दो समान वार्षिक किश्तों में किया जाता है। पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची उत्पादक जिनके पास आठ (8) हेक्टेयर तक खेत हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

विकास विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से, 444.90 हेक्टेयर छोटी इलायची की पुनः रोपण के लिए सहायता प्रदान किया है। कार्यक्रम के तहत, वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 430.85 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (जिसमें 2021-22 की दूसरी किस्त के साथ-साथ 2021-22 की पहली किस्त के बैकलॉग का भुगतान भी शामिल है), जिससे 1,232 उत्पादकों को लाभ हुआ।

ख) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण
रोग मुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण बोर्ड की विभागीय नर्सरियों द्वारा किया गया। पाँच विभागीय नर्सरियों में उत्पादित रोपण सामग्री का उत्पादकों को वितरण मामूली दर पर किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र की पाँच विभागीय नर्सरियों से, कुल 1,44,060 इलायची रोपण सामग्री, 1,93,753 जड़ युक्त काली मिर्च की कलमें, और 15,027 काली मिर्च की अंकुरित रोपण सामग्री का उत्पादन, और 765 उत्पादकों को वितरण किया गया।

ग) रोपण सामग्री का उत्पादन

आगामी सीजन के लिए रोग मुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए, किसानों को अपने ही खेत में इलायची की कलम/पौध का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रमाणित नर्सरियों में उत्पादित रोपण सामग्री का उपयोग आवेदकों द्वारा पुनः रोपण/अंतराल भरने में किया जाएगा (50 प्रतिशत से अधिक नहीं) और शेष पड़ोसी/जरूरतमंद किसानों को एक इष्टतम कीमत पर आपूर्ति की जाएगी जो बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत ₹ 25.63 लाख की वित्तीय सहायता से 356 लाभार्थी

किसानों को कवर करते हुए 174.4 इकाइयां (यानी, 8,72,000 रोपण सामग्री) स्थापित की गईं।

घ) सिंचाई एवं भूमि विकास

इलायची के बागानों में गर्मी के महीनों के दौरान सिंचाई अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेत तालाबों, टैंकों, कुओं, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, सिंचाई उपकरणों की स्थापना और मिट्टी संरक्षण कार्य जैसी सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करके जल संसाधनों को बढ़ाकर इलायची के बागानों में सिंचाई को बढ़ावा देना है। बोर्ड यह कार्यक्रम केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में लागू कर रहा है।

(i) भण्डारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भूमि का भू स्वामित्व हैं वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक निर्माण यानी खेत तालाब/कुओं/भण्डारण टैंक तक सीमित है। कार्यक्रम के तहत अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000/- और एससी/एसटी वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 45,000/- जो भी कम हो दी जाती है।

(ii) सिंचाई उपकरणों की स्थापना

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व है, वे सिंचाई पंपिंग सेट/गुरुत्व सिंचाई उपकरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के मामले में, 0.40 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर भूमि के भू स्वामित्व वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रस्तावित सहायता का पैमाना इस प्रकार है, सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या गुरुत्व सिंचाई के लिए ₹ 5,000/-; सिंचाई पंप सेट के लिए ₹ 15,000/-; स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए ₹ 32,000/- जो भी कम हो और एससी/एसटी वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या गुरुत्व सिंचाई के लिए ₹ 11,250/-; सिंचाई पंप सेट के लिए ₹ 45,000/-; स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए ₹ 95,000/- जो भी कम हो, दी जाती है।



(iii) वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भूमि का भू स्वामित्व है वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ लिया है, वह दोबारा लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। 200 घनमीटर क्षमता की टंकी का निर्माण हेतु वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत, ₹18,000/- तक सीमित और एससी/एसटी वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, ₹40,000/- तक सीमित, जो भी कम हो, की दर से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 60 जल भंडारण संरचनाओं और 34 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 54 सिंचाई पंप सेट और 15 सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की गईं, जिसके लिए 163 किसानों को ₹ 36.38 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

आ. पूर्वोत्तर के लिए विकास कार्यक्रम

इलायची (बड़ी)

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के उप-हिमालयी इलाकों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में वर्ष 2022-23 के दौरान बड़ी इलायची का कुल क्षेत्रफल 26,617 हेक्टेयर और अनुमानित उत्पादन 6,222 मीट्रिक टन था। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में वर्ष 2022-23 में बड़ी इलायची उगाने वाला कुल क्षेत्रफल 18,778 हेक्टेयर और उत्पादन 2,851 मीट्रिक टन था। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, बूढ़े, पुराने और अलाभकारी पौधों की उपस्थिति और झुलसा रोग की घटनाएँ बड़ी इलायची उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड बड़ी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है।

क) बड़ी इलायची पुनःरोपण/नया रोपण

बड़ी इलायची समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित तरीके से पुनः रोपण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अधिक निवेश की आवश्यकता के कारण इलायची किसानों के लिए पुनः रोपण/नए रोपण की लागत को पूरा कर पाना मुश्किल होता है। यह कार्यक्रम गैर-पारंपरिक

क्षेत्रों में नए रोपण और पारंपरिक क्षेत्रों में पुनरोपण के साथ-साथ कार्यक्रम की अवधि (प्रथम और द्वितीय वर्ष) के दौरान रखरखाव की लागत के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 33.33 प्रतिशत और एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसे अधिकतम क्रमशः ₹33,600/- और ₹75,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से, दो समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विकास विंग ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया और 549.21 हेक्टेयर भूमि में बड़ी इलायची के पुनरोपण/नए रोपण के लिए (जिसमें बैकलॉग मामले यानी 2021-22 की पहली किस्त और 2021-22 की दूसरी किस्त भी शामिल है) सहायता प्रदान की और वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 455.04 लाख की व्यवस्था की गई, जिससे 2338 उत्पादक लाभान्वित हुए।

ख) रोपण सामग्री का उत्पादन

आगामी सीजन के लिए रोग मुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए, किसानों को अपने ही खेत में इलायची की कलम का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत ₹ 70.74 लाख की वित्तीय सहायता से 579 लाभार्थी किसानों को कवर करते हुए 226.37 इकाइयाँ (यानी, 11,31,850 रोपण सामग्री) स्थापित की गईं।

ग) सिंचाई एवं भूमि विकास

बड़ी इलायची मुख्यतः वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है। जलवायु की अनियमितताएँ उत्पादन को अक्सर प्रभावित करती हैं। नवंबर से मार्च तक के लंबे शुष्क दौर में भीषण सर्दी भी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप फसल का विकास धीमा हो जाता है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्दियों के महीनों के दौरान लंबे समय तक सूखे से निपटने के लिए सिंचाई को सक्षम करने और उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े इलायची बागानों में जल संसाधनों को बढ़ाने के साथसाथ सिंचाई उपकरण स्थापित करने के लिए, बोर्ड यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू कर रहा है।

(i) भण्डारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भूमि का भू स्वामित्व है वे इस



कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक निर्माण यानी खेत तालाब/कुआँ/भंडारण टैंक तक सीमित है। कार्यक्रम के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000/- और एससी/एसटी वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹45,000/- जो भी कम हो दी जाती है।

(ii) सिंचाई उपकरणों की स्थापना

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भूस्वामित्व है, वे सिंचाई पंपिंग सेट/गुरुत्व सिंचाई उपकरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक ही इकाई के लिए दी जाती है। सिंचाई उपकरण/गुरुत्व सिंचाई उपकरण के तहत सहायता प्रदान करने का पैमाना इस प्रकार है, सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹15,000/- और एससी/एसटी वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 20,000/- जो भी कम हो।

(iii) वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भूमि का भू स्वामित्व है वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ लिया है, वह दोबारा लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। 200 घनमीटर क्षमता की टंकी का निर्माण हेतु वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत, ₹ 18,000/- तक सीमित और एससी/एसटी वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत ₹ 40,000/- तक सीमित, जो भी कम हो, की दर से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 6 जल भंडारण संरचनाओं और 19 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 56 सिंचाई पंप सेट स्थापित किए गए, जिसके लिए 81 किसानों को ₹ 17.81 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इ. उत्तर पूर्व में पहचाने गए मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष को बढ़ावा देना

क) लाकाडोंग हल्दी की खेती

कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात के लिए लाकाडोंग हल्दी

की खेती को बढ़ावा देना है। उत्तरपूर्व भारत के हल्दी उत्पादक जिनके पास 0.10 से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व है, वे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम में रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 30,000/- प्रति हेक्टेयर सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विकास विंग ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया और भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों के 111 किसानों को ₹ 10.46 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान किया जो 34.86 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लाकाडोंग हल्दी का उत्पादन करते हैं।

ख) उत्तर पूर्व में अदरक की विशिष्ट किस्मों की खेती

कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर पूर्व में निर्यात के लिए अदरक की विशिष्ट किस्मों की खेती को बढ़ावा देना है। उत्तर पूर्व के अदरक उत्पादक जिनके पास 0.10 से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व है, सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम में सहायता के रूप में रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 30,000/- प्रति हेक्टेयर तक प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विकास स्कन्ध ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया और भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों के 110 किसानों को ₹ 10.46 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान किया जो उत्तर पूर्वी राज्यों के 34.86 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अदरक का उत्पादन करते हैं।

ई. मसालों का फसल कटाई के बाद सुधार

क) छोटी इलायची के लिए उन्नत इलायची उपचार उपकरणों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों को इलायची को सुखाने के लिए उन्नत इलायची उपचार उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को ड्रायर की लागत का 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 1,50,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 3,37,500/- है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल ₹ 61.90 लाख की



वित्तीय सहायता से 49 उन्नत इलायची उपचार उपकरण स्थापित किए गए, जिससे 49 उत्पादकों को लाभ हुआ।

ख) बड़ी इलायची के लिए उन्नत इलायची उपचार उपकरणों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों को इलायची को सुखाने के लिए उन्नत इलायची उपचार उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को ड्रायर की लागत के लिए सहायता के रूप में दक्षिण भारत से इसके परिवहन की लागत सहित पूरी लागत राशि का 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम ₹ 3,75,000/- तक होता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, चार उन्नत इलायची उपचार उपकरण ₹ 9.64 लाख की वित्तीय सहायता से स्थापित किए गए, जिससे चार उत्पादकों को लाभ हुआ।

ग) बड़ी इलायची ड्रायर की आपूर्ति (सावो ड्रायर/संशोधित भट्टी/अनुमोदित समतुल्य ड्रायर)

कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसान समुदाय को वैज्ञानिक उपचार विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में कुल लागत का 33.33 प्रतिशत सामान्य वर्ग के किसानों को और 75 प्रतिशत एससी और एसटी वर्ग के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, इसके तहत अधिकतम सहायता राशि क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए ₹ 16,000/- प्रति यूनिट और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ₹ 28,000/- प्रति यूनिट है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 15.61 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 67 संशोधित भट्टी इकाइयों का निर्माण किया गया, जिससे 67 उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुआ।

घ) बीज मसाला श्रेणर की आपूर्ति

कुछ बीज मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और कटाई के बाद की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंठल, धूल, रेत, तने के टुकड़े आदि जैसे बाहरी पदार्थों से दूषित हो जाते हैं। बीज को कटे और सूखे पौधों को बांस की डंडियों से पीटकर, पौधों को हाथ से रगड़ कर अलग किया जाता है। सूखे पौधों से बीज अलग करने और साफ मसालों का उत्पादन करने के लिए, बोर्ड श्रेणर के उपयोग को लोकप्रिय बनाना चाहता है जो मैन्युअल रूप से या बिजली का उपयोग

करके संचालित होते हैं।

बोर्ड श्रेणर की लागत के मद में किसानों को सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत राशि प्रदान करता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 75,000/ और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 1,12,000/ है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने किसानों के खेतों में 103 बिजली संचालित श्रेणर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान किया और कुल ₹ 80.81 लाख की वित्तीय सहायता दी गई, जिससे 103 उत्पादकों को लाभ हुआ।

ङ) काली मिर्च श्रेणर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य काली मिर्च के फलों को बाली से स्वच्छतापूर्वक अलग करने के लिए काली मिर्च श्रेणर की स्थापना को बढ़ावा देकर, काली मिर्च उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली काली मिर्च का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को श्रेणर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 19,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 28,000/- है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल ₹ 80.73 लाख की वित्तीय सहायता से 459 श्रेणर स्थापित किए गए, जिससे 459 उत्पादकों को लाभ हुआ।

च) हल्दी को भाप से उबालने वाली इकाइयों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उत्पाद को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। मसाला बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर हल्दी को उबालने वाली इकाई के उपयोग को उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। इस कार्यक्रम के तहत उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/एससी/एसटी किसानों



के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/एससी/एसटी किसानों के लिए क्रमशः ₹ 1,88,000/- और ₹ 2,82,000/- जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 281.76 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 122 हल्दी को भाप से उबालने वाली इकाइयों को स्थापित किया गया, जिससे 122 उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुआ।

छ) मसालों के लिए पॉलिशर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला उत्पादकों, विशेष रूप से हल्दी और छोटी इलायची उत्पादकों, उत्पादकों के समूह, मसाला उत्पादक समितियों/मसाला किसान उत्पादक कंपनी इत्यादि को, रियायती दरों पर बेहतर पॉलिशर्स की आपूर्ति करके निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन करने के लिए मसालों की पॉलिशिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करना और इसमें उनको सहायता देना है। इस कार्यक्रम के तहत बॉयलिंग इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/एससी/एसटी किसानों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/एससी/एसटी किसानों के लिए क्रमशः ₹ 94,000/- और ₹ 140,000/- जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 178.34 लाख की वित्तीय सहायता से 204 मसाला पॉलिशिंग इकाइयों स्थापित की गईं, जिससे 204 उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुआ।

ज) जायफल/लौंग के ड्रायर की आपूर्ति

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जायफल, जावित्री और लौंग का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों के बीच यांत्रिक ड्रायर को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को ड्रायर की लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 37,500/- और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ₹ 56,000/- है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 322 जायफल/लौंग के ड्रायर की स्थापना के लिए ₹ 69.07 लाख की सहायता दी गई, जिससे 322 उत्पादकों को लाभ हुआ।

झ) पुदीना की डिस्टिलेशन इकाई की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को अपने खेतों में स्टेनलेस स्टील से सुसज्जित आधुनिक डिस्टिलेशन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है ताकि डिस्टिलेशन इकाई की दक्षता में सुधार के साथ-साथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को डिस्टिलेशन इकाई की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 1,88,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 2,80,000/- है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल ₹ 9.67 लाख की वित्तीय सहायता से छह डिस्टिलेशन इकाइयां स्थापित की गईं, जिससे छह उत्पादकों को लाभ हुआ।

ञ) मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर की आपूर्ति

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 44,000/- प्रति इकाई और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 66,000/- प्रति इकाई सहायता प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 281.76 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 28 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर इकाइयों को स्थापित किया गया, जिससे 28 उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुआ।

ट) मसाला वार्शिंग मशीन की आपूर्ति

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला वार्शिंग मशीन को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 53,000/- प्रति इकाई और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 80,000/- प्रति इकाई सहायता क्रमशः प्रदान किया जाता है।



वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 28.60 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 54 मसाला वार्षिक मशीनों की स्थापना की गई, जिससे 54 उत्पादकों को लाभ प्राप्त हुआ।

ठ) गुणवत्ता अंतराल पाटने वाले समूह चिन्हित समूहों में मसाला उत्पादक समूह

कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित समूहों का समर्थन करके मसाला उत्पादकों को गुणवत्ता, सुरक्षा और ट्रेसबिलिटी के साथ मसालों का उत्पादन करने में सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम पोस्टहार्वेस्ट मशीन/उपकरण बैंक की स्थापना के लिए प्रति मसाला उत्पादक समूह को अधिकतम ₹ 25 लाख की सहायता, ट्रेसबिलिटी और मसाला उत्पादक समूह द्वारा बिक्री की मात्रा में सुधार से संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए आईटी सहायता, अच्छी कृषि प्रथा (जीएपी) के लिए प्लॉट की स्थापना और स्पाइसेस बोर्ड के साथ एमओयू के आधार पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जीएपी प्लॉट और मसाला उत्पादक समूह के कार्यालय के रखरखाव के लिए तकनीकी जनशक्ति समर्थन प्रदान करता है। पंजीकृत एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी, एसपीएस आदि जैसी कानूनी इकाई वाला समूह, जो सक्रिय रूप से मसाला क्षेत्र में कार्य करता है, सहायता के लिए पात्र है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, मसाला क्षेत्र के 21 किसान समूहों ने फसल कटाई के बाद की विभिन्न मशीनें स्थापित कीं और ₹130.64 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 6,441 किसान लाभान्वित हुए।

ड) केरल के इडुक्की जिले में छोटी इलायची के लिए मौसम आधारित फसल बीमा

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटी इलायची उत्पादकों को मौसम की प्रतिकूल घटनाओं जैसे कम या अधिक वर्षा, गर्मी (तापमान), सापेक्ष आर्द्रता इत्यादि से बचाना है, जिनसे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पंजीकृत छोटी इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भूमिका भू स्वामित्व है वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। यह कार्यक्रम छोटी इलायची की किसी भी प्रचलित किस्म को एकल फसल या अंतरफसल के रूप में उगाने वाले किसानों के लिए लागू है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) स्पाइसेस बोर्ड के तत्वावधान में इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। कार्यक्रम में बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत सहायता के रूप में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाता है और शेष 25 प्रतिशत का भुगतान लाभार्थी को करना होता है। बोर्ड सहायता के रूप में अधिकतम ₹ 16,040/- हेक्टेयर (जीएसटी सहित) प्रदान करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 217 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कार्यक्रम के तहत 325 किसानों को नामांकित किया गया और बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹ 34.54 लाख की सहायता प्रदान की गई।

उ. जैविक खेती

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2022-23 में वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना और मसालों के जैविक बीज बैंक को बढ़ावा देने के लिए सहायता का कार्यान्वयन किया गया।

क) वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना

जैविक उत्पादन में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक इनपुट का खेत में ही उत्पादन करना आवश्यक है। किसानों को जैविक कृषि इनपुट, विशेष रूप से वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए, एक टन वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन की क्षमता वाली इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य श्रेणी के किसानों को 33.33 प्रतिशत की दर से ₹ 4,500/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत की दर से ₹ 10,000/- दिए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 307 वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिसके लिए 307 किसानों को कुल ₹ 30.77 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

ख) मसालों के जैविक बीज बैंक की स्थापना

स्वदेशी किस्मों जैसे केरल में कोचीन अदरक, उत्तर पूर्वी राज्यों में नादिया अदरक, केरल में एलेप्पी फिंगर हल्दी, महाराष्ट्र में राजा पोरी हल्दी, मेघालय में लाकाडोंग/मेघन हल्दी और तमिलनाडु में हर्बल मसालों को जैविक बीज बैंक के तहत कवरेज के लिए पहचाना गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के क्षेत्र में जैविक बीज बैंक स्थापित करना है ताकि समृद्ध आंतरिक मूल्य वाले अदरक और हल्दी और हर्बल मसालों की स्वदेशी किस्मों की रोपण सामग्री के गुणन के लिए शुद्धता बनाए रखी जा सके और यह गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के स्रोत के रूप में काम आ सके। मसालों की इन किस्मों में से किसी भी किस्म का उत्पादन करने वाले किसान, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व है और जैविक उत्पादन का प्रमाण पत्र है, इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। एक किसान कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए तथा तीन वर्षों तक प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, गुवाहाटी क्षेत्र में अदरक और हल्दी के संबंध में सात जैविक बीज बैंकों को अनुसूचित



जनजाति श्रेणी के तहत ₹ 4.65 लाख की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया।

ऊ. मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी)

स्पाइसेस बोर्ड नियमित रूप से किसानों, राज्य के कृषि/बागवानी विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों आदि के लिए गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि उन्हें फसल कटाई से पहले और बाद के लिए वैज्ञानिक तरीकों और भंडारण प्रौद्योगिकियों और प्रमुख मसालों के लिए नवीनतम गुणवत्ता आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित किया जा सके।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 235 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कुल 13087 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और इसके लिए कुल ₹ 16.20 लाख व्यय हुआ (महिला 3104; अनुसूचित जाति 542; अनुसूचित जनजाति 4756)। यह व्यय मानव संसाधन विकास मद से किया गया।

ऋ. विस्तार सलाहकार सेवा

मसालों के उत्पादन और कटाई के बाद सुधार से संबंधित तकनीकी जानकारी का किसानों को हस्तांतरण के बारे में प्रशिक्षण, मसालों की उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत संपर्क, क्षेत्र दौरे, समूह बैठकों और साहित्य के वितरण के माध्यम से छोटी इलायची (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) के लिए खेती और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में किसानों को तकनीकी/विस्तार सहायता की परिकल्पना की गई है।

विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, विस्तार नेटवर्क के माध्यम से निर्यात उन्मुख उत्पादन घटक के तहत बोर्ड के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों में एवं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए और अन्य मसालों के लिए संबंधित उत्पादक क्षेत्रों में कुल 28,550 विस्तार दौरे और 19,526 समूह बैठकें/अभियान आयोजित किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान, विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल व्यय ₹ 2,098 लाख था।

ए. किसानों का एक्सपोजर विजिट

बोर्ड द्वारा किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया था। बोदिनायकनूर (तमिलनाडु), गंगटोक (सिक्किम), निज़ामाबाद (तेलंगाना) और सकलेशपुर (कर्नाटक) क्षेत्रों के कुल 128 किसानों ने ₹ 2.78 लाख की वित्तीय सहायता से चार अलग-अलग बैचों में आयोजित एक्सपोजर विजिट से लाभ उठाया। किसानों को हिंगोली (महाराष्ट्र), इडुक्की (केरल), गंगटोक (सिक्किम), तंजावुर, त्रिची पलानी हिल्स (तमिलनाडु) के विभिन्न मसालों के बागानों और भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), मैलाडुम्पारा, इडुक्की जिला; भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, ताडोंग, सिक्किम; भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), कालीकट, केरल; और स्पाइसेस पार्क, पुट्टुडी, केरल जैसे अनुसंधान संस्थानों में ले जाया गया था।

ऐ. बड़ी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

बड़ी इलायची के किसानों को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ने बड़ी इलायची उत्पादकता पुरस्कार की स्थापना की है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए बड़ी इलायची की उत्पादकता में उत्कृष्टता का पुरस्कार 30 जून, 2022 को गुवाहटी, असम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक और स्पाइस कॉन्क्लेव के दौरान वितरित किए गए थे। समारोह के मुख्य अतिथि असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा थे।

ओ. अन्य गतिविधियां

क) राष्ट्रीय सतत मसाला कार्यक्रम (एनएसएसपी)

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, और मसाला क्षेत्र में जैव विविधता के प्रति उचित चिंता के साथ ट्रेसबिलिटी और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, नेशनल सरस्टेनेबल स्पाइस नेटवर्किंग प्रोग्राम नामक परियोजना वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएसओ, जो ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम (एआईएसईएफ) की तकनीकी शाखा है), अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों आईडीएच (जो टिकाऊ व्यापार पहल का समर्थन करता है) और जीआईजेड, जर्मनी (जो जैव विविधता और व्यापार पर काम करता है) और स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के तहत ध्यान केन्द्रित मसालों में मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, छोटी इलायची और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादित होने वाले मसाले हैं ताकि क्षेत्र से मसालों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।



ख) क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार करना मसालों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) समस्याओं का समाधान करने के लिए,

स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2014 में, मानकों और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत एक संगठन, जो विकासशील देशों को उनके मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच हासिल करने या बनाए रखने की क्षमता में सुधार करने के साधन के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों को लागू करने की क्षमता बनाने में सहायता करता है) के लिए, क्षमता निर्माण और नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार शीर्षक से एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

इस परियोजना को अक्टूबर 2018 में एसटीडीएफ द्वारा अनुमोदित किया गया था। एफएओ इंडिया इस परियोजना के कार्यान्वयन में भागीदार और बजट धारक है और परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। स्पाइसेस बोर्ड परियोजना का स्थानीय भागीदार है और सभी स्थानीय गतिविधियों का कार्यान्वयन और उनका समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाता है।

परियोजना के समग्र उद्देश्य इस प्रकार हैं

- सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले मसालों का भारत से विदेशी बाजार में निर्यात का विस्तार करने के लिए मसाला मूल्य श्रृंखला में शामिल हितधारकों की क्षमता निर्माण।
- छोटे पैमाने के किसानों की आय बढ़ाना, महिलाओं और सीमांत पर रहने वाले अन्य समुदायों को सशक्त बनाना
- गरीबी कम करने के प्रयासों का समर्थन करना (एसडीजी 1/0 और भूख (एसडीजी 2))
- यह परियोजना चार राज्यों के 12 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें चार मसालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है अर्थात;
- जीरा और सौंफ गुजरात और राजस्थान में (प्रत्येक राज्य के चार गांवों में लागू)
- धनिया मध्य प्रदेश में (दो गांवों में)
- काली मिर्च आंध्र प्रदेश में (दो गांवों में)

यह परियोजना 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित एक आरंभिक कार्यशाला के साथ शुरू हुई थी। परियोजना के दो चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और वर्तमान में यह तीसरे चरण में है। पहले दो चरणों के दौरान आयोजित गतिविधियों में शामिल हैं।

- परियोजना गांवों में लक्षित किसानों का बेसलाइन सर्वेक्षण, ताकि उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में उनके ज्ञान के स्तर को समझा जा सके
- वैश्विक बाजार की आवश्यकता के अनुसार ध्यानकेन्द्रित मसालों के लिए अच्छी कृषि पद्धति (जीएपी) और अच्छी स्वच्छता पद्धति (जीएचपी) का विकास और मानकीकरण।
- किसानों को ज्ञान प्रदान करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का परियोजना के तहत विकसित जीएपी और जीएचपी के बारे में प्रशिक्षण।
- मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा जीएपी और जीएचपी के बारे में किसानों को प्रशिक्षण
- किसानों के लिए अध्ययन दौरा ताकि उन्हें राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएसएस), केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) जैसे प्रमुख अनुसंधान केंद्रों; प्रमुख निर्यातकों की मसाला प्रसंस्करण इकाइयों के साथ-साथ प्रगतिशील किसानों के खेतों में भी, ले जाकर अच्छी पद्धतियों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा सके।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईसीसी) सामग्री जैसे ब्रोशर, सूचना वीडियो आदि का विकास किया गया।
- कालीमिर्च एवं धनिया के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई

ग) इंडगैप

भारत में, भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) प्रणालियों और मानदंडों की एक श्रृंखला के माध्यम से लागू किया जाता है, जिनका विभिन्न उद्योगों द्वारा लक्ष्य बाजार के आधार पर और उनके क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार पालन किया जाता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) अनुरूपता मूल्यांकन निकायों के लिए राष्ट्रीय मान्यता संरचना का संचालन करती है और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्ता



संवर्धन के क्षेत्र में मान्यता भी प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा प्रदान की गई मान्यता सेवाओं के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001 श्रृंखला), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 22000 श्रृंखला) और उत्पाद प्रमाणन और निरीक्षण निकायों से संबंधित गुणवत्ता मानकों को अपनाने को बढ़ावा भी देती है।

इंडिया गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज (इंडगैप) सर्टिफिकेशन स्कीम भारत में अच्छी कृषि पद्धतियों को मजबूत करने के लिए क्यूसीआई द्वारा विकसित एक ऐसा ही प्रमाण पत्र देने वाला कार्यक्रम है। यह योजना आईएसओ 17065 के अनुरूप संरेखित है, जो उत्पाद/प्रक्रिया प्रमाणन आवश्यकताओं के

लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जिसने प्रमाणन और मान्यता का पूरा ढांचा तैयार किया है। मानक उत्पादन में अधिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं, व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करते हैं और किसानों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को दुनिया भर में लाभान्वित करते हैं।

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के इंडजीएपी प्रमाणीकरण पर पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए क्यूसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पायलट चरण में क्यूसीआई ने कृषि निर्यात नीति (ईपी) में पहचाने गए विभिन्न समूहों से पांच परियोजनाएं लागू की थीं। पांच परियोजनाओं और क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल मसाले तथा परियोजना इस प्रकार हैं।

क्रम सं.	मसाले	जिला	परियोजना
क.	जीरा	बाड़मेर जिला, राजस्थान	नेडस्पाइस प्रोसेसिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड
ख.	जीरा	जैसलमेर जिला, राजस्थान	एवीटी मैककॉर्मिक इंग्रीडिएंट्स प्रा. लिमिटेड
ग.	छोटी इलाइची	इडुक्की जिला, केरल	पीयरमेड डेवलपमेंट सोसाइटी (पीडीएस)
घ.	छोटी इलाइची	इडुक्की जिला, केरल	रॉयल बर्ड चैरिटेबल सोसायटी
ङ	मिर्च	वारंगल जिला, तेलंगाना	एबी मौरी इंडिया प्रा. लिमिटेड

सभी परियोजनाओं को प्रमाणित किया गया और प्रमाण पत्र जारी किये गये।

इंडजीएपी प्रमाणन परियोजना का दूसरा चरण विभिन्न मसालों के लिए एसटीडीएफ परियोजना क्षेत्र में अर्थात्, तेलंगाना राज्य में ईपी के तहत पहचाने गए क्लस्टर में जीरा, सोंफ, धनिया और काली मिर्च के साथ-साथ हल्दी के लिए भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

घ) स्वच्छ एवं सुरक्षित मसाले पर अभियान

बोर्ड के 36वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 27 फरवरी, 2023 को स्वच्छ और सुरक्षित मसालों पर एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्घाटन कोचीन में स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव, श्री राजेश अग्रवाल, आईएस द्वारा किया गया।

अभियान को मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात के विभिन्न चरणों में जोखिम, सुधारात्मक कार्रवाइयों और अपनाई जाने वाली अच्छी पद्धतियों पर हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए

डिज़ाइन किया गया था। यह अभियान सभी हितधारकों और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में चलाया गया था।

क्रम सं.	अभियान का सारांश		
1	कवर किए गए राज्यों की संख्या	19	
2	स्थानों की संख्या	54	
3	प्रतिभागियों की संख्या	पुरुष	2300
		महिला	559

ङ. तोडुपुझा, इडुक्की, केरल में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना

स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए.जी. तंकप्पन ने 29 अप्रैल, 2022 को तोडुपुझा, इडुक्की, केरल में स्पाइसेस बोर्ड और केरल कृषि विकास सोसायटी (केएडीएस) पीसीएल



द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण केंद्र किसानों और विषय विशेषज्ञों के बीच जैविक खेती और संबंधित फसल उत्पादन पहलुओं पर बातचीत और प्रशिक्षण के स्थान के रूप में काम करेगा। गग

च. मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थिरता प्रमाणपत्र का प्रशिक्षण

स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों और चयनित मसाला एफपीसी के पदाधिकारियों के लिए मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थिरता प्रमाणन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 जुलाई, 2022 को केएडीएस

विलेज स्क्वायर, तोडुपुझा में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। स्पाइसेस बोर्ड के सचिव श्री डी. सत्यन आईएफएस ने डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक (अनुसंधान एवं वित्त), श्री बी. वेंकटेशन, निदेशक प्रभारी (विकास) और श्री बी.एन. झा, निदेशक, प्रभारी (विपणन) की उपस्थिति में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। प्रतिभागियों को इलायची, स्थिरता प्रमाणन ग्लोबलजीएपी, इंडजीएपी, रेनफॉरेस्ट एलायंस, यूनिशन फॉर एथिकल बायोट्रेड (यूईबीटी) और यूरोपीय बायोचार प्रमाणन आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्बन न्यूट्रल कृषि के बारे में जानकारी दी गई।



निर्यात विकास एवं संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड को मसालों (52 सूचित मसालों और उनके उत्पादों) के निर्यात संवर्धन एवं इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन एवं निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन का काम सौंपा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बोर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत “मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार एवं इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत योजना” जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में निर्यातोन्मुख उत्पादन, निर्यातोन्मुख अनुसंधान, निर्यात विकास और संवर्धन, गुणवत्ता सुधार और मानव संसाधन विकास जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत ने ₹ 31,761.38 करोड़ (3,952.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 14,04,357 मीट्रिक टन मसाले एवं मसाला उत्पादों का निर्यात किया। भारत का मसाला निर्यात 2013-14 में ₹ 13,73,539 लाख (2,268 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 8,17,250 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में ₹ 31,76,138 लाख (3,952.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 14,04,357 मीट्रिक टन हो गया, यानी मात्रा में बयासी प्रतिशत, मूल्य (INR) में एक सौ इकतीस प्रतिशत और मूल्य (US\$) में चौरासी प्रतिशत की वृद्धि। वर्ष 2013-14 के बाद से मसालों के निर्यात की मात्रा में 6.2 प्रतिशत, मूल्य में 9.76 प्रतिशत (INR) और मूल्य में 6.37 प्रतिशत (US\$) का सीएजीआर दर्ज किया गया है।

प्रसंस्कृत और मूल्य योजित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से, आयातक देशों के बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, निर्यात विकास एवं संवर्धन (ईडीपी) के तहत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्यातकों को बुनियादी ढांचे का विकास, भारतीय मसाला और मसाला उत्पादों को बढ़ावा देना आदि में सहायता प्रदान करना है। वैज्ञानिक प्रथाओं और प्रक्रिया उन्नयन

को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्यात विकास एवं संवर्धन (ईडीपी) के तहत प्रमुख जोर वाले क्षेत्र व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, बुनियादी ढांचे का विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रांडों का प्रचार, प्रमुख मसाला उत्पादन/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना (स्पाइसेस पार्क), जैविक मसालों/जीआई मसालों को बढ़ावा देना, क्रेताविक्रेता बैठकों का आयोजन करना आदि हैं, इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मसालों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

अ. बुनियादी ढांचे का विकास

क) हाई-टेक/प्रौद्योगिकी उन्नयन को अपनाना और इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन

इस कार्यक्रम के तहत, बोर्ड का लक्ष्य मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, मसालों और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता मूल्यांकन आदि के लिए सुविधाएं स्थापित करने में निर्यातकों की सहायता करना है। कार्यक्रम के तहत सहायता का पैमाना मशीनरी/उपकरण और सहायक उपकरण की लागत का 33 प्रतिशत है, जो सामान्य श्रेणी के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 1.00 करोड़ है एवं एससी/एसटी निर्यातकों; एफपीओ निर्यातकों; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) में निर्यातकों के लिए मशीनरी/उपकरण और सहायक उपकरण की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1.50 करोड़ है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आठ निर्यातकों से योजना के तहत सहायता प्रस्ताव एकत्र किए हैं।



ख) मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण स्थापित करने के लिए निर्यातकों को सहायता

इस कार्यक्रम के तहत, प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे सफाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, स्लाइसिंग, कटिंग, क्रशिंग, पिसाई, पैकिंग इत्यादि के लिए मशीनरी की लागत पर सहायता के लिए विचार किया जाता है। सहायता का पैमाना मशीनरी की लागत का 33 प्रतिशत है, जो सामान्य श्रेणी के निर्यातकों के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 10 लाख और एससी/एसटी निर्यातकों और एफपीओ के लिए मशीनरी की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 15 लाख तक है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पांच निर्यातकों से योजना के तहत सहायता प्रस्ताव एकत्र किए।

ग) त्वरित खाद्य परीक्षण उपकरणों और किटों के लिए निर्यातकों को सहायता

त्वरित खाद्य परीक्षण उपकरणों और किटों का उपयोग मसालों और मसाला उत्पादों में आंतरिक गुणों, भौतिक मापदंडों, विषाक्त पदार्थों, संदूषकों, अवशेषों आदि के परीक्षण के लिए किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में कच्चे माल के साथ-साथ प्रोसेस्ड उत्पादों का परीक्षण करने के लिए तेजी से परीक्षण उपकरण और किट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो आंतरिक मापदंडों, गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं आदि की निगरानी करने में मदद करेगा।

कार्यक्रम के तहत सहायता का पैमाना त्वरित गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण उपकरण और किट की लागत का 33 प्रतिशत है, जो सामान्य श्रेणी के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम 10 लाख रुपये है एवं एससी/एसटी निर्यातकों; एफपीओ निर्यातक; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अन्य हिमालयी राज्यों, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) में निर्यातकों के लिए लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 15 लाख है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से तीन निर्यातकों से योजना के तहत सहायता प्रस्ताव एकत्र किए और ₹ 4.78 लाख की सहायता प्रदान की गई।

घ) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन/प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त आईएसओ / एचएसीसीपी / एफएसएससी 22000 / एनपीओपी, आदि (कोषेर, हलाल, जीएमपी, एसक्यूएफ, बीआरसी, आदि सहित) के तहत मसाला निर्यातकों की प्रोसेस्ड इकाइयों, घरेलू प्रयोगशालाओं आदि की मान्यता / प्रमाणन की लागत, आयातक देशों की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण/फोरेन बायर वेरीफिकेशन प्रोग्राम(एफबीवीपी), आदि पर विचार किया जाता है।

बोर्ड सामान्य श्रेणी के निर्यातकों के लिए प्रमाणन की लागत का 33 प्रतिशत और अधिकतम ₹ 5.00 लाख देता है एवं एससी/एसटी निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, राज्यों द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों के लिए प्रमाणन की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 7.50 लाख देता है।

2022-23 के दौरान कार्यक्रम के तहत ₹ 0.12 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ड) सामान्य प्रसंस्करण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव

स्पाइसेस बोर्ड ने किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने की दृष्टि से प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। पार्क का उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों की खेती, कटाई के बाद, प्रसंस्करण, मूल्य योजन, पैकेजिंग और भंडारण के लिए एक एकीकृत ऑपरेशन संचालन करना है। सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भाष विसंक्रमण आदि के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं से किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार उन्हें अधिक कीमत प्राप्त होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मई 2018 के दौरान सभी आठ मसाला पार्कों को नामित खाद्य पार्क के रूप में अधिसूचित किया था। प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में बोर्ड द्वारा स्थापित फसल विशिष्ट मसाला पार्क इस प्रकार हैं।



क्रम सं	स्थान/राज्य	शामिल मसाले	भूमि क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	मिर्च और लहसुन	10.00
2	पुडुच्ची, केरल	काली मिर्च और इलायची	12.50
3	जोधपुर, राजस्थान	ज़ीरा और धनिया	60.00
4	गुना, मध्य प्रदेश	धनिया	100.00
5	शिवगंगा, तमिलनाडु	मिर्च और हल्दी	75.00
6	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च	125.00
7	रामगंजमंडी (कोटा), राजस्थान	धनिया	30.00
8	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	पुदीना	11.79

(i) मसाला पार्कों में सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति सभी पार्कों में मसालों और मसाला उत्पादों की प्रसंस्करण, मूल्य योजन और भंडारण के लिए अच्छी तरह से स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं और रायबरेली को छोड़कर सभी पार्कों में इकाइयाँ वर्तमान में बोर्ड द्वारा पहचाने गए

ऑपरेटरों के माध्यम से काम कर रही हैं। मसाला पार्क, रायबरेली के संबंध में, बोर्ड ने निर्यातकों द्वारा सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए जगह लीज़ पर देने की पहल की है। प्रत्येक पार्क में उपलब्ध प्रसंस्करण सुविधाएं ऑपरेटरों के नाम के साथ नीचे दी गई हैं।

मसाला पार्क का स्थान	प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण	ऑपरेटर का नाम
छिंदवाड़ा	लहसुन को सुखाना/निर्जलीकरण एवं मिर्च निकालना	मैसर्स वी नेचुरल
गुना	बीज मसालों विशेषकर धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स मयंक इंडस्ट्रीज़
गुंटूर	मिर्च की सफाई, छंटाई, पीसने और पैकेजिंग की सुविधा	मैसर्स माने कंकोर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
जोधपुर	बीज मसालों विशेषकर ज़ीरा के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स श्री राधे कृष्णा स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड.
रामगंजमंडी (कोटा)	बीज मसालों विशेषकर धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड.
पुडुच्ची	इलायची और काली मिर्च की सफाई, ग्रेडिंग, पीसने, पैकेजिंग की सुविधा	मैसर्स फ्लेवोरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड
रायबरेली	पार्क और प्रभाव क्षेत्र में पुदीना और अन्य जड़ी-बूटियों की तेल आसवन इकाई	आसवन इकाइयाँ सीधे किसान समूहों द्वारा संचालित की जाती हैं
शिवगंगा	मिर्च और हल्दी के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसना, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स सीजन फ्रेश एग्रो फूड्स

मसाला पार्क, जोधपुर और शिवगंगा में सामान्य भंडारण सुविधाएं (गोदाम) निर्यातकों को पट्टे पर दी गई हैं।

(ii) निर्यातकों को भूखंडों के आवंटन की स्थिति एवं मसाला पार्कों में स्थापित इकाइयों की स्थिति

छिंदवाड़ा और पुडुच्ची को छोड़कर सभी स्पाइस पार्कों में ज़मीन है जो भावी उद्यमियों को मसालों के वैल्यू एडिशन और उच्चस्तरीय प्रसंस्करण के लिए अपनी स्वयं की प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करने के लिए आवंटित

करने के लिए निर्धारित की गई है।

वर्ष 2022-2023 के दौरान, बोर्ड ने मसाला पार्क, गुंटूर में 5 निर्यातकों को छह भूखंड आवंटित किए हैं; मसाला पार्क, गुना में 6 निर्यातकों को दस भूखंड; मसाला पार्क, कोटा में 3 निर्यातकों को तीन प्लॉट और मसाला पार्क, शिवगंगा में 2 निर्यातकों को तीन प्लॉट, मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आवंटित किए हैं।

31 मार्च 2023 तक, मसाला पार्क, जोधपुर में 19



निर्यातकों को तेईस भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से नौ इकाइयाँ कार्य कर रही हैं; मसाला पार्क, गुना में 22 निर्यातकों को उनतीस भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से दो इकाइयाँ कार्यरत हैं; मसाला पार्क, रामगंजमंडी (कोटा) में 15 निर्यातकों को सोलह भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से एक इकाई कार्य कर रही है; मसाला पार्क, गुंटूर में 27 निर्यातकों को बावन भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से सात इकाइयाँ काम कर रही हैं; मसाला पार्क, शिवगंगा में 19 निर्यातकों को पच्चीस भूखंड आवंटित किए गए हैं; और मसाला पार्क, रायबरेली में 4 निर्यातकों को आठ भूखंड आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, मेसर्स आईटीसी लिमिटेड ने 180 करोड़ रुपये के निवेश पर मसाला पार्क, गुंटूर में 20000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की विनिर्माण क्षमता के साथ अत्याधुनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की है और मेसर्स पीसी कण्णन एंड कंपनी जो धनिया की एक प्रमुख निर्यातक है, ने मसाला पार्क, रामगंजमंडी (कोटा) में एक आधुनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है।

(iii) मसाला पार्कों का प्रदर्शन

वर्ष 2022-23 के दौरान, सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों और मसाला पार्कों में निर्यातकों द्वारा स्थापित इकाइयों में ₹ 33,365.30 लाख मूल्य के 29,504 मीट्रिक टन मसालों की प्रसंस्करण की गई है एवं मसाला पार्क, रायबरेली के प्रभाव क्षेत्र में स्थापित मिंट आसवन इकाइयों में ₹ 18.50 लाख मूल्य के 1,580 लीटर पुदीना तेल की प्रसंस्करण की गई, जिसमें से ₹ 33365.30 लाख मूल्य के 9,369 मीट्रिक टन मसाले/मसाले उत्पादों की निर्यात के लिए आपूर्ति की गई। इसके अलावा, मसाला पार्क के गोदामों में ₹ 35,802 लाख मूल्य के कुल 30,591 मीट्रिक टन मसाले संग्रहीत किए गए हैं। साथ ही मसाला पार्क में कुल 812 कामगार/श्रमिक कार्यरत थे। 2022-23 के दौरान मसाला पार्कों में रखरखाव/कार्य करने पर कुल ₹ 82.82 लाख का खर्च आया।

(iv) मसाला कॉम्प्लेक्स सिक्किम

सिक्किम सरकार ने राज्य से मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मसाला कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड को सिक्किम के पूर्वी जिले के नामचेबोंग में दस एकड़ जमीन मुफ्त में आवंटित की थी। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट

स्कीम (टीआईईएस) की कार्यकारी समिति ने 9 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में ₹ 26.51 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय पर तीन साल की अवधि के भीतर सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दे दी। जिसमें स्पाइसेस बोर्ड का हिस्सा ₹ 8.77 करोड़ है और शेष राशि ₹ 17.74 करोड़ टी आई ई एस का योगदान होगा। स्पाइसेस बोर्ड ने आदयोपांत आधार पर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), गंगटोक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्यों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तीन पैकेजों में विभाजित किया है।

पैकेज-I: गेट कॉम्प्लेक्स और साइट क्षेत्र की कांटेदार तार से बाड़ लगाना, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 120 लाख है।

पैकेज-II: ₹ 884 लाख की अनुमानित लागत से सुविधा केंद्र, सामान्य प्रसंस्करण केंद्र और बायो एजेंट उत्पादन केंद्र एवं उपकरण सहित मसाला अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का निर्माण।

पैकेज-III: ₹ 1,523 लाख की अनुमानित लागत से डीपीआर के अनुसार प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण हॉल, गेस्ट हाउस और कैटीन, सड़कों सहित सर्विस ब्लॉक, तूफान जल निकासी, बिजली आपूर्ति और अन्य कार्यों का निर्माण।

मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना का क्षेत्र भूस्खलन के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आता है और इसलिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि 3 जून 2022 से 30 सितंबर 2022 तक मानसून अवधि के दौरान कोई मिट्टी की खुदाई का काम नहीं होगा। इस संबंध में पैकेज के अंतर्गत अक्टूबर 2022 में कार्य प्रारंभ करने की व्यवस्था की गई है।

पैकेज के लेआउट और डिज़ाइन में गोदाम, संयंत्र भवन आदि के लिए पूर्वइंजीनियरिंग संरचनाएं शामिल थीं और पैकेज में सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त अन्य भवनों का निर्माण शामिल था, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है एवं सीपीडब्ल्यूडी ने संशोधित ड्राइंग के आधार पर विस्तृत अनुमानों को अंतिम रूप देने और पैकेज की निविदा के लिए अपने उच्च अधिकारियों से प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस बीच, टी आई ई एस की एम्पावर्ड कमेटी (ई सी) ने



एक सितंबर 2022 को हुई अपनी बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण परियोजना की मंजूरी रद्द करने का निर्णय लिया। हालाँकि, ईसी के फैसले पर पुनर्विचार करने और सिक्किम राज्य के लिए परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए परियोजना को जारी रखने के लिए मंजूरी देने के लिए सिक्किम सरकार और स्पाइसेस बोर्ड के अनुरोध के आधार पर, टीआईईएस के ईसी द्वारा 24 जनवरी 2023 को आयोजित बैठक में अतिरिक्त एक वर्ष के लिए परियोजना के पुनरुद्धार की मंजूरी दी गई। तदनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने संसाधन जुटाए हैं और काम फिर से शुरू किया है और मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना प्रगति पर है।

आ. व्यापार संवर्धन

क) व्यवसाय के नमूने विदेश भेजना

सामान्य तौर पर मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात अनुबंध खरीदारों को उपलब्ध कराए गए नमूनों के आधार पर संपन्न किए जाते हैं। निर्यातकों को अनुमोदन के लिए और खरीदारों की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए विदेश में अपने ग्राहकों को नमूने भेजने की आवश्यकता होती है। कूरियर नमूनों की उच्च लागत और अनुबंध हासिल करने के लिए कूरियर किए जाने वाले नमूनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड निर्यातकों को विदेश में नमूने भेजने के लिए कूरियर शुल्क की लागत की भरपाई के लिए सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 250 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी निर्यातकों और एमएसएमई निर्यातकों को कूरियर शुल्क की लागत के 50 प्रतिशत की दर पर प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता प्रदान की गई, जो अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रति वार्षिक सामान्य वर्ग के लिए है एवं कूरियर शुल्क का 5 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 2.25 लाख प्रति वर्ष; एससी/एसटी निर्यातकों, एफपीओ निर्यातक; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) में निर्यातकों के लिए है। वर्ष 2022-23 के दौरान छह निर्यातकों को इस कार्यक्रम के तहत ₹ 2.36 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ख) पैकेजिंग विकास एवं बारकोडिंग

शेल्फ लाइफ बढ़ाने, भंडारण स्थान को कम करने और विदेशों के बाजारों में भारतीय मसालों की बेहतर प्रस्तुति के लिए मौजूदा पैकेजिंग में सुधार करने एवं आधुनिक

पैकेजिंग विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। कार्यक्रम के तहत बोर्ड उन सभी पंजीकृत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है जिन्होंने मौजूदा पैकेजिंग में सुधार करने और आधुनिक पैकेजिंग विकसित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के साथ अपने ब्रांड नाम पंजीकृत किए हैं। कार्यक्रम के तहत, उभरते बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार पैकेजिंग विकास, बार कोडिंग, क्यूआर कोड, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कोड (ईपीसी) / रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग आदि जैसी गतिविधियों पर विचार किया जाता है।

ग) उत्पाद अनुसंधान एवं विकास

मसालों को औषधीय, कॉस्मेटिक, पोषण और स्वास्थ्य मूल्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे उपयोगों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार देश में उपलब्ध है। हालाँकि, मसाला/मसालों के अर्क/मसाला मिश्रण के प्रशंसित गुणों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य/सत्यापन अध्ययन मौजूद नहीं हैं। दस्तावेजीकरण/सत्यापन का अभाव ऐसे उत्पादों की विपणन क्षमता को रोकता है। यह महसूस किया गया है कि यदि वैज्ञानिक रूप से आयोजित परीक्षणों और नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक दस्तावेज/सत्यापन तैयार किया जाता है, तो उत्पादों को बहुत अधिक मूल्य योजन के साथ तैयार किया जा सकता है और इन उत्पादों को वैकल्पिक दवाओं, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रतिरक्षा बूस्टर इत्यादि के विकल्प के रूप में स्थापित बाजारों में विपणन और पेटेंट कराया जा सकता है (यदि आवश्यक हो)। इसके अलावा, देश के भीतर उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग प्राप्त करने की भी गुंजाइश है।

ऐसे नए उत्पादों और फॉर्मूलेशन के निर्यात से मिलने वाला रिटर्न निम्न स्तर के मूल्य योजन के साथ साबुत मसालों के निर्यात से प्राप्त मूल्य से काफी अधिक होगा। मसालों से बने नए अंतिम उत्पादों के विकास में अपरंपरागत अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है, जिससे निर्यात के लिए उच्च क्षमता वाले पेटेंट योग्य उत्पादों का निर्माण हो सकता है। यह योजना उत्पाद अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षण, संपत्तियों के सत्यापन और पेटेंटिंग और परीक्षण विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवश्यक सुविधाओं वाले पंजीकृत निर्यातक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अध्ययन की प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर किशतों में उत्पाद अनुसंधान और विकास की लागत का



50 प्रतिशत, अधिकतम 25.00 लाख रुपये तक कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि नैदानिक परीक्षण और पेटेंटिंग शामिल है, तो सहायता की सीमा ₹ 1.00 करोड़ है, साथ ही, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास और सरकार के अन्य संस्थानों के लिए, सहायता का पैमाना अधिकतम सीमा में कोई बदलाव किए बिना परियोजना की लागत के 100 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने कार्यक्रम के तहत ₹ 18.33 लाख की सहायता प्रदान की है।

घ) विदेशों में भारतीय मसाला ब्रांडों को बढ़ावा देना

भारत से मसालों का एक बड़ा हिस्सा थोक रूप में निर्यात किया जाता है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व की कम लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत मसाला प्रसंस्करण का केंद्र है, इसलिए मसाला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर, मजबूत और अधिक अनुकूलनीय बनने की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को ट्रेसेबिलिटी और खाद्य सुरक्षा के स्पष्ट चिह्न के साथ विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रांडों के प्रवेश में सहायता करना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से, पहचाने गए विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रांडों की पैठ बनाने में सहायता करना है। इस कार्यक्रम के तहत, जिन निर्यातकों ने अपने ब्रांड को बोर्ड के साथ पंजीकृत किया है, वे प्रति ब्रांड ₹ 100 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत सहायता में स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क और प्रचार व्यय का 100 प्रतिशत और उत्पाद विकास की लागत का 50 प्रतिशत शामिल है, ताकि निर्यातकों को विदेश में चयनित शहरों में पहचाने गए आउटलेट में निर्दिष्ट ब्रांडों को स्थापित करने में मदद मिल सके।

वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने कार्यक्रम के तहत एक निर्यातक को ₹ 33.33 लाख की राशि जारी की।

ङ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बैठकों और प्रशिक्षणों में भागीदारी

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेश में आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने और निर्यातकों के लिए अवसर प्रदान करने की अपनी

पहल के तहत, बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को भारतीय मसालों की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने छह अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं 35 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया। बोर्ड ने मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया।

बोर्ड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बोर्ड मसालों के निर्यात में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में अपने स्वयं के स्टॉल स्थापित करने में सहायता करने का प्रस्ताव देता है। कार्यक्रम के तहत, बोर्ड के पंजीकृत निर्यातक हवाई किराए की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 1.50 लाख रुपये और स्टाल किराए की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 5.00 लाख और हवाई किराये की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 2.25 लाख और स्टाल किराए की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 7.50 लाख; एससी/एसटी निर्यातकों, एफपीओ निर्यातक; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्य, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्र और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों के लिए है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने इक्कीस निर्यातकों को हवाई किराए के साथ-साथ स्टॉल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 30.74 लाख की सहायता प्रदान की।

च) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति

देश से मसालों के निर्यात के लिए मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/जम्मूकश्मीर और लद्दाख, राज्य अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) और एससी/एसटी निर्यातकों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए देशभर में मसालों का निर्यात कारोबार करने के लिए बोर्ड सीआरईएस शुल्क के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने 15 निर्यातकों को इस घटक के तहत ₹ 1.13 लाख की सहायता प्रदान की।



ग. विपणन और सहायक सेवाएँ

क) विपणन सेवाएँ

स्पाइसेस बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को विकसित करने और बढ़ावा देने एवं इलायची के घरेलू विपणन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला लागू कर रहा है। बोर्ड मसालों की कटाई उपरांत प्रबंधन, विपणन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता में सुधार आदि के संबंध में आने वाले विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए हितधारकों को दैनिक आधार पर सहायता करता है और निर्यातकों, किसानों और राज्य सरकारों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(i) पंजीकरण और लाइसेंसिंग

(अ) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र (CRES)

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के अनुसार, मसालों का निर्यात करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 के अनुसार, सीआरईएस जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले सीआरईएस को डीजीएफटी द्वारा विकसित कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (ईआरसीएमसी) में स्थानांतरित कर दिया गया था और मई 2022 से, सीआरईएस डीजीएफटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए गए थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड द्वारा मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण के कुल 1,968 प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 1,774 प्रमाण पत्र व्यापारी निर्यातक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 194 प्रमाण पत्र निर्माता निर्यातक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(आ) इलायची डीलर और नीलामी कर्ता लाइसेंस

कोई भी व्यक्ति जो नीलामीकर्ता या डीलर के रूप में इलायची का व्यवसाय करना चाहता है, उसके पास इलायची लाइसेंसिंग और विपणन नियम, 1987 के अनुसार बोर्ड से वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। तदनुसार, इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए नीलामीकर्ता और डीलर लाइसेंस बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं। नीलामीकर्ता और ब्यौहारी लाइसेंस तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए

जारी किए जाते हैं और वर्तमान ब्लॉक अवधि (2020-23), 31 अगस्त 2023 तक है। व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड इलायची ब्यौहारी और नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी करने के लिए 1 अगस्त 2022 से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) में शामिल हो गया है।

ब्लॉक अवधि 2020-23 के दौरान, बोर्ड ने पूरे भारत में 668 इलायची ब्यौहारी लाइसेंस (629 छोटी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस और 39 बड़ी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस) जारी किए, जिनमें से 141 लाइसेंस (139 छोटी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस और 2 बड़ी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किए गए। इसके अलावा, ब्लॉक अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा बारह ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस और पांच मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ii) इलायची की नीलामी

(अ) क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली की स्थापना

बोर्ड ने 2007 में बोडिनायकनूर (तमिलनाडु) और पुट्टुडी (केरल) स्थित नीलामी केंद्रों पर छोटी इलायची के लिए ई-नीलामी प्रणाली की शुरुआत की, जो कि पूर्ववर्ती पारंपरिक आउटक्राई प्रणाली की जगह थी। यह प्रणाली इलायची उद्योग को बहुत अच्छी तरह से सेवा दे रही है और इसने लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति में योगदान दिया है। ई-नीलामी प्रणाली के लिए नीलामी केंद्रों पर डीलरों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जो राज्य की सीमाओं के पार लगातार यात्रा की मांग करती है। साथ ही, ई-नीलामी एक विशेष केंद्र में केवल वैकल्पिक दिनों में आयोजित की गई थी। नीलामी में भौतिक भागीदारी में व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान, बोर्ड ने एक नवंबर 2021 से क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी की शुरुआत की, जिसने दोनों नीलामी केंद्रों को वर्चुअली लिंक करने और एक साथ संचालन करने में सक्षम बनाया। इस प्रणाली में, किसान और ब्यौहारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नीलामी केंद्र से इलायची की नीलामी में भाग ले सकते हैं, जबकि पहले की प्रणाली में किसानों और ब्यौहारियों को नीलामी में भाग लेने के लिए संबंधित नीलामी केंद्रों तक जाना पड़ता था। बोर्ड ने वित्त



वर्ष 2022-23 के दौरान भी क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली को जारी रखा। क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली ने नीलामी में खरीदार की भागीदारी बढ़ाने में मदद की है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति संभव हो सकी है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने ब्यौहारियों द्वारा इलायची की पूर्लिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए हस्तक्षेप जारी रखा और ब्यौहारियों द्वारा पूर्लिंग के लिए 25 मीटर टन की सीमा जारी रखी गई। वर्ष 2022-23 (अगस्त - जुलाई) की अवधि के दौरान पुट्टडी और बोडिनायकनूर में बोर्ड के नीलामी केंद्रों पर आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से कुल 27,843 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बेची गई।

(आ) नागालैंड में बड़ी इलायची की ई-बिक्री

स्पाइसेस बोर्ड ने नागालैंड राज्य में 28 अक्टूबर, 2022 को बड़ी इलायची की ई-बिक्री के लिए मेसर्स एम-जंक्शन के सहयोग से एक पायलट परियोजना शुरू की। इस पायलट परियोजना से बड़ी इलायची के किसानों के लिए आसान विपणन विकल्प लाने की उम्मीद है, जिनमें से अधिकांश उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं और खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे और उत्पादकों को बेहतर कीमत दिलाने में योगदान देंगे।

(इ) इलायची के लिए विशेष नीलामी

बोर्ड ने 22.10.2022 से नाशीजीवनाशकों और कृत्रिम रंगों के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण की गई इलायची के लिए एक अलग विपणन चैनल की सुविधा हेतु पायलट आधार पर प्रयोगशाला में परीक्षण की गई इलायची की विशेष ई-नीलामी शुरू की है। इलायची के लिए महीने में एक बार विशेष नीलामी आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और आईपीएम (एकीकृत कीट प्रबंधन) इलायची के निर्यात सोर्सिंग की सुविधा प्रदान करना है, जो कीटनाशक एमआरएल का अनुपालन करती है, और जो कृत्रिम हरे रंग से मुक्त होती है। वर्तमान में, दो कृत्रिम रंग (ब्रिलियंट ब्लू और टार्ट्राज़िन) और छह नाशीजीवनाशकों, अर्थात् एसिटामिप्रिड, साइहलोथिन (लैम्ब्डा साइहलोथिन शामिल हैं), साइपरमेथिन (अल्फा और जेटा साइपरमेथिन सहित), प्रोफेनोफोस, ट्रायज़ोफोस और डिथियोकार्बामेट्स का परीक्षण किया जा रहा है और केवल उन इलायची लॉट का परीक्षण किया जा रहा है, जो निर्धारित मानकों का अनुपालन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विशेष ई-नीलामी में रखा जाता है।

यदि नमूने विशेष ई-नीलामी में रखने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो बोर्ड किसानों को चालान में छूट के रूप में परीक्षण शुल्क के 1/3 सीमा तक सहायता प्रदान करता है। यदि नमूनों को विशेष ई-नीलामी में रखने के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है तो किसान को चालान के अनुसार कुल परीक्षण शुल्क वहन करना होगा। यदि डीलर विशेष ई-नीलामी में इलायची की पूर्लिंग कर रहे हैं, तो उन्हें नमूनों का पूरा परीक्षण शुल्क वहन करना होगा, भले ही नमूनों को विशेष ई-नीलामी में रखने के लिए मंजूरी दे दी गई हो या नहीं।

(iii) अनिवार्य नमूनन और परीक्षण

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 के प्रावधानों के तहत, स्पाइसेस बोर्ड आयातक देश की आवश्यकताओं, निर्यात अलर्ट की पिछली घटनाओं, जोखिम मूल्यांकन के आधार पर चयनित गंतव्यों के लिए कुछ मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों का अनिवार्य नमूनन और परीक्षण कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, परीक्षण किए गए मापदंडों और मसालों में समय-समय पर संशोधन के साथ, मसाला खेपों के अनिवार्य नमूने, परीक्षण और निकासी को जारी रखा है।

अनिवार्य नमूनन और परीक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, बोर्ड ने 2022-23 के दौरान विभिन्न देशों में निर्यात के लिए मसालों और मसाला उत्पादों के 79,116 नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंग, बाहरी पदार्थ, नाशीजीवनाशक अवशेष, साल्मोनेला, ईटीओ इत्यादि जैसे 1,32,806 मापदंडों का विश्लेषण किया। इसके अलावा, बोर्ड ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेप के लिए 5,723 आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किए।

व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए, बोर्ड ने 25 मई 2022 से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ऑनलाइन परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तावित की, जो सभी आयातक देशों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। परीक्षण रिपोर्ट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए रिपोर्ट पर एक क्यूआर कोड लगाया जाता है।

(iv) स्पाइसेस पार्क, जोधपुर में क्यूईएल की स्थापना

मसाला पार्क, जोधपुर के प्रशासनिक भवन में स्थापित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) का डिजिटल



उद्घाटन स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए.जी. तंकप्पन और मसाला बोर्ड के सचिव श्री डी. सत्यन आईएफएस ने श्रीमती अनुश्री पूनिया, सदस्य स्पाइसेस बोर्ड भारत की उपस्थिति में संयुक्त रूप से 20 अप्रैल 2022 को किया। प्रयोगशाला बीजीय मसालों, विशेष रूप से ज़ीरा, जो वाणिज्य की एक प्रमुख वस्तु है, में भौतिक मापदंडों जैसे बाहरी पदार्थ, अन्य बीज, एएसटीए द्वारा निर्दिष्ट पैरामीटर, स्तनधारी मल आदि के परीक्षण के लिए सुसज्जित है।

(v) मसालों के सीमा शुल्क नमूनों का परीक्षण

बोर्ड उपज मूल्यांकन और मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) के निर्धारण के लिए डीजीएफटी को सिफारिश प्रदान करने हेतु अग्रिम प्राधिकरण योजना (एएएस) के तहत देश में आयातित मसालों और मसाला उत्पादों के सीमा शुल्क से नमूने प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों और मसाला उत्पादों की आयात खेप में 303 नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई।

(vi) भौगोलिक संकेत पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने जीआई रजिस्ट्री से 5 मसालों जैसे मालाबार काली मिर्च, एलेप्पी हरी इलायची, कूर्ग हरी इलायची, गुंटूर सन्म मिर्च और ब्यादागी मिर्च के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है और वह इन पांच जीआई टैग मसालों का पंजीकृत मालिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने एनओसी जारी करके जीआई रजिस्ट्री

से उपरोक्त मसालों के लिए प्राधिकृत प्रयोक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में किसानों/किसान समूहों की सहायता की।

(vii) क्रेता-विक्रेता बैठकें, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्यात प्रक्रियाओं, आयात दस्तावेज़ीकरण आदि पर हितधारकों को ज्ञान प्रदान करने और उन्हें मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए, बोर्ड उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इसके अलावा, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बाजार संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड मसालों के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को लक्षित करते हुए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कर रहा है।

(अ) क्रेता-विक्रेता बैठकें

मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और मसालों की निर्यात सोर्सिंग के लिए एवं सीधे बाजार संपर्क संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से, बोर्ड मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों के बीच सीधी बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित कर रहा है।

(i) घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठकें

घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठक किसानों के समूहों और निर्यातकों के बीच सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान करती है और निर्यात क्षेत्र की गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्यकताओं पर सूचना के आदानप्रदान की सुविधा के अलावा, निर्यात सोर्सिंग को मजबूत करने में मदद करती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं।

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	श्रीनगर, जम्मूकश्मीर (यूटी) में केसर के लिए क्रेताविक्रेता बैठक	17 से 18 अक्टूबर 2022
2	अरक्कू घाटी, आंध्र प्रदेश में काली मिर्च के लिए क्रेताविक्रेता बैठक	28 से 29 नवंबर 2022
3	हुबली, कर्नाटक में क्रेताविक्रेता बैठक	22 दिसंबर 2022
4	मडिकेरी, कूर्ग कर्नाटक में मसालों के लिए क्रेताविक्रेता बैठक	24 जनवरी 2023
5	निज़ामाबाद, तेलंगाना में हल्दी के लिए क्रेताविक्रेता बैठक	22 फरवरी 2023
6	उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुदीना पर मार्केट लिंकेज कार्यक्रम	18 मार्च 2023
7	मुंबई, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए मसालों पर क्रेताविक्रेता बैठक	24 मार्च 2023

(ii) अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें

स्पाइसेस बोर्ड, दूतावासों/मिशन के सहयोग से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें (आईबीएसएम) आयोजित कर रहा है। आईबीएसएम में भारतीय मसाला निर्यातकों, संबंधित देशों के प्रमुख आयातकों, व्यापार संघों, वाणिज्य मंडलों, प्रमुख

सुपरमार्केट श्रृंखलाओं/विभागीय स्टोरों आदि की भागीदारी शामिल है, यह आयोजन भारतीय निर्यातकों को पूरे विश्व में आयातकों के साथ सीधे व्यापार संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं।



क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) और मसाला कॉन्क्लेव, गुवाहाटी, असम	30 जून और 1 जुलाई 2022
2	भारतीय मसालों के लिए चीन पर केन्द्रित ऑनलाइन क्रेता-विक्रेता बैठक	20 मार्च 2023

मसाला उद्योग के हितधारकों ने गहरी रुचि दिखाई है और बीएसएम में सक्रिय रूप से भाग लिया है, ताकि बाजार संपर्क बनाने के लिए मंच का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

(आ) उद्यमिता विकास कार्यक्रम

मसाले और मूल्य योजित मसाला उत्पाद विश्व बाजार में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, जिससे स्पाइस प्रसंस्करण और मूल्ययोजन में उद्यमशीलता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। स्पाइसेस बोर्ड, प्रगतिशील हितधारकों को मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आकर्षित, प्रेरित और सुसज्जित करने के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें पूरे भारत से प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मसाला निर्यात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर संवेदनशील और शिक्षित करना है, जिसमें निर्यात दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया, गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, निर्यात के लिए नियामक आवश्यकताएं, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, निर्यात रसद, निर्यात डेटा और रुझानों का विश्लेषण शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने आठ उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आभासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम	29 जुलाई 2022
2	सिक्किम और उत्तरी बंगाल के मसाला हितधारकों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम	24 अगस्त 2022
3	दिल्ली के मसाला हितधारकों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम	29 30 नवंबर 2022

घ. अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी)

अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के तत्वावधान में एक अंतरसरकारी संगठन है। समुदाय में अब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम स्थायी सदस्य और पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं। समुदाय एक गैरलाभकारी संगठन है जिसे वैश्विक कालीमिर्च उद्योग के लिए आम मुद्दों पर चर्चा करने और वैश्विक कालीमिर्च उद्योग की बेहतरी के लिए समाधान खोजने के लिए एक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर आईपीसी के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। आईपीसी ने वर्तमान और उभरते मुद्दों के समाधान के लिए कालीमिर्च के अनुसंधान एवं विकास, विपणन और गुणवत्ता मूल्यांकन के संबंध में नीतियों और विशिष्ट रणनीतियों को तैयार करने के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया है। प्रमुख समितियाँ हैं:

(अ) अनुसंधान व विकास पर आई पी सी समिति (अनुसंधान)

अनुसंधान और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी) की 11वीं बैठक आईपीसी सचिवालय द्वारा 5 जुलाई 2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों ने आभासी बैठक में भाग लिया। बैठक में डॉ. ए.बी. रमा श्री, निदेशक (अनुसंधान) स्पाइसेस बोर्ड, भारत सरकार को अध्यक्ष और श्री आनंद सुबासिंधे, निदेशक (अनुसंधान), निर्यात कृषि विभाग, श्रीलंका सरकार को बैठक का उपाध्यक्ष चुना गया।

(आ) विपणन पर आईपीसी समिति

विपणन पर आईपीसी समिति की 8वीं बैठक 29 अगस्त 2022 को कुलालपुर में आयोजित की गई थी। बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। श्री बी.एन. झा, प्रभारी निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक में भाग लिया।



(इ) गुणवत्ता पर आई पी सी समिति

डॉ. ए.बी. रमा श्री, निदेशक; सुश्री श्रीलता सी.एम., और डॉ. रमेश बाबू एन. स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिकों ने गुणवत्ता पर आईपीसी समिति की 28वीं बैठक में भाग लिया, जो 11 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बोर्ड के अधिकारियों ने काली मिर्च के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को कवर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की; एसटीडीएफ परियोजना; खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत (एफएसएसआई) साबुत और पिसी हुई काली मिर्च आदि के आयात और घरेलू खपत के लिए मानक।

ड. मसालों के निर्यात के लिए किए गए प्रमुख हस्तक्षेप

चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ कस्टम्स ऑफ़ चाइना (जीएसीसी), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (पीआरसी) ने आयातित खाद्य पदार्थों के विदेशी निर्माताओं के पंजीकरण और प्रशासन पर विनियम लागू किया है, और 14 श्रेणियों के विदेशी उत्पादन उद्यमों के पंजीकरण के लिए निर्धारित किया है जिसमें वर्ष 2021 के दौरान मसालों सहित खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं। तदनुसार, चीन को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की उपरोक्त श्रेणियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में शामिल प्रतिष्ठानों को पहले जी ए सी सी द्वारा चीन आयात खाद्य उद्यम पंजीकरण (CIFER) प्रणाली में पंजीकृत होना आवश्यक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जीएसीसी ने पिसे हुए और बिना पिसे हुए मसालों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विभाजित कर दिया और बिना जमीन/असंसाधित मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात में शामिल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को जीएसीसी के पशु और पादप संगरोध विभाग (डीएपीक्यू) को सौंप दिया गया है। तदनुसार, बोर्ड ने चीन को कच्चे मसालों के निर्यातकों के डीएपीक्यू पंजीकरण की सुविधा प्रदान की और नए निर्यातकों को जोड़कर पंजीकृत निर्यातकों की सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

च. दूतावास/अन्य देशों के अधिकारियों का दौरा

आ. भारत के माननीय राजदूत की लाइबेरिया यात्रा

लाइबेरिया में भारत के माननीय राजदूत श्री प्रदीप कुमार यादव ने 11 अप्रैल 2022 को स्पाइसेस बोर्ड का दौरा किया और लाइबेरिया में भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। लाइबेरिया में भारत के माननीय राजदूत श्री प्रदीप कुमार यादव ने लाइबेरिया में मसाला उत्पादन और खपत की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी और लाइबेरिया में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचारविमर्श किया।

छ. भारतीय मसालों के लिए ब्लॉक चेन-सक्षम ट्रेसिबिलिटी सिस्टम

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत की एक्सेलेरेटर लैब और स्पाइसेस बोर्ड ने व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसिबिलिटी इंटरफ़ेस बनाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ब्लॉकचेन, एक खुले और साझा इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते पर लेनदेन को रिकॉर्ड करने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया है, जो किसानों, दलालों, वितरकों, प्रोसेसर, खुदरा विक्रेताओं, नियामकों और उपभोक्ताओं सहित एक जटिल नेटवर्क में डेटा प्रबंधन में आसानी और पारदर्शिता की अनुमति देती है, जिससे आपूर्ति सरल हो जाती है।

ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म के निर्माण का पायलट चरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। बोर्ड ने यूएनडीपी के सहयोग से इस पहल को एक पूर्ण ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म तक बढ़ाने और अन्य मसालों और मसाले उगाने वाले क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव रखा है। स्केल अप प्रोजेक्ट में आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसिबिलिटी के अन्य वर्टिकल, जैसे निर्माता/निर्यात ट्रेसिबिलिटी, कंसाइनमेंट/क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रेसिबिलिटी और एक्सपोर्ट अलर्ट ट्रेसिबिलिटी को कवर करने का प्रस्ताव है। यूएनडीपी के सहयोग से परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रालय को सौंप दिया गया है और अनुमोदन की प्रतीक्षा है।



व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, नीलामी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता/ वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट/ सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई) द्वारा प्रदान किया गया निर्यात/आयात डेटा भारत से मसालों के अनुमानित निर्यात/आयात को संकलित करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। बोर्ड मासिक आधार पर मसालों के निर्यात विवरण और वार्षिक आधार पर मसालों के आयात विवरण संकलित कर रहा है और नियमित आधार पर अपनी वेबसाइट और मंत्रालय/ विभागों के माध्यम से हितधारकों को मसालों के निर्यात और आयात के आंकड़े प्रसारित कर रहा है। इस उद्देश्य से, बोर्ड कोचीन, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रापोल, मोहाधीपुर, रक्सुअल, अमृतसर, आदि जैसे सभी प्रमुख बंदरगाहों और डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता से डीएलई और डीएलआई दोनों नियमित रूप से एकत्र कर रहा है, और इस उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की जाती है।

बोर्ड अपनी वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से नियमित आधार पर भारत और विदेशों में स्थित प्रमुख बाजारों से सम्बंधित मसालों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संकलन और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक प्रसार कर रहा है। मूल्य विवरणों को एकत्र करने का प्रमुख स्रोत इंडिया पिपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन; एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी; मर्चेंट एसोसिएशन; इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जिनेवा; और इंटरनेशनल पिपर कम्युनिटी, इंडोनेशिया जैसी एजेंसियां हैं। इन सभी सूचनाओं को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन तरीके से एकत्र किया जाता है।

चूँकि स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन

के विकास के लिए जिम्मेदार है, इसलिए व्यापार सूचना सेवा द्वारा बोर्ड के फील्ड सेट अप के माध्यम से किए गए फील्ड सैंपल अध्ययन की सहायता से इलायची के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता है। संकलन के लिए अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी/ कृषि/बागवानी विभागों/डीएएसडी से एकत्र किया जाता है। सभी मसालों के क्षेत्र और उत्पादन की जानकारी बोर्ड के प्रकाशनों के साथ-साथ वेबसाइट के माध्यम से पणधारियों और नीति निर्माताओं को प्रसारित की जाती है।

निर्यातकों का पंजीकरण (विनियम) के अनुसार, मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को अपनी तिमाही निर्यात विवरणी बोर्ड को प्रस्तुत करनी होती है। व्यापार सूचना सेवा पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक निर्यात विवरणियों को संकलित करती है और मसालों के निर्यातक-वार निर्यात के डेटाबेस का रखरखाव करती है। इस डेटाबेस का उपयोग करके, प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों का विवरण संकलित किया जाता है और उनके अनुरोध के आधार पर सरकारी कार्य /हितधारकों तक प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची के व्यापार के लिए बोडिनायकन्नूर और पुट्टुडी में बोर्ड द्वारा विकसित ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से ई-नीलामी आयोजित कर रहा है। इलायची की नीलामी की दैनिक मात्रा और कीमत का विवरण दैनिक आधार पर संकलित और हमारी वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। नीलामी बिक्री और औसत कीमतों का समेकित विवरण बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से संकलित और प्रसारित किए जाते हैं।

प्रमुख विदेशी बाजारों सहित विभिन्न बाजार केंद्रों के लिए विभिन्न मसालों के साप्ताहिक घरेलू मूल्य का संकलन उद्योग के हितधारकों के लाभ के लिए साप्ताहिक आधार पर (वेबसाइट पर) स्पाइसेस मार्केट नामक बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से एकत्र, संकलित और प्रकाशित किए जाते हैं।



क. मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2021-22 की तुलना में, 2022-23 के लिए छोटी व बड़ी इलायची का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

तालिका 1 और तालिका 2 में दी गई है। अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका 3 में दिए गए हैं।

तालिका 1 - इलायची (छोटी) का क्षेत्र व उत्पादन

राज्य	2021-22				2022-23			
	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)
केरल	39143	29426	21270	722.85	40345	30295	22165	731.64
कर्नाटक	25135	14414	697	48.36	25135	14548	833	57.23
तमिल नाडु	4912	2786	1373	492.79	4930	2781	1466	527.18
कुल	69190	46626	23340	500.58	70410	47624	24463	513.68

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका 2 - इलायची (बड़ी) का क्षेत्र व उत्पादन

राज्य	2021-22				2022-23			
	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे. टन)	उपज (कि. ग्रा./हे.)
सिक्किम	23312	17189	4990	290.30	23312	17281	5147	297.84
पश्चिम बंगाल	3305	3159	1044	330.48	3305	3159	1076	340.49
अरुणाचल प्रदेश	11684	6853	1695	247.31	11912	6953	1751	251.78
नागालैंड	6537	4280	1079	252.05	6650	4298	1096	254.98
मणिपुर	201	52.39	4.5	85.70	217	64	4.74	74.11
कुल	45039	31533	8812	279.45	45396	31755	9074	285.76

स्रोत: स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका 3 - प्रमुख मसालों का क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में, उत्पादन टनों में)

मसाला	2021-22		2022-23 (*)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	283962	70000	278050	64000
मिर्च	882000	1836222	852413	1957635
अदरक (ताज़ा)	210016	2503325	205899	2431521
हल्दी (शुष्क)	333024	1221717	323838	1161025
धनिया	553099	735280	638652	847190
जीरा	869186	555789	902010	627031
अजवाइन	4568	6557	4444	6313
बड़ी सौंफ	64922	114971	82142	137408
मेथी	168716	252063	146363	226305
लहसुन	431218	3523436	407208	3368821
इमली	40345	152409	44056	162148
लौंग	1924	1209	2086	1224
जायफल	23353	18429	23924	16077
अन्य सहित कुल योग	4388955	11125010	4437870	11140980
मिलियन टन में कुल योग		11.12		11.14

स्रोत: राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग/सुपारी व मसाले विकास निदेशालय, कोषिककोड; कालीमिर्च उत्पादन व्यापार आकलन; इलायची का स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमानित (*) पहला अग्रिम आकलन



ख. इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और कीमतें

वर्ष 2022-23 (अगस्त 2022 जुलाई 2023) और वर्ष 2021-22 (अगस्त 2021 जुलाई 2022) के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारत औसत कीमतें तालिका 4 में दी गई हैं।

तालिका 4 - इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और मूल्य
(मात्रा टनों में, मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

राज्य	2021-22 (अगस्त - जुलाई)		2022-23 (अगस्त - जुलाई)	
	बेची गई मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य	बेची गई मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य
केरल और तमिलनाडु (इ-नीलामी)	28959	1002.23	27843	1086.66
कर्नाटक	11	710.01	13	721.84
महाराष्ट्र	66	927.41	101	1172.37
कुल	29036	934.94	27957	1086.81

स्रोत: लाइसेंसधारी नीलामीकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टें

ग. इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए गंगटोक और सिलिगुड़ी बाजारों में इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें तालिका 5 में दी गई हैं।

तालिका 5 - इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें
(मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

केंद्र	ग्रेड	2021-22	2022-23
गंगटोक	बड़ादाना	589.38	562.19
सिलिगुड़ी	बड़ादाना	657.32	684.79

स्रोत: प्रादेशिक कार्यालय, गंगटोक से प्राप्त

घ. अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं। इन कीमतों को गौण, स्रोतों, जैसेकि चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडियन पेप्पर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (आई पी एस

टी ए), मर्चेन्ट्स एसोसिएशन आदि द्वारा तैयार की गई बाजार समीक्षाओं से एकत्रित किया गया है। मुख्य बाजार केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें नीचे तालिका 6 में दी गई हैं।

तालिका 6 - मुख्य विपणन केन्द्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें
(मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

मसाला	विपणि	2021-22	2022-23(*)
कालीमिर्च (एम जी-1)	कोच्ची	460.53	514.03
मिर्च	गुंटूर	112.67	164.69
हल्दी	चेन्नई	114.85	98.09
धनिया	चेन्नई	95.89	118.36
जीरा	चेन्नई	176.09	301.20
बड़ी सौंफ	चेन्नई	140.10	187.36
मेथी	चेन्नई	88.69	81.86
लहसुन	चेन्नई	73.89	42.58
खसखस बीज	चेन्नई	1572.21	1381.40
अजोवन बीज	चेन्नई	170.62	183.71
सरसों	चेन्नई	84.90	81.67
इमली	चेन्नई	134.60	123.86
केसर	दिल्ली	174430.50	159270.83
लौंग	कोच्ची	699.69	808.58
जायफल (छिलका सहित)	कोच्ची	264.91	280.56
जायफल (छिलका रहित)	कोच्ची	524.25	551.19
जावित्री	कोच्ची	1031.56	1005.40

(*): अनंतिम



ड. भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 2.80 प्रतिशत की गिरावट और रुपये के मूल्य के संदर्भ में 4.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2021-22 (संशोधित) के दौरान के 4,068.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर (31,761.38 करोड़ रुपये) के मुकाबले 3,952.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 31,761.38 करोड़) के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2022-23 में रुपया-डॉलर विनिमय दर 7.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74.54 से गिरकर 80.36 हो गई है। यदि डॉलर पिछले वर्ष के समान स्तर पर रहता, तो मसालों के निर्यात का मूल्य 4,261 मिलियन अमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष की तुलना में 4.74 प्रतिशत अधिक) होता। दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्यहास में आई कमी से मसालों की घरेलू कीमत में बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, हल्दी, धनिया, लहसुन जैसे मसालों, अन्य बीजों के तहत वर्गीकृत कुछ बीजीय मसालों जैसे अजवान, सौंफ, सोआ बीज आदि और अन्य मसालों के तहत हींग, दालचीनी, कैसिया जैसे मसालों के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि देखी गई है। मिर्च और जीरा के मामले में, घरेलू कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत अधिक) ने निर्यात की मात्रा में कमी ला दी है। इकाई मूल्य में वृद्धि ने मात्रा में गिरावट की भरपाई की और निर्यात मूल्य प्राप्ति में वृद्धि दर्ज की गई। मूल्यवर्धित उत्पादों के मामले में, करी पाउडर/पेस्ट का निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान अन्य सभी मसालों में गिरावट का रुख देखा

गया है। अप्रैल 2021 मार्च 2022 की तुलना में अप्रैल 2022 मार्च 2023 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात तालिका 7 के रूप में दिया गया है।

च. 2022-23 के दौरान प्रमुख योगदानकर्ता और गंतव्य

वर्ष 2022-23 में, मात्रा के हिसाब से मसाला निर्यात टोकरी में योगदान देनेवाले प्रमुख मसाले हैं मिर्च (33 प्रतिशत), जीरा (13 प्रतिशत), मसाला तेल व तैलीराल (13 प्रतिशत), पुदीना उत्पाद (11 प्रतिशत), हल्दी (पाँच प्रतिशत), करी पाउडर (चार प्रतिशत), छोटी इलायची (तीन प्रतिशत) और कालीमिर्च (दो प्रतिशत) जिन्होंने कुलमिलाकर मसालों के कुल निर्यात अर्जन में 80 प्रतिशत का योगदान किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय मसालों के प्रमुख गंतव्य चीन (20 प्रतिशत), यू एस ए (14 प्रतिशत), बांग्लादेश (सात प्रतिशत), यू ए ई (छह प्रतिशत), थाईलैंड (पाँच प्रतिशत), इंडोनेशिया (चार प्रतिशत), मलेशिया (चार प्रतिशत), यू के (तीन प्रतिशत), श्रीलंका (तीन प्रतिशत), जर्मनी (दो प्रतिशत), नेथरलैंड (दो प्रतिशत), नेपाल (दो प्रतिशत) रहे जो मसालों के निर्यात अर्जन में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहे हैं।

शीर्ष 11 गंतव्यों में से, सात प्रमुख गंतव्यों पर निर्यात में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि देखी गई है। मसालों के निर्यात में गिरावट का कारण आम तौर पर प्रमुख आयातक देशों द्वारा लगाए गए कड़े गुणवत्ता मानदंडों के साथ-साथ भारत में मिर्च और जीरा जैसे मसालों की घरेलू कीमत में वृद्धि को माना जा सकता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं को अप्रतिस्पर्धी बना दिया है।



तालिका 7
वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

वस्तु	अप्रैल-मार्च 2022-23 (अंतिम)			अप्रैल-मार्च 2021-22 (संशोधित)			में परिवर्तन		
	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख में)	मूल्य (मिलियन डॉलर में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख में)	मूल्य (मिलियन डॉलर में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख में)	मूल्य (मिलियन डॉलर में)
मिर्च	516176.96	1044412.31	1299.73	557143.98	858458.36	1151.23	-7%	22%	12%
जीरा	186508.79	419359.76	522.11	216970.69	334367.40	449.34	-14%	25%	16%
मसाला तेल व तैलीय तेल	18398.15	408551.25	510.40	21920.45	447823.73	601.09	-16%	-9%	-15%
पुदीना उत्पाद (2)	26708.33	357386.49	445.52	36253.84	444144.18	595.95	-26%	-20%	-25%
अन्य मसाले (3)	82951.61	172437.92	209.16	72036.00	136524.49	183.14	15%	26%	14%
हल्दी	170085.36	166699.49	208.00	152757.59	153442.05	205.81	11%	9%	1%
करी पाउडर/पेस्ट	57924.18	141689.27	176.19	52479.32	115836.50	155.34	10%	22%	13%
इलायची(छोटी)	7352.33	87514.87	109.72	10571.06	137566.95	184.46	-30%	-36%	-41%
कालीमिर्च	17958.16	72686.41	90.83	21862.94	75331.23	101.02	-18%	-4%	-10%
धानिया	54481.49	66501.19	82.61	48656.09	48247.51	64.70	12%	38%	28%
अन्य मसाले (1)	57430.73	48089.08	60.25	47166.53	40445.48	53.93	22%	19%	12%
अदरक	50884.83	43246.06	54.05	147677.23	83651.76	112.30	-66%	-48%	-52%
बड़ी सोंफ	21200.62	31437.42	39.23	40138.68	41197.20	55.39	-47%	-24%	-29%
मेथी	35054.71	26680.17	33.41	32402.30	26285.83	35.28	8%	2%	-5%
लहसुन	57346.13	24579.64	30.59	22134.92	18575.04	24.90	159%	32%	23%
जायफल व जावित्री	3446.84	22127.57	27.55	3596.72	21798.86	29.23	-4%	2%	-6%
इमली	33316.71	21263.37	26.47	37333.01	23433.40	31.44	-11%	-9%	-16%
इलायची (बड़ी)	1883.49	13720.19	17.10	1981.11	15448.21	20.64	-5%	-11%	-17%
अजवाइन	5247.53	7755.76	9.68	7578.95	9854.19	13.24	-31%	-21%	-27%
कुल	1404356.95	3176138.22	3952.60	1530661.41	3032432.44	4068.45	-8.3%	4.7%	-2.8%

स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय /डीजीसीआई व एस, कोलकाता


(1) में मसाले का पौधा (अजोवन बीज), सोआ बीज, खसखस बीज, सोंफ, सरसों आदि शामिल हैं।

(2) में मेंथोल, मेंथाल क्रिस्टल और पुदीना तेल शामिल हैं।

(3) में हींग, दालचीनी, कैसिया, केम्बाज, केसर, मसाले (एन ई एस) आदि शामिल हैं।




भारतीय मसाला निर्यात बास्केट के प्रमुख योगदानकर्ता



मद	मूल्य
मिर्च	1,044,412.31
जीरा	419,359.76
मसाला तेल व तैलीराल	408,551.25
पुदिना उत्पाद	357,386.49
हल्दी	166,699.49
करी पाउडर/पेस्ट	141,689.27
इलायची (छोटी)	87,514.87

मद	मूल्य
कालीमिर्च	72,686.41
धनिया	66,501.19
अनुया मसाले	48,089.08
अदरक	43,246.06
बड़ी सौंफ	31,437.42
मेथी	26,680.17
अन्य	261,884.45

प्रमुख गंतव्य



देश	मूल्य (करोड़ रुपए में)
चीन	6391.64
यू एस ए	4467.40
बांगलादेश	2076.65
यु एस ए	1945.99
थाईलैंड	1498.08
मलेशिया	1205.61
ईंडोनेशिया	1199.12
श्रीलंका	932.65
यू के	868.51
सऊदी अरब	747.90
जर्मनी	732.03
नेतरलैंड	574.85

देश	मूल्य (करोड़ रुपए में)
नेपाल	559.17
जापान	439.74
ऑस्ट्रेलिया	426.89
सिंगापुर	425.24
कनाडा	422.94
दक्षिण अफ्रिका	335.96
फ्रेंस	335.94
कोरिया (दक्षिण)	325.23
मोरोक्को	307.80
वियतनाम (दक्षिण)	305.96
अन्य	5236.08



प्रचार एवं संवर्धन

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान, प्रचार और संवर्धन अनुभाग ने मसाला बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और देश से मसालों के निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया। भारतीय मसालों, विभिन्न मूल्य वर्धित मसाला उत्पादों, उपयोगों और लाभों आदि पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर प्रचार अवसर का उपयोग किया गया था। वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान विभिन्न चैनलों का उपयोग करके मसाला बोर्ड की गतिविधियों और योजनाओं पर जानकारी भी प्रसारित की गई।

वर्ष 2022-23 की प्रमुख विशेषताओं में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विज्ञापन अभियानों, ऑनलाइन प्रचार अभियानों और पत्रिकाओं, ब्रोशर आदि के मुद्रण और प्रकाशन में भागीदारी शामिल है।

क. प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भागीदारी

व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी मसाला उद्योग के विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन उपकरणों में से एक है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड ने प्रमुख व्यापार मेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और भाग लेने वाले मेलों की सूची नीचे दी गई है।

मसाला बोर्ड द्वारा भाग लिए गए घरेलू मेलों की सूची

क्र. मांक	इवेंट का नाम	स्थान	इवेंट दिनांक
1.	उत्तर प्रदेश मसाला सम्मेलन और एक्सपो 2022	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	19 अप्रैल, 2022
2.	भाकृअनुप कल्प वज्र	कायमकुलम, कोल्लम	24 अप्रैल, 2022
3.	केएडीएस ग्रीन फेस्ट 2022	थोडुपुझा, केरल	25 अप्रैल से 01 मई 2022 तक
4.	आहार 2022	नई दिल्ली	26-30 अप्रैल, 2022
5.	नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022	शिलांग, मेघालय	05-07 मई, 2022
6.	करशाकाश्री 2022	कोट्टायम, केरल	11-15 मई, 2022
7.	लोकतंत्र की शक्ति राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन	त्रिवेंद्रम, केरल	26-27 मई, 2022
8.	एग्रो फूड एंड बेवरेज प्रो वर्ल्ड एक्सपो 22	मुंबई	09-11 जून, 2022
9.	केरल बिजनेस टू बिजनेस मीट (व्यापार) 2022	कोच्चि, केरल	16-18 जून, 2022
10.	13 वां कृषि मेला	पुरी, ओडिशा	2024 जून, 2022
11.	इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो (आईएचई 2022)	दिल्लीएनसीआर	36 अगस्त, 2022
12.	एग्रो फूड एंड बेवरेज प्रो वर्ल्ड एक्सपो 22	गोवा	04-06 अगस्त, 2022
13.	भारत भौगोलिक संकेतक (जीआई) मेला 2022	दिल्लीएनसीआर	26-28 अगस्त, 2022
14.	बायोफैच इंडिया 2022	नई दिल्ली	13 सितंबर, 2022
15.	अन्नपूर्णा अनुफूड 2022	मुंबई	14-16 सितंबर, 2022
16.	एफ आई इंडिया एवं एच आई 2022	बंगलुरु	21-23 सितंबर, 2022
17.	मसाला सम्मेलन	एर्नाकुलम, केरल	27-28 सितंबर, 2022
18.	मातृभूमि कृषि उत्सव 2022	पलक्काडू, केरल	07-11 अक्टूबर, 2022
19.	राज्य स्तरीय किसान दिवस 2022	मदुरै	14-16 अक्टूबर, 2022



20.	विजन राजस्थान 2022	जालोर सिरोही, राजस्थान	01-03 नवंबर, 2022
21.	आईआईटीएफ भर्ती 2022	नई दिल्ली	14-27 नवंबर, 2022
22.	एसआईएएल इंडिया 2022	नई दिल्ली	01-03 दिसंबर, 2022
23.	7 वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी शो	खानापारा, गुवाहाटी।	17-19 दिसंबर, 2022
24.	कृषि एवं बागवानी मेला 2022 (कृषिमेला)	मुदिगेरे, कर्नाटक	23 दिसंबर, 2022
25.	इंडस फूड 2023	हैदराबाद	08-10 जनवरी, 2023
26.	कोचीन फ्लावर शो 2023	कोच्चि, केरल	13-22 जनवरी, 2023
27.	शाइनिंग मध्य प्रदेश 2023	उज्जैन, मध्य प्रदेश	18-20 जनवरी, 2023
28.	सम्रम्भका संगमम 2023	कोच्चि, केरल	21 जनवरी, 2023
29.	दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त राजभाषा सम्मेलन	त्रिवेंद्रम, केरल	27 जनवरी, 2023
30.	कृषि विजन 2023	भुवनेश्वर, ओडिशा	27-29 जनवरी, 2023
31.	एक्सपो ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट 2023 (एक्सपो वन)	गुवाहाटी, असम	03-05 फरवरी, 2023
32.	केवी थॉमस एंडोमेंट सेमिनार और एनटीएसी 2023 परचौथी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	थेवारा, कोच्चि	07-08 फरवरी, 2023
33.	7वीं वार्षिक मसाला बैठक	अंधेरी, मुंबई	03-04 मार्च, 2023
34.	आहार 2023	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	14-18 मार्च, 2023
35.	नवरोज महोत्सव	नई दिल्ली	19-20 मार्च, 2023

मसाला बोर्ड द्वारा भाग लिए गए अंतर्राष्ट्रीय मेलों की सूची

क्रमांक	इवेंट का नाम	स्थान	इवेंट दिनांक
1.	फाइन फूड ऑस्ट्रेलिया	मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया	58 सितंबर, 2022
2.	एसआईएएल	पेरिस, फ्रांस	15-19 अक्टूबर, 2022
3.	फूड एंड होटल एशिया (होरेका) 2022	सिंगापुर	25-28 अक्टूबर, 2022
4.	गलफूड मैनुफैक्चरिंग 2022	दुबई, संयुक्त अरब अमीरात	08-10 नवंबर, 2022
5.	फूडेक्स	टोक्यो, जापान	7-10 मार्च, 2023
6.	आईएफई मैनुफैक्चरिंग	लंदन, ब्रिटेन	20-22 मार्च, 2023

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना और दिशानिर्देशों के तहत भाग लिया कार्यक्रम

क्रमांक	इवेंट का नाम	स्थान	इवेंट दिनांक
1.	वर्ल्ड फूड मॉस्को 2022	मास्को, रूस	20-23 सितंबर, 2022

ख. पूर्वोत्तर मसाला उद्योग के समावेशी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक और मसाला सम्मेलन
पूर्वोत्तर मसाला समुदाय को वैश्विक मसाला समूह से जोड़ने के उद्देश्य से, 30 जून और 01 जुलाई 2022 के दौरान गुवाहाटी, असम में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (आईबीएसएम) और मसाला सम्मेलन का आयोजन किया गया। असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 30 जून, 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के माननीय कृषि,

बागवानी, पशुपालन और पशु चिकित्सा, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री श्री तागे ताकी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित अतिथि थे।

दो-दिवसीय आईबीएसएम और मसाला सम्मेलन में किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और आठ पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कई दूरस्थ देशों के खरीदारों, निर्यातकों और आयातकों की भागीदारी ने इस आयोजन की धूमधाम और महिमा को बढ़ा दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक, स्वदेशी



मसालों की किस्मों द्वारा उच्च गुणवत्ता के उत्पादन और वितरण की वास्तविक क्षमता को जानने के अलावा, इस आयोजन ने इस क्षेत्र से आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने और बनाए रखने में उत्पादकों और खरीदारों दोनों की चिंताओं को साझा करने और नुकसान को दूर करने के लिए स्मार्ट समाधान सुझाने के लिए एक आम मंच भी प्रदान किया।

ग. ऑनलाइन प्रचार अभियान

प्रचार विभाग ने 2022-23 में भारतीय मसाला और मसाला बोर्ड की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंकडइन जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया। ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए, सोशल मीडिया अभियानों ने मसालों पर जागरूकता पैदा की, जिसमें वनस्पति और भौगोलिक जानकारी, व्यापार डेटा, चिकित्सीय और पाक पहलू आदि शामिल हैं।

घ. स्पाइस एक्सचेंज इंडिया मसाला बोर्ड का बी 2 बी पोर्टल

स्पाइस एक्सचेंज इंडिया (www.spicexchangeindia.com), मसाला बोर्ड का 3डी वर्चुअल पोर्टल 20 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था जो महामारी के कारण बाजार लिंकेज में बने अंतर को संबोधित करने और उसे दूर करने के लिए बनाया गया था। इस बी 2 बी पोर्टल से भारतीय मसाला उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार के अपार अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल से व्यापार करने में आसानी की सुविधा होने की उम्मीद है, और यह भारतीय मसाला ब्रांडों के लिए 24 x 7 वर्चुअल ऑफिस स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिफारिश मॉडल, बाजार की जानकारी और वैश्विक मसाला व्यापार डेटा तक पहुंच जैसी सुविधाओं से लैस है।

स्पाइस-एक्सचेंज इंडिया पोर्टल की सेवाएं 2022-23 की अवधि के दौरान ग्राहकों को प्रदान की गईं। स्पाइस एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म पर 17 से 27 अगस्त, 2022 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार मेले का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार मेले में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 100 से अधिक खरीदारों और भारत के 200

से अधिक निर्यातकों की भागीदारी देखी गई।

ड. पत्रिकाएँ

अ) स्पाइस इंडिया

आवधिक प्रकाशन, स्पाइस इंडिया पांच अलग-अलग भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है; अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल, मासिक के रूप में और तेलुगु में त्रैमासिक के रूप में। इस अवधि के दौरान पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित की गईं।

आ) विदेश व्यापार पूछताछ बुलेटिन (फोरिन ट्रेड एनक्वायरीज़ बुलेटिन)

मसाला बोर्ड मसालों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए विदेशी व्यापार मेलों, ईमेल और बोर्ड के कार्यालयों को विदेश व्यापार पूछताछ बुलेटिन (एफटीईबी) नामक पाक्षिक बुलेटिन के रूप में बोर्ड के कार्यालयों को सीधी पूछताछ से प्राप्त व्यापार पूछताछ का संकलन और प्रकाशन करता है। प्रकाशन ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है।

इ) अन्य प्रकाशन

वर्ष 2022-23 के दौरान मुद्रित पुस्तिकाएं और ब्रोशर थे:-

- क) भारत के जीआई मसाले (ईबुक और मुद्रित संस्करण)
- ख) अंग्रेजी और मलयालम में छोटी इलायची पैकेज ऑफ प्रैक्टिस
- ग) मसाला निर्यातकों के लिए प्रमुख योजनाओं पर सारसंग्रह
- घ) मसाला बोर्ड पर सामान्य विवरणिका

च. विज्ञापन जारी करना

मसाला बोर्ड में रिक्तियों, निविदाओं आदि के संबंध में विज्ञापन वर्ष के दौरान जारी किए गए थे। इनके अलावा, मसाला बोर्ड के बारे में सामान्य जानकारी और इलायची और विज्ञापनों के प्रचार के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन भी जारी किए गए थे।



छ. प्रेस विज्ञप्ति।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यात प्रदर्शन और प्रवृत्तियों, पहलों, गतिविधियों और मसाला बोर्ड द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों आदि का विवरण देने वाली प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

ज. जी20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठकों में स्पाइस अनुभव क्षेत्र।

भारत की जी 20 अध्यक्षता के संबंध में, व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक 28-30 मार्च 2023 के दौरान मुंबई में आयोजित की गई थी और आयोजन स्थल पर मसालों, बाजरा, चाय और कॉफी पर विषय-आधारित अनुभव क्षेत्र स्थापित किए गए थे।

मसाला बोर्ड द्वारा मसालों पर लगाया गया अनुभव क्षेत्र सौंदर्यात्मक डिजाइन का था और अतुल्य भारतीय मसालों का पहला अनुभव प्रदान करने के लिए लाइव मसाला संयंत्रों के अलावा मसालों और मूल्य वर्धित मसाला उत्पादों के स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित किया गया था। आगंतुकों को ऐसे उत्पादों पर जानकारी और अनुभव प्रदान करने के लिए अनुभव क्षेत्र में मसालों से मूल्य वर्धित उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स, इत्र और सुगंधित, स्वाद, प्राकृतिक रंग, अर्क और आइसोलेट्स आदि प्रदर्शित किए गए थे। प्रमुख निर्यातकों ने मूल्य वर्धित मसालों और न्यूट्रास्यूटिकल्स को मसाला अनुभव क्षेत्र में अपने अद्वितीय उत्पादों का प्रदर्शन किया।

मसाला अनुभव क्षेत्र ने मसाला क्षेत्र में देश की ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के अलावा भारतीय मसालों को उच्च गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के मानदंडों को पूरा करने के लिए एक समग्र अनुभव प्रदान करने की मांग की।

अनुभव क्षेत्र ने आगंतुकों और दर्शकों के मन में एक छाप और भावना को फिर से स्थापित किया, जिसने भारतीय मसालों को वांछित गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पहलुओं के प्रीमियम उत्पादों के रूप में एक स्थायी ब्रांड छवि बनाने के लिए सराहना की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग हैं। अनुभव केंद्र में एक डिजिटल क्षेत्र भी था जहां भारतीय मसालों पर सभी आवश्यक जानकारी डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराई गई थी।

छ. मसालों का संवर्धन

- क) भारत और विदेशों में मसालों के उपयोग और खपत को बढ़ावा देने और मसाला आधारित व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए, मसाला बोर्ड ने वनिता पचाकरानी 2022 नामक खाना पकाने की प्रतियोगिता के आयोजन का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख महिला पत्रिका वनिता के साथ भागीदारी की। प्रतियोगिता में बहुचरण चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए 45 प्रतियोगियों की सहभागिता रही। प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य फोटो प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।
- ख) मसाला बोर्ड ने ऑल इंडिया रेडियो, कोच्ची के सहयोग से 1-12 अगस्त 2022 के दौरान छोटी इलायची की खेती पर एक रेडियो श्रृंखला प्रसारित की। श्रृंखला में खेती, कटाई के बाद प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रबंधन और किसानों के अनुभवों सहित छोटी इलायची की खेती के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया और वैज्ञानिकों, मसाला बोर्ड के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों और किसानों सहित विशेषज्ञों ने इसका नेतृत्व किया।



कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप

क) मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) की पृष्ठभूमि

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) का छठा सत्र को खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय, रोम में जुलाई 2013 के दौरान आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 36 वें सत्र में मंजूरी दी गई थी। समिति की स्थापना 105 से अधिक सदस्य देशों के समर्थन से की गई थी, जिसमें भारत मेजबान देश और स्पाइसेस बोर्ड मेजबान संगठन था।

सीसीएससीएच का दायरा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों, अन्य उपलब्ध मानकों और विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए मसालों और पाक शाकों के गुणवत्ता मानकों के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों का विकास करना है। इस समिति की मेजबानी और अध्यक्षता भारत के पास है, साथ ही स्पाइसेस बोर्ड इण्डिया इसका सचिवालय है। डॉ. एम.आर. सुदर्शन सेवानिवृत्त निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अब तक समिति के छह सत्र आयोजित किये जा चुके हैं। सीसीएससीएच 1 सत्र वर्ष 2014 में कोच्ची में, सीसीएससीएच 2 सत्र वर्ष 2015 में गोवा में, सीसीएससीएच 3 सत्र वर्ष 2017 में चेन्नई में और सीसीएससीएच 4 सत्र वर्ष 2019 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। कोविड-19 की शुरुआत के बाद, दो सत्र वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए थे, अर्थात् अप्रैल 2021 के दौरान सीसीएससीएच 5 पूर्ण वर्चुअल मोड में और सितंबर-अक्टूबर 2022 के दौरान सीसीएससीएच 6, जिसमें पूरा हेड टेबल फिजिकल रूप से और प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन भागीदारी किया था। सीसीएससीएच समिति के इन छह सत्रों में, मसालों के लिए ग्यारह पूर्ण विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित किए गए हैं।

च) मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) का छठा सत्र

सीसीएससीएच ने अपना छठा सत्र वर्चुअल रूप से 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया था। डॉ. एम. आर. सुदर्शन, पूर्व अनुसंधान निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने सत्र की अध्यक्षता की और इसमें 60 सदस्य देशों, एक सदस्य संगठन (यूरोपीय संघ) और चार अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों (आईजीओ) और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था।

श्री राजेश भूषण आईएएस, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने इस सत्र का उद्घाटन किया। श्री डी सत्यन आईएफएस, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत, श्री कोंडा रेड्डी चाव्वा, प्रभारी अधिकारी, भारत में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), डॉ. ए.बी. रेमाश्री, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया की निदेशक और श्री स्टीव वेर्ने, अध्यक्ष, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) ने समिति को संबोधित किया।

सीसीएससीएच 6 तीन और नए मसालों, अर्थात् मिर्च काली मिर्च और लाल शिमला मिर्च, जायफल, और केसर के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और इसे लागू करने के लिए सीएसी को भेज दिया गया था।

आगामी सत्र (सीसीएससीएच7)

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति का सातवां सत्र (सीसीएससीएच 7), कोडेक्स सचिवालय और कोडेक्स इंडिया की सहमति से 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक भौतिक रूप से आयोजित होने वाला है। आगामी सत्र की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। इस



सत्र में छोटी इलायची, हल्दी, सूखे फल और जामुन से संबंधित समूह मानकों के लिए मसौदा मानकों को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

ख) कोडेक्स समिति की अन्य बैठकें

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी)

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का 45 वां सत्र (सीएसी44), 21-25 नवंबर, 2022, 12-13 दिसंबर, 2022 और 19 दिसंबर, 2022 और 6 फरवरी, 2023 के दौरान हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। सीसीएससीएच के अध्यक्ष और स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) के वैज्ञानिकों ने सत्र में वर्चुअल रूप से भाग लिया। सीसीएससीएच 6 समिति द्वारा लागू किए जाने के लिए भेजे गए तीन नए मसाला मानकों अर्थात् मिर्च और लाल शिमला मिर्च, जायफल और केसर के मानकों को आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया।

स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों ने मई 2022 के दौरान, खाद्य पदार्थों में प्रदूषकों पर कोडेक्स समिति (सीसीसीएफ 15) की बैठक में भी भाग लिया।

ग) आईएसओ/टीसी 34/एससी 7 समिति

आईएसओ/टीसी 34/एससी 7 की 31वीं बैठक, 14-15 दिसंबर 2022 के दौरान वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। इस आईएसओ समिति का सचिवालय भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस, भारत) के पास है, और इसकी अध्यक्षता स्पाइसेस बोर्ड भारत के निदेशक डॉ. ए. बी. रेमा श्री ने की। दो दिनों तक चली बैठक में 16 सदस्य देशों के सैंतीस प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मसालों के अंतरराष्ट्रीय मानकों और संबंधित परीक्षण विधियों पर व्यापक चर्चा की। बैठक के दौरान, 10 मसौदा अंतरराष्ट्रीय मानकों पर चर्चा की गई और अगले उन्नत चरण में प्रवेश किया गया और विभिन्न विषयों पर 11 विशेषज्ञ कार्य समूह स्थापित किए गए।

घ) मसाले, पाक शाकों और मसाला मिश्रणों से संबंधित अनुभागीय समिति (एफएडी 9)

मसाले, पाक शाकों और मसाला मिश्रणों से संबंधित खाद्य और कृषि अनुभागीय समिति (एफएडी 9) की 19वीं और 20वीं बैठक क्रमशः मई 2022 और नवंबर 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड, भारत ने बैठक की अध्यक्षता

की। समिति ने अब तक इस क्षेत्र में 74 भारतीय मानकों को तैयार किया गया है और भारतीय मानकों के नए और संशोधित दोनों संस्करण विकसित किए जा रहे हैं।

ड) मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय समिति (एनसीएसक्यूएस)

मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय समिति (एनसीएसक्यूएस) एक सलाहकार समिति है, जिसका गठन गुणवत्ता और सुरक्षा मुद्दों सहित भारतीय मसालों और उनके निर्यात को प्रभावित करने वाली चुनौतियों और तकनीकी मुद्दों का समाधान करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा किया गया है। मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय समिति का दूसरा सत्र (एनसीएसक्यूएस2), मार्च, 2023 के दौरान, वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था।

समिति में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि, मसाला उत्पादक, निर्यातक और मसाला क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ और हितधारक शामिल हैं। स्पाइसेस बोर्ड का कोडेक्स सेल इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है।

सत्र में, मसालों में उपयोग के लिए नाशीजीवनाशकों में पर्याप्त संख्या में लेबल दावों की कमी की समस्या को, भारत में मसाला उत्पादन क्षेत्र में संबोधित किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके बाद, स्पाइसेस बोर्ड ने केंद्रीय नाशीजीवनाशकों बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) के अध्यक्ष और सचिव, सहायक महानिदेशक पादप संरक्षण (एडीजीपीपी) और सलाहकार (गुणवत्ता आश्वासन, विज्ञान और मानक), एफएसएसएआई के साथ बातचीत की और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, उनसे मार्गदर्शन देने और हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। प्राप्त इनपुट के आधार पर, स्पाइसेस बोर्ड ने गतिविधियों में तेजी लाने के लिए, अनुसंधान संस्थानों और कीटनाशक उद्योग के साथ एक ठोस प्रयास शुरू किया। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में, एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा सकता है जिससे आवश्यक डेटा उत्पादन कार्य शुरू हो सकता है, जिससे उम्मीद है कि कुछ वर्षों में कम से कम कुछ महत्वपूर्ण कीटनाशक प्राप्त हो जाएंगे जिनमें मसालों में लेबल दावे होंगे। इस समिति के तहत, मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की प्राकृतिक उपस्थिति की संभावना का आकलन करने के लिए एक अध्ययन भी चल रहा है।



गुणवत्ता सुधार

कोच्ची में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) वर्ष 1989 में बोर्ड की अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला के रूप में स्थापित की गई थी किया गया था। क्यूईएल, कोच्ची को 1997 से आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, 1999 से आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश मानक संस्थान, यू.के. द्वारा प्रमाणित किया गया है और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सितंबर 2004 से परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल)के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार से आईएसओ/आईईसी 17025 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भी मान्यता प्राप्त है। गुणवत्ता को प्रमुख प्रतिबद्धता माना जा रहा है, क्यूईएल, कोच्ची ने गुणवत्ता प्रणालियों को उन्नत करके अपनी साख हमेशा बनाए रखी है और ऐसा करना जारी है। प्रयोगशाला को नवीनतम उन्नत प्रणालियों के अंतर्गत; ब्रिटिश मानक संस्थान, यूके द्वारा आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 की मान्यता मिली है और एनएबीएल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 की मान्यता मिली है।

स्पाइसेस बोर्ड ने भारत से निर्यात किए गए मसाले उपयुक्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों और ग्राहकों को समय पर, विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम प्रदान करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। अब प्रमुख उत्पादक/निर्यात केंद्रों, अर्थात् चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतिकोरिन, कांडला और कोलकाता में सात क्षेत्रीय क्यूईएल प्रवृत्त हैं। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के अंतर्गत, मसाला पार्क, जोधपूर में, जो 20 अप्रैल 2022 को उद्घाटित हुआ था, जीरा व अन्य बीजीय मसालों के लिए एक बुनियादी जाँच सुविधा की स्थापना की गई। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, दिल्ली, तूतिकोरिन और कांडला की प्रयोगशालाएँ एनबीएल द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं और कोलकाता की प्रयोगशाला मावन्यता प्राप्त

करने की प्रक्रिया में है।

क्यूईएल स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के अंतर्गत माल के नमूनों का विश्लेषण करते हैं, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएँ प्रदान करते हैं और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करते हैं। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए ये प्रयोगशालाएँ परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं से संबंधित दस्तावेज, वर्कशीट के निर्माण और विश्लेषणात्मक परिणामों को प्रस्तुत करने सहित, क्वाडमास नामक एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं और इसे आई एस ओ गुणवत्ता प्रणाली एवं उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अद्यतन किया जाता है।

क. विश्लेषणात्मक सेवाएँ

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रयोगशाला ने मिर्च, मिर्च उत्पादों, हल्दी पाउडर और अन्य खाद्य उत्पादों की खेप के अनिवार्य नमूने के अंतर्गत सुडान डाई और एफ्लार्टोक्सिन की उपस्थिति के लिए मिर्च और मिर्च उत्पादों के नमूनों का अनिवार्य विश्लेषण जारी रखा। इसके अलावा, चीनी लेपित सौंफ के बीज (सनसेट येल्लो के लिए), करी पत्ते (यूरोपीय संघ का कीटनाशकों, जैसे प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस और एंडोसल्फान के लिए), जीरा (बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों के लिए) और मिर्च, जीरा और मसाले मिश्रण के निर्यात परेषण का (अमेरिका के साल्मोनेला के लिए) बोर्ड द्वारा लागू अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के अनुसार विश्लेषण किया।

इस अवधि के दौरान मिर्च, जीरा, हल्दी, कालीमिर्च, मेथी और छोटी इलायची जैसे मसालों और मसाला उत्पादों का साबुत और पिसे रूप में परीक्षण, भारत से जापान (तेल और तैलीराल को छोड़कर) नाशीजीवनाशक अवशेषों जैसे आईप्रोबेनफोस, प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस, एथियन, फोरेट के लिए आयातित कालीमिर्च की खेपों में पैराथियान, क्लोरपाइरीफोस और मिथाइल पैराथियान और पिपेरीन



और तैलीराल सामग्री का विश्लेषण भी किया गया।

मसाले और मसाला उत्पादों में सामान्य भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों के अलावा, अन्य अवैध रंगों (अर्थात पैरा रैड, रोडामाइन बी, बटर येलो, सूडान रेड 7 बी और सूडान ऑरेंज जी), ओक्राटॉक्सिन ए, कालीमिर्च में खनिज तेल का पता लगाने, इलायची में अवैध रंगद्रव्य तथा कैसिया/दालचीनी, आदि क्युमोरिन सामग्री जैसे विभिन्न मापदंडों के लिए भी विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान की गईं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, प्रयोगशाला ने सऊदी अरब को मसालों (छोटी इलायची) की निर्यात खेप के अनिवार्य परीक्षण के लिए विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया। परीक्षण मापदंडों में एसिटा मिप्रिड, साइहलोथिन, साइपरमेथिन आइसोमर्स, प्रोफेनोफोस, ट्रायज़ोफोस और डिथियोकार्बामेट्स (डीटीसी) शामिल हैं।

प्रयोगशाला अपने ग्राहकों को वेबसाइट पर इस परीक्षण का दायरा उपलब्ध कराते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तरीकों के अनुसार नाशीजीवनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए और अधिक नाशकजीवनाशी मापदंडों

सहित संशोधित किया गया है। उन मापदंडों की सूची में किए जा रहे परिवर्तन जिनके लिए प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, समय-समय पर अद्यतन किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रयोगशाला ने कुल 1,32,806 पैरामीटरों का विश्लेषण किया, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंजक, नाशीजीवनाशी अवशेष, एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) और साल्मोनेला शामिल है। दिनांक 23 सितंबर, 2022 से, क्यूईएल, कोच्ची ने कृत्रिम रंग और नाशीजीवनाशी अवशेषों जैसे गुणवत्ता मानकों के लिए किसानों की इलायची के नमूनों का परीक्षण शुरू किया। दिनांक 05 जनवरी, 2023 से, क्यूईएल ने अपनी सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं के माध्यम से नाशीजीवनाशक अवशेषों के विश्लेषण (एथिलीन ऑक्साइड के अलावा) के लिए यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली करी पत्तियों का परीक्षण शुरू किया।

वर्ष के दौरान, मसाला बोर्ड ने 7 फरवरी, 2022 से अपनी सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं के माध्यम से एथिलीन ऑक्साइड के लिए यूरोपीय संघ को निर्यात खेप से नमूनों का परीक्षण जारी रखा।

क्यूईएल	संख्या			
	प्राप्त नमूने	परीक्षित पैरामीटर	अनिवार्य परीक्षित पैरामीटर	अस्वीकृत अनिवार्य नमूने
कोच्ची	14064	26601	23374	223
तूतिकोरिन	3513	5883	5869	81
चेन्नई	17724	20868	20559	196
गुंटूर	7590	12472	11707	64
मुंबई	17922	30193	25462	957
नरेला	2216	4993	4766	212
कांडला	13088	27961	27714	392
कोलकाता	2952	3741	3663	4
जोधपुर	47	94		
कुल	79116	132806	123114	2129

अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के दायरे के विस्तार की आवश्यकता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, आदि जैसे विभिन्न आयातक देशों को किए गए निर्यात की अस्वीकृति की लगातार समीक्षा की जाती है।

ख. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, प्रयोगशाला कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार लाने और प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं को अद्यतन करने के एक भाग के रूप में, तकनीकी कर्मचारियों

ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लिया।

1. वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, गुंटूर और वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, मुंबई ने 04/08/2022 से 08/08/2022 तक मसाला बोर्ड, कोच्ची में आईएसओ 2200:2018 मानक के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर अग्रणी लेखा परीक्षक प्रशिक्षण में भाग लिया।



2. वैज्ञानिक ए, क्यूईएल, कोलकाता ने 10 मई, 2022 को एफएसएसआई द्वारा आयोजित खाद्य परीक्षण विश्लेषण में उच्च प्रवाह क्षमता और सटीकता प्राप्त करने पर प्रशिक्षण में भाग लिया।
3. वैज्ञानिक सी (क्यूईएल, चेन्नई) और वैज्ञानिक ए, क्यूईएल, कोलकाता ने 19-23 मई, 2022 के दौरान आईएसओ 22000:2018, एफएसएमएस (वर्चुअल प्रशिक्षण) पर लीड ऑडिटर प्रशिक्षण में भाग लिया।
4. वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, कोच्ची, वरिष्ठ रसायनज्ञ, क्यूईएल, कोच्ची, कनिष्ठ सूक्ष्मजीव विज्ञानी, क्यूईएल, मुंबई, कनिष्ठ रसायनज्ञ, क्यूईएल, कोच्ची, कनिष्ठ रसायनज्ञ, क्यूईएल, गुंटूर और कनिष्ठ सूक्ष्मजीव विज्ञानी, क्यूईएल, गुंटूर ने 20 जुलाई, 2022 को भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा आयोजित (ऑनलाइन) आईएसओ/आईईसी 17025:2017 जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं और प्रयोगशालाओं में कार्यान्वयन (ऑनलाइन) पर प्रशिक्षण में भाग लिया।
5. क्यूईएल, गुंटूर के दो वैज्ञानिकों ने निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा 02 अगस्त, 2022 को आयोजित एफडीए आयात संचालन पर प्रशिक्षण (ऑनलाइन) में भाग लिया।
6. वैज्ञानिक ए, क्यूईएल, चेन्नई ने 25-26 अगस्त, 2022 के दौरान बेंगलुरु में एनएबीएल द्वारा आयोजित छठे पीटीपी/आरएमपी सम्मेलन में भाग लिया।
7. कनिष्ठ सूक्ष्मजीव विज्ञानी, क्यूईएल, कोलकाता और कनिष्ठ रसायनज्ञ, क्यूईएल, गुंटूर ने 15-16 सितंबर, 2022 के दौरान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (टी सीबी) सेल, भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईएसओ/आईईसी 1705:2017 के अनुसार माप और निर्णय नियम पर प्रशिक्षण में भाग लिया।
8. वैज्ञानिक ए, क्यूईएल, चेन्नई ने 08-12 अक्टूबर, 2022 के दौरान नई दिल्ली में एनएबीएल मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण में भाग लिया।
9. वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, मुंबई, वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, गुंटूर और कनिष्ठ रसायनज्ञ, क्यूईएल,

कोच्ची ने 12-16 दिसंबर, 2022 के दौरान एनआईपीएचएम, हैदराबाद द्वारा आयोजित कीट नाशक अवशेष विश्लेषण के लिए विधि सत्यापन पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

10. वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, कोच्ची ने आईएसटीएम द्वारा आयोजित 02-03 मार्च, 2023 के दौरान सूचना का अधिकार जन सूचना अधिकारियों पर प्रशिक्षण में भाग लिया।
11. क्यू ई एल के वैज्ञानिकों ने 11 अक्टूबर, 2022 को आभासी रूप में सम्पन्न 28 वीं आई पी सी गुणवत्ता बैठक में भाग लिया।

ग. प्रशिक्षण कार्यक्रम

अ. क्यूईएल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. क्यूईएल, कोच्ची ने चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए;
 - (i) मसालों और मसाला उत्पादों में माइकोटॉक्सिन और अवैध रंगों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (22-26 अगस्त, 2022),
 - (ii) मसालों/मसाला उत्पादों के भौतिक, रासायनिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (29 अगस्त 02 सितंबर 2022),
 - (iii) एफडीए बीएएम पर आधारित मसालों/मसाला उत्पादों के सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (19-23 सितंबर 2022 और
 - (iv) मसालों और मसाला उत्पादों में नाशीजीवनाशक अवशेषों के जीसीएमएस/एलसीएमएस/एमएस विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (26-30 सितंबर, 2022 और 31 अक्टूबर से 04 नवंबर, 2022)। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 29 प्रतिभागियों (विभिन्न मसाला निर्यात/प्रसंस्करण इकाइयों, निजी परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से) ने भाग लिया।
2. वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, मुंबई ने 18-20 मई, 2022 के दौरान राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएसएस), अजमेर में एसटीडीएफ और एफएओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षकों (42 संख्या) को प्रशिक्षण दिया।
3. मसाला बोर्ड, आरओ मुंबई ने 29 जून, 2022 को मसाला बोर्ड, मुंबई में व्यापार अस्वीकृति और गुणवत्ता



के मुद्दों पर निर्यातकों के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

आ. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. वैज्ञानिक ए, क्यूईएल, कोलकाता और मसाला बोर्ड, कोच्ची के संकाय सदस्य ने 26 से 29 अप्रैल, 2022 के दौरान मसाले को मजबूत करना नामक परियोजना के तहत कालीमिर्च आपूर्ति श्रृंखला में अच्छी कटाई प्रथाओं (जीएचपी) और गुणवत्ता के मुद्दों पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया। भारत में मूल्य श्रृंखला और क्षमता निर्माण और नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार को डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), भारत के तहत मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटी डीएफ) के साथ संयुक्त रूप से स्पाइसेस बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
2. क्यूईएल कोलकाता ने 22 अगस्त, 2022 को यूएसएफडीए इंडिया कार्यालय द्वारा ईआईसी, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एफडीए आयात संचालन पर प्रशिक्षण में भाग लिया।
3. वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, चेन्नई ने 27 सितंबर, 2022 को यूरोप में निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता आवश्यकताओं पर निर्यातकों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया।
4. वैज्ञानिक सी, क्यूईएल, गुंटूर ने 12 अक्टूबर, 2022 को क्यूईएल, गुंटूर में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मिर्च की गुणवत्ता में सुधार पर एक बैठक और प्रस्तुति आयोजित की।

इ. छात्र इंटरशिप/शैक्षणिक परियोजना कार्य

1. क्यूईएल, कोच्ची ने पोस्टग्रेजुएशन के एक छात्र को मार्गदर्शन और शोध प्रबंध सुविधाएं और स्नातक के नौ छात्रों को मार्गदर्शन और विभिन्न कॉलेजों / विश्वविद्यालयों के आठ छात्रों को इंटरशिप सुविधाएं प्रदान की थीं।
2. क्यूईएल, तूतिकोरिन ने स्नातक स्तर के एक छात्र को रसायन विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी में इंटरशिप कार्यक्रम प्रदान किया।

घ. आईएसओ प्रणाली संबंधित गतिविधियाँ

1. क्यूईएल, चेन्नई ने आईएसओ/आईसी 17025-2017 के लिए एनएबीएल डेस्कटॉप ऑडिट 2022 सफलतापूर्वक पूरा किया।
2. क्यूईएल, तूतिकोरिन ने 03-04 दिसंबर, 2022 के

दौरान आयोजित एनएबीएल बाहरी लेखापरीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया।

3. क्यूईएल, नरेला ने एनएबीएल बाहरी लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूरा किया।
4. क्यूईएल, मुंबई ने 07-08 मई, 2022 के दौरान एनएबीएल बाहरी लेखापरीक्षा की। इसके अलावा, एनएबीएल डेस्कटॉप लेखापरीक्षा 2023 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

ड. स्पाइसेस बोर्ड नमूना जाँच कार्यक्रम/ प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भागीदारी

स्पाइसेस बोर्ड के क्यूईएल ने अंतर प्रयोगशाला जांच नमूना (आईएलसी) कार्यक्रमों का संचालन/भाग लिया और विभिन्न प्रवीणता परीक्षण (पीटी) कार्यक्रमों में भाग लिया। परिणाम जेड स्कोर की सीमा के भीतर थे और जहां भी विचलन देखा गया, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

अ) आईएलसी कार्यक्रम विवरण

1. क्यूईएल, कांडला ने जीरे में एफ्लाटॉक्सिन, सूडान और बाहरी पदार्थ जैसे पैरामीटरों के लिए आईएलसी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। क्यूईएल कोच्ची, क्यूईएल कांडला, क्यूईएल तूतिकोरिन ने आईएलसी कार्यक्रम में भाग लिया।
2. क्यूईएल चेन्नई ने पैरामीटर इथिलीन ऑक्साइड, के लिए आईएलसी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था।
3. क्यूईएल नरेला ने मापदंडों नमी, वाष्पशील तेल, पाइपरिन और बाहरी पदार्थ के लिए आईएलसी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

आ) पीटी कार्यक्रम विवरण

क्यूईएल, कोच्ची, तूतिकोरिन, चेन्नई, नरेला, गुंटूर, मुंबई, कांडला और कोलकाता ने एफ ए पी ए एस, इंटरनेशनल पेपर कमेटी, ट्रिलॉजी, फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और ए ए एस एच वी आई प्रवीणता परीक्षण और विश्लेषणात्मक सेवा जैसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित दक्षतापरीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

जिन परीक्षण मापदंडों के लिए क्यूईएल ने भाग लिया, उनमें विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट और सूक्ष्मजीवविज्ञानी पैरामीटर जैसे एफ्लाटॉक्सिन, सूडान डाई, ओकैटॉक्सिन ए, एसिड अघुलनशील राख, कुल राख, थोक घनत्व, वाष्पशील तेल, नमी, स्टार्च, करक्यूमिन, हल्के जामुन, पाइपरिन, बाहरी/ विदेशी पदार्थ,



कैप्साइसिन, साल्मोनेला, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, कुल एरोबिक माइक्रोबियल गिनती, यीस्ट और मोल्ड गिनती, ई.कोली, कोलीफॉर्म और एंटरोबैक्टीरियासी शामिल थे।

च. परियोजनाएँ/मानकीकरण कार्य जिनका प्रारंभ हुआ है

1. क्यूईएल, चेन्नई ने वर्ष के दौरान एपीएमसी, बायदागी, कर्नाटक में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान किया।
2. क्यूईएल, चेन्नई ने मसालों और मसाला उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड अवशेषों के परीक्षण के लिए ग्राहक सेवा शुरू की।
3. क्यूईएल ने साल्मोनेला एसपीपी की उपस्थिति

के लिए यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए खेप पर यादृच्छिक जांच की।

1. छ. प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उपकरणों की खरीद

क्यूईएल, गुंटूर और मुंबई यूरोपीय संघ के मानदंडों के अनुसार नाशीजीवनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विश्लेषणात्मक सेवा शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, क्यूईएल मसालों में एथिलीन ऑक्साइड और भारी धातुओं के परीक्षण के लिए अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया में है।



निर्यातोन्मुखी अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने मुख्य रूप से फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, पोषक तत्व प्रबंधन एवं मृदा विश्लेषण पर आधारित फसल उत्पादन का अध्ययन, छोटी और बड़ी इलायची में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन पर आधारित फसल सुरक्षा अध्ययन एवं अन्य मसालों पर अनुकूल परीक्षणों पर रिपोर्ट के तहत अनुसंधान कार्यक्रम चलाए हैं। सलाहकार सेवाओं, वैज्ञानिक-किसान इंटरफेस, मोबाइल स्पाइस क्लिनिक, वेबिनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं ऑडियो और विजुअल मीडिया और प्रकाशनों जैसे विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों और लक्षित समूहों तक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण बढ़ाया गया है। आईसीआरआई ने इलायची में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए रणनीतियां विकसित की और जागरूकता पैदा की है, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत रोग प्रबंधन (आईडीएम) एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) प्रणालियों के साथ-साथ जैविक खेती को प्रोत्साहित किया है। राज्य बागवानी मिशन, केरल की वित्तीय सहायता से आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा में नाशजीवनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए एक अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

क. फसल सुधार

अ) छोटी इलायची

स्पोर्टाधीन अवधि के दौरान, छोटी इलायची के जर्मप्लाज्म के अनूठे भंडार को आईसीआरआई फार्म के जीन बैंक मैलाडुम्पारा (544 नं.) और सकलेशपुर (266 नं.) में संरक्षित किया गया था। प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक उन्नयन और मूल्यांकन के माध्यम से आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा द्वारा विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली इलायची क्लोन (एमसीसी 594), आईसीएआर-एनबीपीजीआर, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत है। इस क्लोन को आईसी नंबर 645601 दिया गया है और इसे रोपण फसलों के लिए केरल स्टेट वैराइटी रिलीज़ कमेटी में एक नई किस्म के रूप में प्रस्तावित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इस क्लोन के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इडुक्की जिले के इलायची क्षेत्र में किसानों के खेत में इस क्लोन के दस मल्टीलोकेशन

ट्रायल्स (एमएलटी) किए गए, जो कि किस्म जारी करने से पूर्व एक शर्त है।

छोटी इलायची में हाइब्रिडाइज़ेशन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, दो हाइब्रिड विकसित किए गए जो इडुक्की जिले के इलायची क्षेत्रों के लिए आशाजनक और उपयुक्त थे। विकसित किए गए इन दो हाइब्रिडों का लगातार चार वर्षों तक मूल्यांकन किया गया और दोनों हाइब्रिडों को आईसीएआर-एनबीपीजीआर द्वारा अधिसूचित किया गया और इन्हें क्रमशः IC645599 (MHC-1) और IC645600 (MHC-2) के रूप में IC नंबर दिए गए। विशेष कार्यक्रम के रूप में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए खेत में प्रत्येक लोकप्रिय किस्म की सकर नर्सरी विकसित की गई।

आ) बड़ी इलायची

वर्ष 2021-22 के दौरान, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में सर्वेक्षण किया गया, एवं बड़ी इलायची की छह अनूठी फसलें एकत्र की गईं जिन्हें निगरानी और अवलोकन के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्र किए गए छह जर्मप्लाज्म का प्रारंभिक लक्षण वर्णन पूरा किया गया और जर्मप्लाज्म कंज़र्वेटरी में स्थानांतरित कर दिया गया। हाइब्रिडाइज़ेशन किया गया और पहले से विकसित हाइब्रिड (एफ1) लाइनों का विकास प्रदर्शन दर्ज किया गया। सभी हाइब्रिडों ने विकास मापदंडों के संदर्भ में पैतृक रेखाओं (सॉनी और एससीसी 263 को छोड़कर) और मानक जांच से बेहतर प्रदर्शन किया। सूखा सहिष्णु सीमा अध्ययन के तहत, प्रारंभिक टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि रैमसे विकास पैरामीटर के मामले में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करता है।

ख. जैव प्रौद्योगिकी

अ) छोटी इलायची

छोटी इलायची जर्मप्लाज्म के 50 परिग्रहणों का आणविक विशेषीकरण किया गया। छोटी इलायची के प्रमुख फंगल रोगजनकों (फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम, कोलेटोड्राइकम ग्लियोस्पोरियोइड्स, फाइटोफथोरा मीडी, फाइटियम वेक्सन्स, राइजोक्टोनिया सोलानी) के खिलाफ इलायची की पत्तियों के तेल के अर्क के प्रभाव पर इन-विट्रो अध्ययन



किए गए हैं। प्रारंभिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि पत्ती के तेल के अर्क ने इलायची के पौधों में कोलेटोटाइकम ग्लियोस्पोरियोइड्स के खिलाफ इन विट्रो स्थितियों में लगभग 60 प्रतिशत अवरोध दिखाया है। छोटी इलायची से अलग किए गए फ्यूजेरियम का आणविक विशेषीकरण किया गया। चयनात्मक प्राइमरों का उपयोग करके पंद्रह फ्यूसेरियम आइसोलेट्स की जीन सीकूएन्सिंग की गई और इन परिणामों का विश्लेषण जारी रखा जाएगा।

ग. कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान

अ) छोटी इलायची

1. साइट विशिष्ट उर्वरक सिफारिश के लिए मोबाइल ऐप का विकास

साइट विशिष्ट उर्वरक सिफारिश के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का एक प्रोटोटाइप सहयोगात्मक परियोजना (आईसीआरआई स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड और केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय द्वारा) आउटपुट के रूप में विकसित किया गया था, जिसका शीर्षक था इलायची पथ की जीआईएस आधारित मृदा की उर्वरता का आकलन और जलवायु के अनुकूल इलायची की खेती के लिए ऐपआधारित उर्वरक सिफारिश को एकीकृत करना। पायलट आधार पर, इडुक्की जिले के दस गांवों में मसाला उत्पादकों के लिए उर्वरक की सिफारिश उपलब्ध होगी। स्पाइसिज बोर्ड की वेबसाइट पर कांथीपारा गांव की मिट्टी की जानकारी प्रणाली को दर्शाने वाला इलायची सीआईएस नामक एक वेबपेज होस्ट किया गया था।

2. मृदा सलाहकार सेवा और उर्वरक सिफारिश

कुल 18,024 पोषक मापदंडों को कवर करते हुए 1,502 मृदा के नमूनों का परीक्षण किया गया और दक्षिण भारत में 554 मसाला किसानों तक मृदा परीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के माध्यम से सलाहकार सेवाएं प्रदान की गईं।

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के तेरह एम.एससी. (खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी/जैव रसायन) छात्रों को आईसीआरआई के कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान प्रभाग में मसालों की कटाई के बाद और मूल्य योजन पर परियोजना कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था।

आ) बड़ी इलायची

अत्यधिक उत्पादक और रोग प्रभावित बड़े इलायची

बागानों से मिट्टी और पत्तियों के नमूनों के पोषक तत्वों के मूल्यांकन पर अध्ययन का निष्कर्ष निकाला गया। अध्ययन से पता चला कि मृदा का पीएच बड़ी इलायची की उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि, मृदा के आर्गेनिक कार्बन का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उच्च उत्पादक बागान की तुलना में रोगग्रस्त और कम उत्पादक बागान में सभी प्रमुख और छोटे पोषक तत्व कम पाए गए। क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हिल जोन, यूबीकेवी, कलिम्पोंग और काबी अनुसंधान फार्म में दो अलग-अलग स्थितियों में विभिन्न जैविक प्रबंधन प्रथाओं के तहत बड़ी इलायची की उत्पादन क्षमता का एक नया प्रयोग शुरू किया गया। उपचार लागू करने से पहले प्रारंभिक मिट्टी के नमूने के विश्लेषण से पता चला कि पीएच और उपलब्ध पोषक तत्वों के मामले में काबी रिसर्च फार्म की तुलना में यूबीकेवी कलिम्पोंग में मिट्टी की पोषक स्थिति अधिक बेहतर है।

घ. पादप रोगविज्ञान

अ) छोटी इलायची

छोटी इलायची में अष्पुकल रोग (संपुटिका सड़न) (फाइटोफथोरा एस.पी.पी.) और प्रकन्द सड़न रोग के खिलाफ फ्लुओपिकोलाइड 4.44% फोसेटाइलएएल 66.67% डब्ल्यूजी (प्रोफाइलर) की जैव-प्रभावकारिता और फाइटोटॉक्सिसिटी के मूल्यांकन के लिए एक अध्ययन किया गया था। परिणामों से पता चला कि नियंत्रण की तुलना में फफूंदनाशकों से उपचारित भूखंड में सड़न रोगों जैसे कि प्रकन्द सड़न और संपुटिका सड़न की घटना कम हो गई थी। हालांकि, 2500 ग्राम/हेक्टयर की दर से फ्लुओपिकोलाइड 4.44% + फोसेटाइलएएल 66.67% डब्ल्यूजी (प्रोफाइलर) वाला प्लॉट सबसे प्रभावी पाया गया, इसके पश्चात प्रकन्द सड़न और छोटी इलायची में एज़ह्यूकल रोग (संपुटिका सड़न) को नियंत्रित करने के लिए 2250 ग्राम/हेक्टयर की दर से फ्लुओपिकोलाइड 4.44% + फोसेटाइलएएल 66.67% डब्ल्यूजी (प्रोफाइलर) का उपयोग मौजूदा अनुशासित कवकनाशी फोसेटाइल एएल 80% डब्ल्यूपी की तुलना 3000 ग्राम/हेक्टयर की दर में किया जाता है।

आ) बड़ी इलायची

सर्वेक्षणों से पता चला कि अप्रैल से सितंबर के दौरान ब्लाइट, लीफ स्ट्रीक और लीफ रस्ट जैसी बीमारियों का प्रकोप अधिक था, जबकि अक्टूबर-जून के दौरान विल्ट/सूखा सड़न अधिक थी। एक नई शब्दावली 'व्हाइट फर्ल्ड लीफ' (डब्ल्यूएफएल) को एक विकार का वर्णन करने के लिए बनाया गया था, जहां सफेद मुड़े हुए टर्मिनल पत्ते दिखाई देते हैं और बाद में बड़ी इलायची टिलर्स की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।



सफेद रोएंदा र पत्तियों पर अध्ययन से संकेत मिलता है कि मिट्टी में कृषि चूने का उपयोग (100 ग्राम प्रति पौधे की दर से) और उसके बाद पखवाड़े के अंतराल पर पोषक तत्वों (5 ग्राम प्रति लीटर) का फोलियर प्रक्रिया से अनुप्रयोग समस्या को ठीक कर सकता है। शुष्क सड़न एवं रतुआ रोगों का दस्तावेजीकरण किया गया। देसी मृदा से ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास (11 नोस) को अलग किया गया। पॉलीहाउस और खुली स्थितियों में बायोप्राइमेट बीजों के अंकुरण पर अध्ययन शुरू किया गया पॉलीहाउस स्थिति में अंकुरण 47 दिन पहले हुआ था और एज़ोटोबैक्टर + फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (पीएसबी) संयोजन के साथ बायो-प्राइमिंग के परिणामस्वरूप उच्चतम अंकुरण हुआ, इसके बाद यीस्ट के साथ बायो-प्राइमिंग हुई।

ड. कीट विज्ञान

अ) छोटी इलायची

“छोटी इलायची में थ्रिप्स और बोरर जैसे प्रमुख कीटों पर रैलिस कीटनाशक, हंक (एसफेट 95% एसजी) का मूल्यांकन” विषय पर बाहरी वित्त पोषित अनुसंधान परियोजना पर अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) को छोटी इलायची में एसफेट 95% एसजी के लेबल विस्तार के लिए मेसर्स रैलिस इंडिया लिमिटेड द्वारा सौंप दी गई है। केरल और तमिलनाडु में छोटी इलायची में प्रमुख कीटों और प्राकृतिक शत्रुओं के सर्वेक्षण से पता चला है कि इलायची पारिस्थितिकी तंत्र में आक्रामक विदेशी कीटों जैसे मिर्च के आक्रामक थ्रिप्स, थ्रिप्स परविस्पिनस (केरनी) की कोई घटना नहीं है। नए अणुओं जैसे स्पाइनेटोरम, स्पिरोटेट्रामैट, फ्लुपाइराडिफ्यूरॉन, एफिडोपाइरोपेन और क्लोरेंट्रानिलिप्रियोल की जैव-प्रभावकारिता के क्षेत्र मूल्यांकन से पता चला कि स्पाइनेटोरम की विभिन्न खुराकें थ्रिप्स और छोटी इलायची के शूट, कैप्सूल और पैनिकल बोरर कीट के खिलाफ प्रभावी थीं। (50-60% कमी)

आ) बड़ी इलायची

सिक्किम, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के प्रमुख बड़े इलायची उत्पादक क्षेत्रों में घूमने वाले और स्थिर भूखंडों में कीट निगरानी की गई। हालांकि, इस अवधि के दौरान कैप्सूल बोरर (33.90% तक) को छोड़कर कीट की कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं की गई। बड़ी इलायची में कैप्सूल सेटिंग पर जैविक और अजैविक परागकर्तों की भूमिका पर एक अध्ययन शुरू किया गया था। प्रारंभिक अवलोकनों से कैप्सूल सेटिंग पर अजैविक (वर्षा) और

जैविक परागकर्तों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पता चला। हालांकि, अच्छी कैप्सूल सेटिंग तब हुई जब दोनों कारक यानी वर्षा (अजैविक) और परागकर्त (जैविक) एक साथ हुए। बड़ी इलायची के उभरते प्रमुख कीट कैप्सूल बोरर की पहचान और जीवन चक्र के अध्ययन से पता चला कि यह एक तितली (जैमाइडस एलेक्टो एगोलाडास; जिसका सामान्य नाम-मेटैलिक केरुलियन) है। बड़ी इलायची में कीट सहिष्णु रेखाओं पर अध्ययन से विभिन्न किस्मों/किस्मों के बीच संक्रमण के विभिन्न स्तर दिखाई दिए। अब तक कोई विशिष्ट रुझान प्राप्त नहीं हुआ है और निष्कर्ष के लिए आगे जैव रासायनिक अध्ययन की आवश्यकता है।

च. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

अ) छोटी इलायची

1. अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीआरआई द्वारा विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए चार एक्सपोजर विजिट आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में कुल 167 छात्रों ने भाग लिया।

2. जैव एजेंट उत्पादन

आईसीआरआई ने इलायची में सड़न रोग के प्रबंधन के लिए किसानों को स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 1,575 लीटर और ट्राइकोडर्मा हर्ज़ियानम 2,101 लीटर के तरल फॉर्मूलेशन का उत्पादन और आपूर्ति की। छोटी इलायची में रूट ग्रब के स्थायी प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर 20,590 ईपीएन कैडवर्स की आपूर्ति की गई। ईपीएन आईसीआरआई-18 (हेटेरोरहबिटि डिस इंडिका) के देशी उपभेदों के अनुप्रयोग द्वारा इलायची रूट ग्रब का सफल जैव-प्रबंधन हासिल किया गया। ट्राइकोडर्मा हर्ज़ियानम (तरल) 291 लीटर, ट्राइकोडर्मा हर्ज़ियानम (कॉफ़ी भूसी) 372 किलोग्राम और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस (तरल) 381 लीटर की आपूर्ति आईसीआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, सकलेशपुर से की गई थी।

3. वेबिनार और स्पाइस क्लिनिक

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मैलाडुम्पारा द्वारा मृदा परीक्षण-आधारित उर्वरक अनुप्रयोग पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिससे 26 किसान लाभान्वित हुए। आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा द्वारा बीस मोबाइल स्पाइस क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और 263 किसानों को नैदानिक क्षेत्र



दौरों और कृषि सलाहकार सेवाओं के माध्यम से कार्यक्रमों से लाभ हुआ। स्पाइस क्लिनिक ने तमिलनाडु और केरल में इलायची के लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया। कर्नाटक क्षेत्र में मसाला फसलों की समस्याओं के समाधान के लिए कर्नाटक में पांच स्पाइस क्लिनिक आयोजित किए गए।

वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, बड़ी इलायची की अच्छी कृषि पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए दस मोबाइल स्पाइस क्लिनिक आयोजित किए गए, जिसमें सिक्किम के छह जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के 252 किसान शामिल थे।

4. गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन

आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा ने काली मिर्च जड़ वाले पॉलीबैग (24,225) और छोटी इलायची सकर्स (15,271) की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन किया, जिसकी आपूर्ति मसाला किसानों को की गई। इलायची हाइब्रिड पौधे (1,342), इलायची सकर्स (150) और काली मिर्च (मूल लगाई कतरनें) (2,022) और आईसीआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, सकलेशपुर, कर्नाटक से मसाला किसानों को आपूर्ति की गई थी।

आईसीआरआई, मैलाडुम्पारा में मौजूद मसालों की मॉडल नर्सरी इकाई को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी) द्वारा अपनी मान्यता नवीनीकृत कर दी गई है। वर्तमान में संस्थान में चल रही नर्सरी ने पॉलीहाउस, धुंध सिंचाई आदि सहित गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री जुटाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया है।

5. बड़ी इलायची पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन

स्पाइसेस बोर्ड (आईसीआरआई, आरआरएस गंगटोक) ने बड़ी इलायची की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए उत्तराखंड सरकार के हर्बल अनुसंधान और विकास संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशानुसार, सर्वेक्षण

आयोजित किए गए और जिले में बड़ी इलायची की खेती बढ़ाने की सिफारिशों के साथ सिक्किम के सोरेंग जिले (एस्पिरेशनल ज़िला) में बड़ी इलायची की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

छ. बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएँ

अ) छोटी इलायची

- 'केरल और कर्नाटक क्षेत्रों के अंतर्गत छोटी इलायची की उपज और गुणवत्ता मापदंडों पर पॉलीसल्फेट (जीहाइड्राइट पॉली हैलाइट) के प्रभाव का आकलन। यह परियोजना आईसीएल प्रबंधन और ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा के सहयोग से शुरू की जा रही है।
- छोटी इलायची की वृद्धि और उपज पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रभाव (एआईसीआरपीएस)।
- इलायची के अलग-अलग उपज लक्ष्य (एआईसीआरपीएस) के लिए साइट-विशिष्ट पोषक तत्व की सिफारिश।
- छोटी इलायची में नैनो उर्वरकों (यूरिया और डीएपी) की प्रतिक्रिया और इसकी पोषक तत्व उपयोग दक्षता का मूल्यांकन।
- एडमलाकुडी आदिवासी बस्ती में एक इलायची प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पर एक परियोजना को जिला स्तर एससी/एसटी, इडुक्की के कार्य समूह द्वारा कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी।
- राज्य बागवानी मिशन, केरल (₹194 लाख) की वित्तीय सहायता से आईसीआरआई, मायलाडुम्पारा में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए एक अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की गई।
- मेसर्स डॉव एग्रोसाइसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CORTEVA) द्वारा वित्त पोषित "छोटी इलायची में थ्रिप्स और बोरर (शूट/पैनिकल/कैप्सूल बोरर) के खिलाफ स्पाइनेटोरम 12% SC w/v (11.70% w/w) का मूल्यांकन" पर एक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है।



सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल संचालन को ऑनलाइन सिस्टम से बदल दिया गया जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम किया और संचालन के समय को भी कम किया। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को तेज और अधिक उत्पादी बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

अ. ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियाँ

- क सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह देना, उनका माग्रदर्शन और सहायता करना।
- ख मौजूदा एप्लिकेशन, मैसेजिंग समाधान, इंटरनेट और वेबसाइट रखरखाव के लिए हेल्प डेस्क प्रबंधन।
- ग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरण जैसे संगठन के व्यापक आईटी संसाधनों का प्रशासन।
- घ प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण और कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना।
- ङ आईटी अवसंरचना का उन्नयन।
- च आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारु कामकाज के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को परिभाषित और कार्यान्वित करना।
- छ डेटा प्रोसेसिंग
- ज नए सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में संशोधन)

की आवश्यकता की पहचान करना और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब देना।

झ सूचना प्रणाली और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिजाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।

ञ बोर्ड की वेबसाइट *indianspices.com*, *spices board.in*, *indianspices.org.in*, *worldspicecongress.com* एवं *ccsch.in* का रखरखाव और अद्यतनीकरण।

ट कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार और संचालित करना।

आ. वर्ष 2022-23 की प्रमुख उपलब्धियाँ

- बोर्ड की योजनाओं को सर्विस प्लस में शामिल किया गया
- ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली लागू की गई, जिससे कर्मचारियों को अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने और उनकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाया गया। इसने कागजी कार्रवाई को कम करके और दक्षता में सुधार करके छुट्टी अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया।
- अनिवार्य परीक्षणों की मैपिंग के साथ निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) को बढ़ाया गया। इसने गंतव्य देशों के आधार पर मसाला परेषणों के लिए उचित अनिवार्य परीक्षण मापदंडों के चयन को स्वचालित कर दिया।
- डेटा सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, एक नई वित्तीय लेखा प्रणाली को सफलतापूर्वक तैनात किया गया और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अनुमोदित क्लाउड सर्वर पर तैनात किया गया।



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के क्रम में, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन की जानकारी सुरक्षित रूप से प्राप्त करने हेतु नागरिकों को सूचना के अधिकार का एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है। नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड की जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित कुछ जानकारी को छोड़कर, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड सूचना का अधिकार अधिनियम को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना के प्रसारण के समायोजन हेतु उपनिदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया। मुख्यालय में एक सहायक समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी नामित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रसारण के लिए बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम का धारा 5 (2) के तहत मुख्यालय में सात केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अनुसंधान स्टेशन, मैलाडुम्पारा, इडुक्की में एक केंद्रीय सार्वजनिक

सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को पदनामित किया गया था। निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप निदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उप निदेशक (ईडीपी) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत दायित्वों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने हर सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, को स्वप्रेरणा से, ऐसे प्रारूप और रीति में बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए आवश्यक जानकारी का ऐसे प्रकार और रूप में प्रकट किया है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 74 सूचना का अधिकार आवेदन (भौतिक रूप से और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) और 15 अपीलें प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में सूचना का प्रसार किया गया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की एक सुनवाई हुई। आरटीआई पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 140 प्राप्त हुए। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित क्रम के अनुसार त्रैमासिक आरटीआई विवरणी (पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक) का अद्यतनीकरण किया गया।



भविष्य की ओर

भारत दुनिया में मसालों और मसाला उत्पादों का अग्रणी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारतीय मसाला क्षेत्र वैश्विक स्तर पर मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और वर्तमान में लगभग 180 देशों में 225 से अधिक अद्वितीय उत्पादों का निर्यात करता है। निर्यात संवर्धन और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियाँ स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अपने कार्यालय नेटवर्क, स्पाइसेस पार्क और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोगात्मक पहल के माध्यम से की जाती हैं। मसाला बोर्ड के हस्तक्षेप से मसालों का निर्यात वर्ष 1987 में 229.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके अलावा, वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच, निर्यात में मात्रा में 6.2 प्रतिशत, मूल्य रूप में 9.76 प्रतिशत और अमेरिकी डॉलर मूल्य में 6.37 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई।

मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात में लगातार प्रगति के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि भारत के मसाला निर्यात टोकरी में मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत बनी हुई है। इसके अलावा, कम लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से आसियान और साफ्टा (एस.ए.एफ.टि.ए) क्षेत्रों, जो मसालों के प्रमुख उत्पादक हैं, से मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। यह पता चला है कि, एनईए और आसियान क्षेत्रों के कुछ देश, जो भारत से संपूर्ण रूप में मसाले मंगाते हैं, ने प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और आगे विकसित देशों को आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक प्रणालियाँ विकसित की हैं, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति हो रही है। इसलिए, भारतीय मसाला उद्योग के लिए अपने वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मूल्यवर्धन पर अधिक

ध्यान केंद्रित करना और निर्यात टोकरी में मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना है।

दशकों से ज्ञात मसालों के प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों को वैज्ञानिक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि की बढ़ती वैश्विक मांग को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके, जो महामारी की स्थिति के बाद बढ़ी है। इसके अलावा, भारतीय मसाला उद्योग गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा ताकि आयातक देशों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के साथ भारत से निर्यात खेपों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे भारतीय मसालों के लिए एक ब्रांड छवि बन सके जो गुणवत्ता और सुरक्षा का पर्याय है।

आगे विस्तार और प्रचार की विशाल संभावनाओं की पृष्ठभूमि में, भारतीय मसाला क्षेत्र वर्ष 2030 तक 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा स्तर से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य बना रहा है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्थागत, न्यूट्रास्यूटिकल्स, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों के लिए मूल्यवर्धित मसालों, मसालों और अर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को वैश्विक मसाला प्रसंस्करण केंद्र बनाने के लिए कठोर प्रयासों की आवश्यकता है। भारतीय मसाला उद्योग को बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्यात योग्य अधिशेष के उत्पादन, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी सक्षमता, मूल्यसंवर्धन पर अधिक ध्यान, नवाचार को बढ़ावा देना और लक्षित ब्रांडिंग और विपणन, और मूल्य श्रृंखला में बेहतर सामाजिक-आर्थिक रिटर्न प्राप्त करना, उद्योग और मूल्य श्रृंखला में बेहतर सामाजिक-आर्थिक रिटर्न प्राप्त करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मसाला बोर्ड वैश्विक प्रसंस्करण केंद्र और वैश्विक बाजारों में स्वच्छ, सुरक्षित और मूल्यवर्धित मसालों और मसाला



उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उद्योग का समर्थन कर रहा है। उद्योग को उसके दृष्टिकोण और लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए उचित सलाह वाले कार्यक्रमों के एक सेट की परिकल्पना की गई है। भविष्य में हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र हैं

- मसालों में उच्च मूल्य संवर्धन के लिए भारतीय मसाला क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना।
- मसाला क्षेत्र में वैश्विक मूल्य श्रृंखला से लाभ प्राप्त करने के लिए भारतीय मसाला उद्योग को उन्नत करना, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ें। इससे तेज विकास और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचारों के प्रसार के अलावा प्रमुख कंपनियों और अन्य हितधारकों की विशेषज्ञता को एकीकृत करने में भी मदद मिल सकती है।
- वैश्विक मसाला क्षेत्र की बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप मसालों, विविधीकरण और अनुकूलन से नए उत्पादों और अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देना।
- मसालों, नए मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संभावित बाजारों के साथ-साथ मौजूदा बाजारों में उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीतियों पर अध्ययन करना।
- वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर लागू मानकों के अनुपालन के लिए निर्यात खेपों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं का आकलन करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करना।
- गुणवत्ता वाले मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात योग्य अधिशेष के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से, मसालों की कटाई के बाद प्रबंधन के लिए केंद्रित प्रयास करना।
- आयात प्रतिस्थापन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मसालों, जीआई मसालों और आंतरिक मापदंडों से समृद्ध मसाला किस्मों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

- वैश्विक स्तर पर बाजार संपर्क बनाने और पोषित करने, जीआई टैग वाले मसालों को बढ़ावा देने आदि के लिए व्यापार संवर्धन पहल को मजबूत और सुव्यवस्थित करना।
- जैवपूर्वक्षण, जलवायु लचीला प्रथाओं और अन्य उन्नत हस्तक्षेपों जैसे उभरते पहलुओं के संबंध में, मसाला क्षेत्र को बहुआयामी समर्थन प्रदान करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान हस्तक्षेप करना।
- विभिन्न उभरती आवश्यकताओं पर मसाला क्षेत्र के हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण पहल करना, जो सूचना के आदानप्रदान और ज्ञान हस्तांतरण में मदद करेगा, जिससे भारतीय मसाला क्षेत्र के समग्र विकास और भारत के मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने में योगदान मिलेगा।
- भारतीय मसाला क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना वैश्विक तकनीकी प्रगति के बराबर बने रहना और क्षेत्र में व्यापारिक दक्षता में सुधार जारी रखना। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उद्भवन केंद्रों, डिजिटलीकरण आदि के माध्यम से तकनीकी नवाचारों का समर्थन करना शामिल है भारतीय मसाला उद्योग में। इसके अलावा, निर्यात के लिए ट्रेसबिलिटी सक्षम प्रत्यक्ष सोर्सिंग की सुविधा के लिए मसाला उत्पादकों और निर्यातकों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकीआधारित टूल/प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की आवश्यकता है।

मसालों की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन के लिए अनुकूल विविध कृषिजलवायु परिस्थितियों, विविध किस्मों और किस्मों की उपलब्धता, बड़े घरेलू बाजार और समय-परीक्षित परंपराओं और उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यसंवर्धन में विशेषज्ञता के अनूठे तुलनात्मक लाभ अनुकूल रहे हैं। भारतीय मसाला क्षेत्र ने सदियों से मसालों के वैश्विक व्यापार में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। मजबूत निर्यात आधारित वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, तकनीकी संवर्द्धन द्वारा समर्थित उच्च अंत मूल्य संवर्धन, नवाचार और अनुकूलन के साथ मजबूत हुए ये तुलनात्मक लाभ भारत को मसालों में वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण मसाले और मसाला उत्पाद की एक श्रृंखला के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी।



परिशिष्ट -1

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मसाला बोर्ड के वार्षिक लेखे की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए जवाब।

	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के खंड	जवाब/प्रस्तावित कार्य
अ.	तुलनपत्र, जैसेकि 31 मार्च, 2023 को है	
1	देनदारियां	
1.1	<p>उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां (अनुसूची 3) ₹ 311.18 करोड़</p> <p>बोर्ड ने उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से अर्जित अचल संपत्तियों पर ₹ 17.32 करोड़ की मूल्यहास राशि को उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि में चार्ज करने के बजाय आय और व्यय खाते में बोर्ड के व्यय के रूप में दर्ज किया। इसी प्रकार, चालू वर्ष के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं और मसाला पार्क के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए खर्च की गई ₹ 11.56 करोड़ की राशि को उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि में चार्ज करने के बजाय आय और व्यय खाते में दर्ज किया गया था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए बोर्ड का घाटा और उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि में ₹ 28.88 करोड़ (₹ 17.32 करोड़ ₹ 11.56 करोड़) की अत्युक्ति हुई है।</p> <p>यह मुद्दा वर्ष 2021-22 के पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उजागर किया गया था, हालांकि, बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।</p>	<p>चूंकि धर्मस्व से प्राप्त परिसंपत्तियों का जीवनकाल लंबा होता है, इसलिए इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान करने का हिसाब इस निधि के भीतर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संबंधित निधि में नकारात्मक शेष बनाने का जोखिम होता है।</p>
2	परिसंपत्तियां	
2.1	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) ₹ 253.69 करोड़	
क	<p>बोर्ड ने निर्यातकों को वितरित ऋण के बदले राजस्व व्यय के रूप में बोर्ड प्रोत्साहन योजना के तहत ₹ 1.95 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण लिया। इसके परिणामस्वरूप अन्यब्रांड संवर्धन ऋण योजना को कम करके बताया गया और बोर्ड के घाटे को ₹ 1.95 करोड़ से अधिक बताया गया।</p>	<p>निर्यात विकास के अंतर्गत अनुमोदित ईएफसी स्कीम, ब्रांड संवर्धन के कार्यान्वयन पर उसी प्रकार कार्रवाई की जा रही है। इसमें वार्षिक बजट में इस श्रेणी के तहत विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, ऋण की वापसी अभी तक शुरू नहीं की गई है। ऋण वापसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवश्यक लेखा उपचार किया जाएगा।</p>
ख	<p>बोर्ड ने वर्तमान देनदारियों में ऋण शेष के रूप में ₹ 0.83 करोड़ प्राप्त राशि का लेखा किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों में ₹ 0.83 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।</p>	<p>वित्तीय विवरण में पिछले वर्ष से वर्तमान देनदारियों का प्रारंभिक शेष और उसी मद के तहत चालू वर्ष का व्यय शामिल है। हालांकि, लेखापरीक्षा में केवल चालू वित्त वर्ष के व्यय पर प्रकाश डाला गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक नकारात्मक संतुलन दिखाया गया है।</p>



ग	गुजरात सरकार ने ₹ 4.78 करोड़ की राशि के लिए मसाला पार्क स्थापित करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड को मेहसाना में 67.35 हेक्टेयर भूमि आवंटित की (2010)। बोर्ड ने कब्जा ली गई भूमि (37 हेक्टेर) की राशि के रूप में ₹ 2.63 करोड़ का पूंजीकरण (2015) किया और ₹ 2.16 करोड़ की शेष राशि को चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि के तहत अग्रिम के रूप में दिखाया गया था। बाद में बोर्ड ने कब्जे में ली गई भूमि को वापस सौंप दिया और मसाला पार्क परियोजना रद्द होने की वजह से गुजरात सरकार से राशि की वापसी का अनुरोध किया (2016)। ऐसे में ₹ 2.63 करोड़ के मूल्य की पूंजीकृत भूमि को वापस किया जाना चाहिए था। भूमि के लिए भुगतान की गई कुल 4.78 करोड़ की राशि को चालू संपत्ति के तहत प्राप्य राशि (विविध देनदार) के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों तथा अग्रिम में क्रमशः ₹ 2.63 करोड़ और ₹ 2.16 करोड़ की अत्युक्ति हुई यही और चालू परिसंपत्तियों के अधीन प्राप्य राशियों (विविध देनदार) में ₹ 4.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।	राशि की वापसी के लिए इस मामले को गुजरात राज्य सरकार के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और इस पर बारबार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। एक बार गुजरात सरकार से यह प्राप्त हो जाने के बाद, इसे लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा।
घ	₹ 0.04 करोड़ की सावधि जमा का लेखांकन, वर्ष 2004-2010 की अवधि के लिए नई पेंशन योजना में कर्मचारी योगदान से अर्जित ब्याज को बोर्ड की आय के रूप में गिना गया, न कि पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण को देय के रूप में, जिसके परिणामस्वरूप आय में अधिक वृद्धि हुई और देनदारी में ₹ 0.04 करोड़ की कमी हुई।	यद्यपि एनपीएस योजना 01-04-2004 को लागू हुई, बोर्ड ने केवल 2011 के दौरान पीएफआरडीए में नामांकन किया। यह राशि उन कर्मचारियों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी योगदान के लिए ब्याज संवय का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें 2004-2011 की अवधि के लिए भर्ती किया गया है। चूंकि पीएफआरडीए में समतुल्य नियोक्ता योगदान के बिना अकेले इस ब्याज को अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियोक्ता के योगदान के साथ इस राशि को समायोजित करेगा, जिससे यह शेष राशि शून्य रहेगी।
ङ	चालू परिसंपत्ति में ₹ 4.42 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं जो पिछले पांच वर्षों से किए जा रहे थे। इसके लिए खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि समय और रिकॉर्ड की अनुपस्थिति को देखते हुए इस राशि की वसूली की संभावना बहुत कम है।	लेखा परीक्षा का अवलोकन नोट किया गया है। निपटान के लिए लंबित अग्रिमों के विवरण का पता लगाने और यह निर्धारित करने के प्रयास किए जाएंगे कि क्या समायोजन बिल गलत तरीके से अन्य श्रेणियों को आवंटित किए गए थे। यदि समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड राइटऑफ के लिए कार्रवाई शुरू करेगा।
आ	सामान्य	
1	लेखाओं पर टिप्पणी (अनुसूची 67)	
क	बोर्ड ने अपनी वित्तीय विवरणी, जैसे कि 31 मार्च 2023 को है, में उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि (देयता अनुसूची 3) और अल्पकालिक निवेश (संपत्तिअनुसूची 9) के रूप में कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि योगदान का अंतिम शेष ₹ 14.39 करोड़ शामिल किया है। सामान्य भविष्य निधि बोर्ड से संबंधित नहीं है, इसे अनुसूची 67 लेखाओं पर टिप्पणी में उचित रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया है। जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) खाते के उपचार का उचित प्रकटीकरण खातों के सूचनात्मक अनुभाग के एक भाग के रूप में वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाएगा।
ख	नोट संख्या 3 स्पाइसेस बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि के लिए उद्दिष्ट निधि, के अनुसार, बोर्ड ने विश्लेषण शुल्क से प्राप्त आय से उद्दिष्ट निधिपेंशन देनदारियों में ₹ 10.00 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। पिछले वर्षों के दौरान भी समान राशियों का अंतरण किया गया था। जैसे कि 31 मार्च, 2023 को है, पेंशन निधि से कुल ₹ 115.28 की राशि सावधि जमा में निवेश किया है। फिर भी, बोर्ड की वार्षिक पेंशन देनदारियाँ इस कार्य के लिए सृजित उद्दिष्ट निधि से पूरी नहीं होती और इसे भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त सामान्य सहायता अनुदान से व्यय किया जाता है। वर्ष 2021-22 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इस मुद्दे को स्पष्ट किया गया था।	बोर्ड ने 31.03.2021 तक बोर्ड की पेंशन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड की देयता ₹ 319.07 करोड़ है। 31.03.2023 को बोर्ड के पेंशन फंड में उपलब्ध शेष राशि केवल ₹ 115.28 करोड़ है और यह बोर्ड की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है।



ग	<p>नोट संख्या 7 में ₹ 9.77 करोड़ की आकस्मिक देनदारी का प्रकटीकरण शामिल नहीं है जो कोलकाता के गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के निर्माण से संबंधित कोलकाता उच्च न्यायालय में सिविकॉन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ लंबित मध्यस्थता मामले के कारण उत्पन्न हुआ है।</p>	<p>गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) कोलकाता के निर्माण के लिए सिविकॉन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कार्य आदेश का मूल्य ₹ 5.57 करोड़ था। अब तक पूरा किया गया कार्य ₹ 4.84 करोड़ का है और संबंधित बिलों का तदनुसार निपटान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, उनके चालू खाते के आधार पर कंपनी को ₹ 8 लाख का भुगतान भी किया गया, जिससे उन्हें कुल भुगतान राशि ₹ 4.92 करोड़ हो गई।</p> <p>अभी बाकी काम पूरा करने के लिए ₹ 65 लाख बकाया है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बोर्ड की ₹ 65 लाख की देनदारी तभी लागू होगी जब ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करेगा और अनुबंध की शर्तों का पालन करेगा।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार द्वारा जो ₹ 9.77 करोड़ का दावा किया गया है, वह उचित नहीं है। इसलिए, प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, ठेकेदार द्वारा मांगी गई बड़ी राशि के लिए आकस्मिक दायित्व पर विचार करना उचित नहीं है।</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



संलग्नक -1

क	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने बोर्ड के 83 शाखा कार्यालयों में से केवल दो कार्यालयों की लेखापरीक्षा चलाई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई गई थी।</p>	<p>उत्तर उठाए गए अवलोकन के जवाब में, हम निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, कथित अपर्याप्तताओं के लिए एक विस्तृत औचित्य प्रदान करना चाहेंगे</p> <p>शाखा कार्यालय वर्गीकरण</p> <p>हालांकि यह सच है कि स्पाइसेस बोर्ड के कुल 81 शाखा कार्यालय हैं, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनमें से 19 कार्यालयों को क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और 8 कार्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन लैब्स (क्यूईएल) हैं। इन 27 प्रमुख कार्यालयों को उनके आकार और संचालन पर प्रभाव के कारण आईपीआई द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है।</p> <p>हम अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इन 27 प्रमुख कार्यालयों में से 20 की लेखापरीक्षा पहले ही कर चुकी हैं, और शेष 7 प्रमुख कार्यालयों का काम चालू माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यह अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यालयों की व्यापक जांच सुनिश्चित करता है।</p> <p>अधीनस्थ कार्यालयों का कवरेज</p> <p>क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की लेखापरीक्षा के दौरान, यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ कार्यालयों (मण्डल कार्यालय, क्षेत्र कार्यालय और फार्म) के लेनदेन की भी लेखापरीक्षा की जाती है क्योंकि वे क्षेत्रीय कार्यालय को वसूली के लिए अपने बिल जमा करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अधीनस्थ कार्यालयों के लेनदेन भी अप्रत्यक्ष रूप से सभी कार्यालयों को शामिल करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।</p> <p>मण्डल कार्यालयों, क्षेत्र कार्यालयों और फार्मों का कवरेज</p> <p>यह समझना उचित है कि प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों और क्यूईएल के अलावा, शेष कार्यालय प्रभागीय कार्यालय (डीओ), फील्ड कार्यालय (एफओ) और फार्म हैं। ये कार्यालय आम तौर पर बिजली, टेलीफोन और सफाई कर्मचारी भुगतान जैसे नियमित और न्यूनतम लेनदेन से निपटते हैं, जिनकी अग्रिम राशि आमतौर पर लगभग ₹ 5000/- होती है।</p> <p>इन लेनदेन की प्रकृति और इसमें शामिल न्यूनतम राशि को देखते हुए, प्रभावी संसाधन आवंटन सुनिश्चित करने और बोर्ड पर अनावश्यक बोझ से बचने के लिए इन कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति को क्षेत्रीय कार्यालय में सुव्यवस्थित किया गया है। अन्यथा इन छोटे कार्यालयों में जाने और लेखापरीक्षा करने में यात्रा, आवास और लेखापरीक्षा शुल्क शामिल होंगे जो लेखापरीक्षा के लिए करदाता के पैसे की अत्यधिक बर्बादी होगी। इन कार्यालयों के ऑडिट में आने वाला कुल खर्च कार्यालयों के कुल लेनदेन खर्च से अधिक होगा, साथ ही विचार करने वाली बात यह है कि कार्यालय दूरस्थ स्थान पर हैं और कई कार्यालय केवल एक अधिकारी द्वारा संचालित होते हैं।</p> <p>भुगतान का पूर्वलेखापरीक्षा</p> <p>हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि 2 लाख से अधिक के भुगतान की सभी फाइलें उप निदेशक (लेखापरीक्षा व सतर्कता) द्वारा प्रीऑडिट से गुजरती हैं। यह प्रक्रिया जांच की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है और आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करती है।</p> <p>क्रय समिति में लेखापरीक्षा अनुभाग की भागीदारी</p> <p>खरीद समिति में लेखापरीक्षा अनुभाग की भागीदारी खरीद गतिविधियों पर निगरानी को और बढ़ाती है, स्थापित वित्तीय प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>समाधान और रिपोर्टिंग तंत्र</p> <p>आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए, सभी कार्यालय परिश्रमपूर्वक मिलान विवरण, वाहन उपयोग रिपोर्ट और बाहरी कार्यालयों की मासिक प्रगति रिपोर्ट लेखापरीक्षा अनुभाग को भेजते हैं। यह प्रथा संबंधित निदेशकों द्वारा नियमित समीक्षा को सक्षम बनाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, नए लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ सभी लेनदेन की लेखापरीक्षा मुख्यालय द्वारा किया जा सकता है, इसलिए बाहरी कार्यालयों की लेखापरीक्षा करना अप्रासंगिक होगा।</p> <p>निष्कर्ष में, हमारा मानना है कि अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण का सुझाव देने वाली लेखापरीक्षा टिप्पणी पूरी तरह से सटीक नहीं है। हमारी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को हमारे बोर्ड के भीतर विभिन्न कार्यालयों के आकार, जटिलता, अर्थव्यवस्था, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। हम अपनी प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और खातों और प्रदर्शन ऑडिट के दौरान ऑडिट फीडबैक हमारी वृद्धि पहलों को आकार देने में सहायक रहा है। इसलिए, यह कथन कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं थी और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी, सत्य नहीं है। संगठन के कार्यालय अधिक हो सकते हैं लेकिन कार्यालय छोटा है और इसमें बहुत कम वित्तीय स्वतंत्रता है, सभी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय से जुड़े हुए हैं और यह एक अर्ध केंद्रीकृत सेट अप है और ई-ऑफिस और लेखा प्रणाली के जरिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। किसानों के इमदाद की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के माध्यम से होती है जिसकी निगरानी मुख्यालय द्वारा की जाती है, निर्यात पंजीकरण की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है और मुख्यालय द्वारा जारी की जाती है। इन सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ कार्यालय के लिए अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सही नहीं है।</p> <p>हालाँकि, बोर्ड आश्वस्त करता है कि प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों और क्यूईएल सहित सभी कार्यालय इस महीने के अंत तक आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्यास पूरा कर लेंगे। बोर्ड आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की अत्यधिक दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपायों को लागू करना जारी रखेगा।</p>
<p>ख</p>	<p>आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता</p> <p>सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 229(टै) के अनुसार, बोर्ड ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।</p>	<p>लेखापरीक्षा का अवलोकन नोट किया गया है। चूंकि मंत्रालय द्वारा सूचित धनराशि और सहायता अनुदान जारी करने में अंतर की पूरी संभावना है, इसलिए एमओयू निष्पादित करने में व्यावहारिक कठिनाई है। वार्षिक बजट में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत चिह्नित निधि वर्ष इस अंतर के कारण वास्तविक व्यय के साथ भिन्न हो सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान बोर्ड को जारी की गई राशि मंत्रालय द्वारा सूचित प्रशासनिक अनुमोदन से कम थी।</p>
<p>ग</p>	<p>स्थिर परिसंपत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली</p> <p>वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार के यहीं के 83 इकाइयों में से 16 की स्थिर परिसंपत्तियों एवं मालसूचियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्यालय की स्थिर परिसंपत्तियों एवं मालसूचियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है।</p>	<p>लेखापरीक्षा अवलोकन अच्छी तरह से नोट किया गया है। भौतिक सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।</p>
<p>घ</p>	<p>सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता</p> <p>बोर्ड द्वारा, वर्ष 2004-2010 की अवधि के लिए नई पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों के अंशदान से अर्जित ब्याज के रूप में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को अभी तक ₹ 3.61 लाख का भुगतान शेष था।</p>	<p>यद्यपि एनपीएस योजना 01-04-2004 को लागू हुई, बोर्ड ने केवल 2011 के दौरान पीएफआरडीए में नामांकन किया। यह राशि उन कर्मचारियों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी योगदान के लिए ब्याज संवय का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें 2004-2011 की अवधि के लिए भर्ती किया गया है। चूंकि पीएफआरडीए में समतुल्य नियोक्ता योगदान के बिना अकेले इस ब्याज को अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियोक्ता के योगदान के साथ इस राशि को समायोजित करेगा, जिससे यह शेष राशि शून्य रहेगी।</p>

Shri Piyush Goyal

Hon'ble Minister for Commerce and Industry,
Consumer Affairs,
Public Distribution and
Government of India

01:15

PATRICK SEKITOLEKO
Codex Secretariat

D SATHIYAN IFS
Secretary, Spices Board

Dr M R
Chairp

IN PICTURES SPICES BOARD 2022-23

Interactive Session

Shri Piyush Goyal

Hon'ble Minister for Commerce and Industry,
Consumer Affairs

For



Spices Board 2022-23



Representatives of the Indian Spice Industry submit their memorandum to the Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Textiles, Shri Piyush Goyal on his visit to Spices Board



Shri A. G. Thankappan, Chairman, Spices Board and Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board welcoming the Hon'ble Minister Shri Piyush Goyal



Shri A.G. Thankappan, Chairman, Spices Board presenting memento to the Hon'ble Minister Shri Piyush Goyal

Spices Board 2022-23



Release of the book on GI-registered spices of India by Shri B.V.R. Subrahmanyam IAS, Commerce Secretary, Government of India



Shri B.V.R. Subrahmanyam IAS, Commerce Secretary, Government of India launching new products of Flavourit Spices Private Limited, an enterprise of Spices Board



Shri B.V.R. Subrahmanyam IAS, Commerce Secretary, Ministry of Commerce and Industry interacts with the officials of Spices Board



Mr Rajesh Bhushan IAS, Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India inaugurates the 6th Session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)



Shri D. Sathiyam IAS, Secretary, Spices Board speaking at the inaugural session of CCSCH6



Export Development & Promotion



Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board presenting Indian spices to Dr Sushil Kumar, Consul General of India in Melbourne, Australia at Fine Food Australia



Smt. Gina Uika IFS, Deputy Chief of Mission, Embassy of India, Moscow inaugurates Spices Board pavilion at World Food Moscow



Shri P. Kumaran, High Commissioner, High Commission of India to Singapore inaugurating Spices Board's stall at FHA Horeca 2022



Glimpses of Spices Board's participation in the IFE Manufacturing held at ExCel London during 20-22 March 2023



Officials of Spices Board and co-participants with Shri Sibi George, Ambassador of India to Japan at Foodex Japan 2023



Mr Sunjay Sudhir IFS, Ambassador of India to UAE inaugurates the India Pavilion at Gulfood Manufacturing held during 8-10 November 2022 in Dubai

Export Development & Promotion



Theme based experience zone on spices set up by Spices Board at G20-1st TIWG Meeting in Mumbai



Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Textiles, Shri Piyush Goyal appraises the spices gift box during the G20-1st TIWG meeting



Officials of Spices Board with Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Textiles, Government of India at the G20-1st TIWG Meeting held in Mumbai in March 2023



Inauguration of the Buyer Seller Meet held at Hubballi, Karnataka on 22 December 2022



To establish direct link between spice growers & exporters of Maharashtra, a Buyer Seller Meet was organized by Spices Board on 24 March 2023 at Navi Mumbai, Maharashtra

Export Development & Promotion



Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board honoring Dr Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam during the IBSM and Spices Conclave for North East



Shri Tage Taki, Minister of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry & Veterinary, Dairy Development & Fisheries, Government of Arunachal Pradesh inaugurates the exhibition of IBSM and Spices Conclave held at Guwahati, Assam



Dr Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam inaugurates the IBSM and Spices Conclave for North East



Dr Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam presenting cash prize and memento to Shri Neelam Jeel, first prize winner of Large Cardamom Productivity Award 2019-20



Dr Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam

Export Development & Promotion



Dr Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam presenting cash prize and memento to Shri Khyoda Apik, First prize winner of Large Cardamom Productivity Award 2021-22



Dr Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam honors Shri Nanadro B. Marak, Padma Shri Awardee for his contributions to the agricultural sector



Shri Sumit Kumar IAS, Collector and District Magistrate addressing the gathering at the Buyer Seller Meet for Black Pepper in Araku Valley, Andhra Pradesh organized during 29-30th November 2022



A glimpse of the buyer seller interactions during the Buyer Seller Meet at Araku Valley, Andhra Pradesh



Visit to farmers' field organised as part of the Buyer Seller Meet at Araku Valley, Andhra Pradesh



Shri Som Parkash, Minister of State for Commerce and Industry, Government of India with Shri Lakshman Acharya, Governor, Sikkim at Spices Board's pavillion during the visit of G20 delegates to Sikkim during 15-19 March 2023

Partnership for Synergy



Participants attending the 11th Meeting of International Pepper Community (IPC) on Research and Development



Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board along with the officials of Flipkart after signing ToU to provide national market access and help promote farmers and grassroots organizations working in the spices sector from all regions of the country



Inauguration of the Project Stakeholders Consultation Workshop & Project Steering Committee Meeting under the collaborative project funded by STDF at Jodhpur, Rajasthan



Field visit organised as part of the workshop under the Collaborative Project with STDF to Berkalan, Rajasthan



Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board and Dr Sridevi Annapurna Singh, Director, CFTRI with officials of Spices Board and CFTRI after signing the MoU to extend incubation facilities to spices exporters



Shri A. G. Thankappan, Chairman, Spices Board inaugurates the Organic Farming Training Centre at KADS PCL, Thodupuzha

Partnership for Synergy



Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board inaugurating the training programme on Sustainability Certifications



Shri Antony Kandirickal, Chairman, KASIP handed over the free space allotted to Spices Board to Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board, IPM, Srirangapatna, Karnataka



Shri A G Thankappan, Chairman, Spices Board visits a spices plantation in Madikery, Karnataka



Training of Trainers Programme on Good Hygienic Practices in Cumin and Fennel a collaborative project with STDF during the visit of STDF officials to Spices Board at Ajmer, Rajasthan



Spices Board signed an MoU with APMC Byadagi, Karnataka for setting up a Modern Testing Laboratory at APMC Byadagi for Byadagi chilli and the Board will give technical consultancy for the project



Exposure visit of officials from

Partnership for Synergy



Release of package of practices of Small Cardamom in Malayalam during the training on e-Trading and Spice Sourcing Mela



Adv. Dean Kuriakose, Member of Parliament, Idukki inaugurating Training on e-Trading and Spice Sourcing Mela



Visit of delegation from Indonesia to Chilli IPM field at NTR district, Andhra Pradesh on 19 December 2022 in connection with Global GAP compliance inspection



Spices Board conducted the Preventive Control Qualified Individuals for Human Food training at Ahmedabad from 27-29 March 2023 through its collaborative training center



Shri Mark Abdo, Associate Commissioner of Global Policy and Strategy, USFDA visited Spices Board on 28 September 2022 and interacted with the officials



The Collaborative Training Cell of Spices Board conducted a training on preventive control for human food from 31st January 2023 to 2nd February 2023

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Shri Arvind Dharmapuri, Member of Parliament, Nizamabad, Telangana interacts with exporters on 23 January 2023 at Hyderabad



Training at National Institute of Plant Health Management, Hyderabad for the officials of Spices Board on Good Agricultural Practices in Spices during 17-21 October 2022



Exposure visit of turmeric farmers to organic farm at Nandigram, Telangana



Glimps of Spice clinic:
One of the flagship outreach programmes of Indian Cardamom Research Institute



Extension visit of Small Cardamom farmers from Karnataka to Idukki district, Kerala



One of the Spice clinics organized on Large Cardamom in Sikkim

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Shri B Venkateson, Director (Development) visits herbal spice nursery at Ooty, Tamil Nadu



Field extension visit to Dzulha in Phek district, Nagaland



Distribution of Turmeric Boiler at Udaygiri, Nellore district, Andhra Pradesh



Distribution of Mint Distillation Units to farmers at Barabanki, Uttar Pradesh



Extension visit to Large Cardamom Plantations in Sikkim



Quality Improvement Training Programme on Small Cardamom held at Kumily

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement



Distribution of seed spices threshers to growers at Unjha, Gujarat



Release of the Annual Research Report on Large Cardamom for 2021-22



Growers' Training Programme on Chilli and Ginger at Logwesunyu, Nagaland



Spices Board Sakleshpur Office established a Model Spices Garden at Morarji Desai Residential School, Byakaravalli which has spices such as ginger, small cardamom, black pepper, clove, cinnamon & garcinia



Shri A. G. Thankappan, Chairman, Spices Board along with Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board at the turmeric processing unit of CFTRI, Mysuru



Officials of Spices Board with Dr Sridevi Annapoorna Singh, Director, CFTRI and other officials at CFTRI

General Administration & Skill Development



Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board delivering the inaugural address during International Yoga Day celebrations



Officials of Spices Board during the Yoga session organised as part of International Yoga Day Celebrations at Spices Board Head Office, Kochi



Adv. Raaga Ramalakshmi with the women employees of Spices Board after delivering a talk on 'Know your Rights' as part of the International Women's Day Celebrations 2023



International women's day celebration at Spices Board, Regional Office, Unjha



As part of the International Women's Day Celebrations, Spices Board organised sessions for women on Women welfare schemes implemented by the Ministry of Women and Child Development and Ministry of MSME on 7th March 2023

The image features a complex abstract composition of black and yellow geometric shapes. A large black triangle is positioned at the top left, pointing downwards. A horizontal yellow band is located near the top center, containing the word "MEMBERS" in red, uppercase letters. Below this band, several other yellow shapes, including triangles and trapezoids, are arranged in a way that suggests a descending staircase or a series of overlapping planes. The background is a solid black color.

MEMBERS



Shri T.T. Jose
Member



Shri Nandyala Satyanarayana
Member



Shri Sen Thabah
Member



Shri S.G. Medappa
Member



Shri Ajit Pai
OSD, Nithi Aayog,
Member

The Horticulture Commissioner
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Govt of India

The Economic Adviser
Ministry of Commerce & Industry
Govt of India

Ms Anita Tripathi
Deputy Secretary
Ministry of Labour & Employment
Govt of India

The Director
ICAR - Indian Institute of Spices Research

The Director
Indian Institute of Packaging


The Director
Central Food Technological
Research Institute (CFTRI), CSIR

The Principal Secretary to Government
Horticulture & Sericulture Department
Govt of Karnataka

Farmer Welfare & Co-operation Department
Govt of Gujarat

The Special Chief Secretary
Agriculture & Co-operation
Govt of Andhra Pradesh

Number of vacant positions - 5



त्पाइसेस बोर्ड
भारत

ANNUAL REPORT 2022-23

Spices Board

(Ministry of Commerce and Industry,
Government of India)

Sugandha Bhawan, P.B. No.:2277, Palarivattom P.O.
Ernakulam-682025
www.indianspices.com

Compiled and Edited by:

Shri Nithin Joe

Deputy Director

Shri T.P. Prathyush

Deputy Director

Shri Biju D. Shenoy

Assistant Director

Ms Reshmi E. G.

Farm Manager

Ms Aneenamol P.S.

Editor

Technical Support:

Shri R. Jayachandran

EDP Assistant

CONTENTS

Executive Summary	04
1. Constitution and Functions	09
2. Administration	12
3. Finance and Accounts	18
4. Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices	20
5. Export Development and Promotion	31
6. Trade Information Service	42
7. Publicity and Promotion	48
8. Codex Cell and Interventions	52
9. Quality Improvement	54
10. Export Oriented Research	59
11. Information Technology and Electronic Data Processing	63
12. Implementation of Right to Information Act, 2005	64
Way Forward	65
Appendix	67
Paras in Separate Audit Report 2022-23	



EXECUTIVE SUMMARY

Spices Board is the flagship organization under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India for the development and worldwide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for excellence of Indian spices to help the Indian Spices Industry to attain the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value-added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market. The Board has made quality and hygiene as the cornerstones for its development and promotional strategies.

During 2022-23, India exported 14,04,357 MT of spices and spice products valued at ₹31,761.38 crore (3,952.60 million US\$). India's export of spices increased from 8,17,250 MT valued at ₹13,73,539 lakhs (2,268 million US\$) in 2013-14 to 14,04,357 MT valued at ₹31,76,138 lakhs (3,952.60 million US\$) in 2022-23 registering an increase of 82 per cent in volume, 131 per cent in value (INR) and 84 per cent in value (US\$). The spices export sector of India registered a CAGR of 6.2 percent in volume, 9.76 percent in value (INR) and 6.37 percent in value (US\$) since 2013-14. Compared to the previous year, there was an increase of 4.74 per cent in rupee terms of value in the export of spices from India.

Indian spice export basket contains 225 spices and spice products which were exported to more than 180 destinations globally during the period under report. During 2022-23, the major contributors in spice export basket in terms of value were Chilli(33%), Cumin(13%), Spice oil & Oleoresins (13%), Mint products (11%), Turmeric (5%), Curry powder (4%), Small Cardamom (3%) and Pepper (2%) which altogether contributed more than 80 per cent to the total export earnings of spices.

During the period, the major export destinations of Indian spices were China (20%), U.S.A.(14%), Bangladesh (7%), U.A.E.(6%), Thailand(5%), Indonesia(4%), Malaysia (4%), U.K. (3%), Sri Lanka (3%), Germany (2%), Netherlands (2%), Nepal (2%), and Saudi Arabia (2%) contributing more than 70 per cent to the export earnings of spices. Out of the top 11 destinations, export to seven major destinations have shown an increase during FY 2022-23.

In the year 2022-23, export of spices like Turmeric, Coriander, Garlic, some of the seed spices like Ajwan, Aniseed, Dill seed, etc., classified under 'Other Seeds' and spices like Asafoetida, Cinnamon, and Cassia under 'Other Spices' have shown increase in both volume and value. In the case of value-added products, export of curry powder/paste increased both in terms of volume and value.

Aligned with the trade notice released by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Spices Board initiated the process of on-boarding onto the Common Digital Platform (eRCMC) developed by the DGFT for issuance of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES). This strategic move aimed to streamline regulatory compliance as part of the ease of doing business and the Board completed the on-boarding and started issuing CRES through the DGFT portal from April 2022 onwards. Through the DGFT portal, a cumulative total of 1,771 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) were issued during the period up to 31 March 2023. For the period of 2022-23, Spices Board issued a total of 1,968 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES), with 1,774 certificates falling under the merchant category and 194 certificates categorized as manufacturer exporter.



Annual Report 2022-23



As part of the ease of doing business, with effect from 01 August 2022, the Board has on-boarded into the National Single Window System (NSWS) developed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), for the issuance of Cardamom Dealer License and Auctioneer License. Out of the total number of 131 Cardamom Dealer Licenses issued during the period 2022-23, 39 numbers were issued through the NSWS Portal.

Spices Board commenced the special e-auctions of lab-tested Small Cardamom on pilot basis to facilitate a separate marketing channel for cardamom tested in lab for pesticides and artificial colours on 22nd October 2022. The special e-auction was initiated with the objective to promote production of IPM (Integrated Pest Management) cardamom in compliance with the pesticide MRLs and that are free of artificial green colour. It also aimed to identify and facilitate sourcing of good quality cardamom to explore export markets besides facilitating better price realization driven by the market forces. This drive is also expected to attract more farmers to adopt GAP/IPM/Organic production practices in cardamom. Stakeholders were facilitated to take part in the special e-auctions either at the Board's e-auction centre at Puttady, Kerala or at Bodinayakanur, Tamil Nadu through the Cloud based Live e-Auction facility.

For the block period 2020-23, the Board had issued 668 Cardamom Dealer Licenses all over India, of which 629 licenses were for Small Cardamom and 39 for Large Cardamom. A total of 12 e-auctioneer licenses were issued for conducting e-auctions of Cardamom (Small) at Puttady and Bodinayakanur. Four Manual Auctioneer Licenses were issued for conducting manual auctions of Cardamom (Small) in Maharashtra, Karnataka, and one Manual Auctioneer License for conducting manual auction of Cardamom (Large) in Phek, Nagaland.

A total quantity of 27,843 MT of Cardamom (Small) was sold through e-auctions conducted at the Board's Puttady and Bodinayakanur auction centres during the period August 2022- July 2023. Production of Small and Large Cardamom during

2022-23 was 24,463 MT and 9074 MT respectively with a productivity of 513.68 kg/ha in Small Cardamom and 285.76 kg/ha in Large Cardamom.

Spices Board launched a pilot project in collaboration with M/s M-Junction for e-selling of Large Cardamom in Nagaland. The pilot project is expected to bring easy marketing options to the farmers of Large Cardamom, most of whom are cultivating in remote areas of the North Eastern region and foster competition among buyers and contribute to better price realization to the growers.

The budget approved for Spices Board during 2022-23 was ₹11,550.00 lakh. An amount of ₹7,874.50 lakh against grants, ₹2,027.50 lakh against subsidies, ₹849.00 lakh towards provision for the North Eastern region; ₹349.00 lakh towards provision for SC sub plan; and ₹450.00 lakh towards provision for Tribal Sub Plan were received by the Board from the Government of India during 2022-23. The Board generated Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹2,661.36 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short-term deposits, etc., in 2022-23. The total expenditure of the Board during 2022-23 was ₹12,096.58 lakh.

With a view to promote the export of spices from India, the Board organised seven domestic buyer seller meets and three international buyer seller meets during 2022-23. Spices Board, so as to attract, motivate and equip the progressive stakeholders to enter into the spices business, has been organizing Entrepreneurship Development Training Programmes, involving participants from across India. During FY 2022-23, the Board organized three Entrepreneurship Development Training Programmes.

During 2022-23, Spices Board participated in 35 domestic trade fairs and Seven international trade fairs with an aim to promote Indian spices globally.



Aiming at connecting the North East spices community with the global spices fraternity, an International Buyer Seller Meet (IBSM) and Spices Conclave was organised at Guwahati, Assam during 30 June and 01 July 2022 which had active participation of farmers, Farmer Producer Organisations (FPOs), and Officials from across the eight North Eastern States.

In connection with India's G20 presidency, the first meeting of the Trade and Investment Working Group (TIWG) was held at Mumbai, Maharashtra during 28-30 March 2023 and theme-based experience zones on spices, millet, tea, and coffee were set up at the venue. At this meeting, the experience zone on spices put up by Spices Board was of aesthetic design and displayed the spectrum of spices and value-added spice products in addition to live spice plants to provide a first-hand experience of Incredible Indian Spices.

The sixth session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was held virtually, on 26, 27, 28, 29, 30 September and 03 October 2022. Dr M. R. Sudharshan, former Research Director, Spices Board India, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, chaired the session, and was attended by 60 Member Countries, one Member Organization (European Union), Observers of four International Governmental Organizations (IGOs) and Non-governmental Organizations (NGOs) and United Nations agencies. CCSCH6 concluded successfully with finalization of quality standards for three more new spices, viz., chilli pepper & paprika, nutmeg, and saffron, and the same was forwarded to the Codex Alimentarius Commission (CAC) for adoption.

Spices Board being responsible for the overall development of Cardamom (Small and Large) in terms of improving production, productivity and quality, implemented various schemes and programmes for betterment of the cardamom sector. During 2022-23, through implementation of Replanting/ New Planting Programme, the Board aided replanting 444.90 ha of Small

Cardamom with a financial assistance of ₹430.85 lakh. Assistance was also given for replanting/ new planting of Large Cardamom in an area of 549.21 ha and ₹455.04 lakh was arranged as financial assistance, benefitting 2338 growers. Departmental Nurseries of the Board produced 144,060 cardamom planting materials, 193,753 rooted pepper cuttings, and 15,027 pepper nucleus planting materials and distributed to the growers. Under Certified Nursery Scheme, 174.4 Small Cardamom units (8,72,000 planting materials) and 226.37 Large Cardamom units (11,31,850 planting materials) were established with the financial assistance of ₹96.37 lakh. Under Irrigation and Land Development Programme, a total number of 66 water storage structures and 53 rainwater harvesting structures were constructed and 110 irrigation pump sets and 15 micro irrigation systems were installed benefitting 244 farmers with the financial assistance of ₹54.19 lakh in 2022-23.

Under Post-harvest Quality Improvement Programme, 49 improved cardamom curing devices for Small Cardamom and four improved cardamom curing devices for Large Cardamom were setup at a total expenditure of ₹71.94 lakh. For curing Large Cardamom, 67 Modified Bhatti units were constructed at a financial assistance of ₹ 15.61 lakh.

The Board extended assistance for installing 103 power operated threshers in the farmers' fields at a total subsidy of ₹ 80.81 lakh; 459 pepper threshers at a total subsidy of ₹80.73 lakh; 122 turmeric steam boiling units at a financial assistance of ₹ 281.76 lakh; 204 spices polishing units at a financial assistance of ₹178.34 lakh and 322 nutmeg/clove dryersto the tune of ₹69.07 lakh. Further, assistance for establishing six mint distillation units, 28 spice cleaners/graders/spiral gravity separators, and 54 spices washing machines was provided at a financial subsidy of ₹50.59 lakh. Under Quality Gap Bridging Groups, 21 farmers' groups in spices sector installed various post-harvest machines



Annual Report 2022-23



and a financial assistance of ₹130.64 lakh was provided benefitting 6,441 farmers.

In order to promote organic production of spices, 307 vermicomposting units were set up benefitting 307 growers at a total subsidy of ₹30.77 lakh and seven organic seed banks were set up for ginger and turmeric with a financial assistance of ₹4.65 lakh. Quality Improvement Trainings were extended to 13087 personnel under 235 training programmes during 2022-23 with a total expenditure of ₹16.20 lakh. During 2022-23, 28,550 extension visits were made and 19,526 group meetings/campaigns were organized for cardamom (Small and Large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹2,098 lakh.

To protect Small Cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production, Weather Based Crop Insurance Scheme for Small Cardamom in Idukki district of Kerala was launched as a pilot project in collaboration with the Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) as the implementing agency. During 2022-23, 325 farmers were enrolled under the scheme covering an area of 217 ha and provided an assistance of ₹34.54 lakh as the Board's share.

To strengthen Good Agricultural Practices in India, the Quality Council of India (QCI) had developed India Good Agricultural Practices (IndGAP) Certification Scheme, which is aligned as per ISO 17065, the international standard for product/process certification requirements, complete with certification and accreditation framework. Spices Board entered a MoU with the QCI to carry out "Pilot project on IndGAP Certification of Spices". In the pilot phase, the QCI had implemented five projects from the various clusters identified in the Agriculture Export Policy (AEP).

A campaign on 'Clean and safe spices' was conducted on 27th February, 2023 commemorating the 36th foundation day of Spices Board to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practices to be followed at various stages of production, processing, value addition and export of spices. It was conducted across the country for creating an awareness among all the stakeholders and the public. On the occasion, the Board, in collaboration with the YES Bank Ltd, compiled and published a book for the use of spices exporters in India titled 'A Compendium on Key Schemes for the Spices Exporters'.

Spices Board and Kerala Agricultural Development Society (KADS) PCL jointly established a training centre on Organic Farming at Thodupuzha, Idukki, Kerala which was inaugurated on 29th April, 2022.

During 2022-23, various programmes were implemented aimed at development and promotion of export of spices from India, including launch of a Special e-Auction for Lab Tested Cardamom, Buyer Seller Meets, and Entrepreneurship Training Programmes. Under Trade Promotion Schemes, assistance of ₹90.78 lakh was provided to eligible exporters under various components.

The Quality Evaluation Laboratories (QEL) of Spices Board at Kochi, Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata continued to provide analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices. Under the QEL, a basic testing facility for cumin and other seed spices was established at Spices Park, Jodhpur, which was inaugurated on 20th April 2022. During the FY 2022-23, the laboratory analysed a total of 1,32,806 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, Ethylene Oxide (ETO) and Salmonella spp., etc.

The superior quality cardamom clone (MCC 594), developed by Indian Cardamom Research Institute (ICRI), Myladumpara through natural selection, genetic upgrading and evaluation, is registered and with ICAR- NBPGR, New Delhi. This



clone is assigned with IC No. 645601 and notified to propose as a new variety in the Kerala State Varietal Release Committee for plantation crops. Ten multi locational trials (MLTs) of this clone were laid out in farmers' fields in the cardamom tract of Idukki district to assess the performance of this clone as a prerequisite for variety release.

As part of hybridization programme in Small Cardamom, developed two hybrids which were promising and suitable for the cardamom tracts of Idukki district. These two hybrids developed were evaluated for consecutive four years and the two hybrids were notified by ICAR-NBPGR and assigned IC numbers as IC645599 (MHC-1) and IC645600 (MHC-2) respectively.

A prototype of Mobile Application for site specific fertiliser recommendation was developed as an output of the collaborative project (ICRI, Spices Board; Rubber Board and Digital University of Kerala) entitled 'Integrating GIS based soil fertility assessment of cardamom tract and app-based fertiliser recommendation for climate resilient cardamom cultivation'. On a pilot basis, the fertiliser recommendation will be available for the spice growers in ten villages in Idukki district. A total of 1,502 soil samples were tested covering 18,024 nutrient parameters and rendered advisory services through soil test reports and recommendations reaching 554 spice farmers in South India.

A state-of-the-art Quality Evaluation Laboratory for pesticide residue analysis was established at ICRI, Myladumpara with financial assistance of the State Horticulture Mission, Kerala. During the period 2022-23, 30 Mobile Spice Clinic Programmes were conducted by ICRI and 515 farmers benefitted from the programmes through diagnostic field visits and farm advisory services.

The 92nd Board Meeting of Spices Board was held at ITC Golden Palace, Mysore in Hybrid Mode on 26th April, 2022.

In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2022-23.

Spices Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard in 2022-23. The Board disclosed every information required to be disclosed suo moto in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2022-23, a total of 74 RTI applications (through physical and the online portal) and 15 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. One Central Information Commission (CIC) hearing was held during this period.





CONSTITUTION AND FUNCTIONS

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by the Parliament provides for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26th February, 1987.

B. The Spices Board consists of:

- a) A Chairman to be appointed by the Central Government;
- b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;
- c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:
 - (i) Commerce;
 - (ii) Agriculture; and
 - (iii) Finance;
- d) Six members to represent the growers of spices*;
- e) Ten members to represent the exporters of spices;
- f) Three members to represent major spice producing states;
- g) Four members one each to represent:
 - (i) The Planning Commission (now NITI Aayog);
 - (ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;
 - (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;
 - (iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;

- h) One member to represent spices labour interests.

* Amended as per Ministry of Commerce & Industry, Government of India Gazette Notification (Extraordinary) No.G.S.R.157 (E) dated 2nd February, 2018.

C. Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986 has assigned the following functions to the Board:

a) The Board may:

- i) Develop, promote and regulate export of spices;
- ii) Grant certificate for export of spices;
- iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;
- iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;
- v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;
- vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through 'Quality Marking' for spices for export;
- vii) Control quality of spices for export;
- viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;
- ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;
- x) Provide warehousing facilities abroad for spices;
- xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;



- xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and
- xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.

b) The Board may also:

- i) Promote cooperative efforts among growers of cardamom;
- ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;
- iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;
- iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;
- v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;


- vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;
- vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;
- viii) Improve the marketing of cardamom;
- ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom;
- x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and
- xi) Undertake, assist, or encourage scientific, technological, and economic research.

D. Spices under the purview of the Board

The following 52 spices are listed in the schedule of the Spices Board Act:


1	Cardamom	19	Kokam	37	Juniper berry
2	Pepper	20	Mint	38	Bayleaf
3	Chilli	21	Mustard	39	Lovage
4	Ginger	22	Parsley	40	Marjoram
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	41	Nutmeg
6	Coriander	24	Saffron	42	Mace
7	Cumin	25	Vanilla	43	Basil
8	Fennel	26	Tejpat	44	Poppy seed
9	Fenugreek	27	Pepper long	45	All-Spice
10	Celery	28	Star anise	46	Rosemary
11	Aniseed	29	Sweet flag	47	Sage
12	Bishop's weed	30	Greater Galanga	48	Savory
13	Caraway	31	Horseradish	49	Thyme
14	Dill	32	Caper	50	Oregano
15	Cinnamon	33	Clove	51	Tarragon
16	Cassia	34	Asafoetida	52	Tamarind
17	Garlic	35	Cambodge		
18	Curry leaf	36	Hyssop		

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

Organogram of Spices Board



Sanctioned strength - 379
In position - 243 (as on 31.03.2023)



ADMINISTRATION

A. Administration

Shri D. Sathiyam IFS continued to serve as the Secretary, Spices Board during the period under report. Dr Rema Shree A.B. continued as Director (Research) and held additional charge of Director (Finance) during the period under report. Shri B. Venkateson, Deputy Director (Development), Shri Jijesh T. Das, Deputy Director (EDP) and Shri B. N. Jha, Deputy Director (Marketing) continued to hold the charge of Director (Development), Director (Administration) and Director (Marketing) respectively.

Spices Board has already achieved the targeted staff strength approved in the restructuring proposal. Against the sanctioned strength of 379, as on 31 March, 2023, the existing staff strength of Spices Board is 243 consisting of 71 Group A, 82 Group B, and 90 Group C employees.

The Board granted promotion to 17 employees and financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) to three eligible employees during the period under report. The Board engaged four Marketing Consultants, two Marketing Executives and seven Development Executives to support export promotion and development activities.

The Board engaged over 110 unemployed youth from the SC/ST category in the graduate/postgraduate level as trainees for imparting training in analytical services in the Quality Evaluation Laboratories, agricultural extension service in the Field Offices and Research Stations and for attending official works in the departments of Accounts, Publicity and Library.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The

instructions issued by the Government from time to time in this regard were strictly adhered to. As on 31 March, 2023 there were 141 (OBC-81, SC-34 and ST-26) employees belonging to SC/ST and OBC categories. No appointment was made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce due to pending approval of the Recruitment Regulation (R.R.) of Spices Board. The Ministry vide Letter No. 5/6/2018-Plant-D dated 04 February, 2020 has directed the Board not to go ahead with recruitment till the R.R. is approved by the Ministry.

b) Welfare of women

As on 31 March, 2023, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories was 66. The grievances of women employees were timely and properly attended to. A Group-A level woman officer of the Board has been appointed as 'Women Welfare Officer' to sort out the difficulties/ problems, if any, or to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions.

c) SC/ST/OBC welfare

The Board had constituted SC/ST and OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to SC/ST/OBC.

d) Welfare of persons with disabilities

Spices Board had constituted Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters related to persons with disabilities. The Board also implemented reservation in promotion to the persons with disabilities as per the instructions from the Government.



e) Functional network of Spices Board

The Head Office of Spices Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices for Small and Large Cardamom, Quality Evaluation Laboratories (QEL), Research Stations and Spices Parks.

The following offices of the Board functioned during 2022-23:

(i) Export Promotion Offices

Sl. No.	Location	State/UT
1	Paderu	Andhra Pradesh
2	Warangal	Andhra Pradesh
3	Guntur	Andhra Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Jagdarpur	Chhattisgarh
7	New Delhi	Delhi
8	Ponda	Goa
9	Ahmedabad	Gujarat
10	Unjha	Gujarat
11	Una	Himachal Pradesh
12	Srinagar	Jammu & Kashmir
13	Bangalore	Karnataka
14	Mumbai	Maharashtra
15	Shillong	Meghalaya
16	Aizawl	Mizoram
17	Koraput	Odisha
18	Jodhpur	Rajasthan
19	Chennai	Tamil Nadu
20	Nagercoil	Tamil Nadu
21	Nizamabad	Telangana
22	Hyderabad	Telangana
23	Agartala	Tripura
24	Barabanki	Uttar Pradesh
25	Kolkata	West Bengal

(ii) Development Offices/Farms

Research and Development of Small Cardamom		
Sl. No.	Location	State
1	Adimali	Kerala
2	Elappara	Kerala
3	Kalpetta	Kerala
4	Kattappana	Kerala
5	Kumily	Kerala
6	Nedumkandam	Kerala
7	Pampadumpara	Kerala
8	Peermade	Kerala
9	Puttady	Kerala
10	Rajakkad	Kerala
11	Rajakumari	Kerala
12	Santhanpara	Kerala
13	Udumbanchola	Kerala
14	Bodinayakanur	Tamil Nadu
15	Erode	Tamil Nadu
16	Bathlagundu	Tamil Nadu
17	Aigoor (farm)	Karnataka
18	Belagola (farm)	Karnataka
19	Beligeri (farm)	Karnataka
20	Bettadamane (farm)	Karnataka
21	Sakleshpur	Karnataka
22	Haveri	Karnataka
23	Koppa	Karnataka
24	Madikeri	Karnataka
25	Mudigere	Karnataka
26	Shivamogga	Karnataka
27	Sirsi	Karnataka
28	Somwarpet	Karnataka
29	Vanagur	Karnataka
30	Yeslur (farm)	Karnataka

Research and Development of Large Cardamom		
Sl. No.	Location	State
1	Itanagar	Arunachal Pradesh
2	Namsai	Arunachal Pradesh
3	Pasighat	Arunachal Pradesh
4	Roing	Arunachal Pradesh
5	Ziro	Arunachal Pradesh
6	Dimapur	Nagaland
7	Kohima	Nagaland
8	Gangtok	Sikkim
9	Geyzing	Sikkim
10	Jorethang	Sikkim
11	Mangan	Sikkim
12	Kalimpong	West Bengal
13	Sukhiapokhri	West Bengal
14	Churachandpur	Manipur



(iii) Research Stations

Sl. No.	Location	State
1	Myladumpara	Kerala
2	Donigal-Sakleshpur	Karnataka
3	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
4	Tadong	Sikkim

(iv) Quality Evaluation Laboratories (QEL)

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra
5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu
8	Kolkata	West Bengal

(v) Spices Parks

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Puttady	Kerala
3	Chhindwara	Madhya Pradesh
4	Guna	Madhya Pradesh
5	Jodhpur	Rajasthan
6	Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
7	Sivaganga	Tamil Nadu
8	Raebareli	Uttar Pradesh

f) Activities during 2022-23

(i) Procurement of goods and services

All the outsourced services like security, housekeeping, electrician, etc., were procured through Government e-Marketplace (GeM). Purchase of products like computers, printers, stationery, etc., were also made through GeM (More than 80 per cent of the total purchase was done through GeM).

(ii) Implementation of Swachh Bharat Mission

All the activities notified by the Ministry as part of implementation of Swachh Bharat Mission have successfully been implemented in Spices Board and reports including photos were forwarded to the Ministry.

(iii) Board meetings during 2022-23

During the period 2022-23, one Board meeting was conducted, i.e., the 92nd Board Meeting at ITC Golden Palace, Mysore in Hybrid Mode on 26th April, 2022. The validity of the present Board was only up to 27 May 2022 and the next Board was not constituted during 2022-23.

(iv) Maintenance of Outstation Offices

Maintenance of the Head Office of the Board located at Kochi and 82 offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices, eight Quality Evaluation Laboratories (QELs), four Research Stations and eight Spices Parks was attended to.

(v) Observance of Days of National Importance

Days of National Importance notified by the Government of India have been observed in Spices Board. Following such days were observed during the year 2022-23:-

- International Day of Yoga
- World Blood Donation Day
- Communal Harmony Week
- All other days of national importance like Independence Day, Republic Day, Constitution Day, etc.

(vi) Measures to control spread of COVID -19

The Board ensured that all measures were taken in the office to check the spread of COVID-19, in adherence to all



the regulations and directions from the Ministry regarding COVID-19 pandemic, including the following measures:

- a) Facility for hand sanitizing at office premises.
- b) Distribution of sanitizer to all the staff members at Spices Board Head Office.
- c) Sanitizing office premises when Covid positive cases were detected in the office.
- d) Sanitizing office vehicles when required.

B. Implementation of Official Language Policy

The Official Language section in Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programmes to promote use of Hindi as official language and also to monitor and guideline implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, kept its efforts continued to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2022-23 also.

Major activities and achievements:

(i) Translation

Major translation work [English to Hindi and Vice versa] undertaken were of the;

- Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references, etc.
- Annual Report & Audit Report 2021-22 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.

- Letters received in Hindi and replies thereof.
- Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.
- Materials [banner, backdrop, invitation card, programme sheets, etc.] for various official functions arranged by the Board.

(ii) Implementation of OL policy

a) OLIC meetings

Four OLIC meetings, in the tune of one in each quarter, were convened on 22nd June, 2022 (April-June 2022), 29th September, 2022 (July-September 2022), 28th December, 2022 (October-December 2022) and 27th March, 2023 (January-March 2023) respectively.

b) Hindi workshop

Four Hindi workshops were organized regularly in each quarter (12-05-2022, 07-09-2022, 09-11-2022 & 17-02-2023) for the staff members of the Board and information was provided to the participants about the latest techniques to increase the use of Hindi in the office. They were made aware of the OL policy as well as the Board's activities to implement the OL policy with a thrust on ensuring compliance of check-points effectively.

During the period, a workshop was organized through online for the office bearers of the subordinate offices of the Board, especially the Regional Offices, on submission of quarterly progress reports through online medium. Representatives of all Regional Offices participated in the workshop organized on 09th November, 2022 and proper information was provided to all concerned regarding submission of quarterly progress report.

c) Subscription to Hindi newspaper/ magazines

Continued subscription to Hindi newspaper 'Daily Hindi Milap' and Hindi magazines namely Sarita and Vanita.



d) Official Language inspection

The Third Sub-Committee of the Hon'ble Committee of Parliament on Official Language inspected the Board's Head Office on 04th January 2023. The Committee appraised the progress made by the Board in the field of implementation of the Official Language Policy of the Union. An exhibition of materials and samples of the publications of the Board and the work done in the implementation of the official language was put up. On the day of inspection, the honourable members of the committee visited the stall and saw the displayed materials. During the inspection/meeting, the Committee gave valuable suggestions for better implementation of the Official Language policy. Action is being taken on the suggestions given by the committee and the assurances given to the committee.

e) Hindi Day/Fortnight celebrations 2022

14 September, 2022 was celebrated as Hindi Day in the Board. On behalf of the Board, the Hindi Officer-in-charge participated in the All India Hindi Conference held at Surat, Gujarat on 14th September, 2022. The same day was celebrated as Hindi Day across the Board. Officials from across India participated in the Hindi Fortnight Celebrations held during 14th - 29th September, 2022. Various competitions were organized through online medium for the staff members in connection with Hindi Fortnight Celebrations 2022. The celebrations became a grand success with very good response from the officials of the Board.

As per the guidelines of the Ministry of Home Affairs, in connection with the Hindi Divas/Week/Fortnight/Month in September, 2022, that all the Central Government Offices, at least ten posters/banners/standees or one or two digital displays of some prominent persons in Hindi language should be made to display by all the offices apart from other activities. Accordingly, the Board has prepared ten posters containing quotes of eminent personalities and displayed them at prominent places so that the officers of the Board

were reminded of the statutory and constitutional obligation towards Hindi. The intention was to inspire and encourage our personnel to do more and more official work in Hindi. Necessary directions were also issued to the subordinate offices in this regard.

Hindi Fortnight 2022 - Special Programmes

Spices Board has been organizing special programmes in Hindi for school children and public every year as part of its Hindi Fortnight celebrations. During the year 2022-23, the Board organized a conversation competition in Hindi-'Vartalaap'- on 03rd December, 2022 for the High School students from the schools in and around Bengaluru city. More than 30 schools had submitted their nominations for the competition. The programme was duly inaugurated by Dr Johncy Manihottam, Deputy Director, Spices Board Regional Office, Sakleshpur. The winners were awarded with trophy and spice gift box.

The valedictory function of Hindi Fortnight Celebrations was organized on 02nd March, 2023 in hybrid manner at the Board's Head Office. All the staff members of Regional Offices of the Board attended the programme through online. Trophies, cash awards/certificates for the prize winners of the various Hindi competitions conducted for the staff members of the Head Office, commendable work done by the staff in Hindi, Rajbhasha Pratibha Puraskar, Rajbhasha Rolling/ Runner up trophy for sections, award for the special effort in implementing OL Policy for the year 2022-23, etc., were given away during the function. Certificates of winners of outstation offices were sent by post to the Heads of respective offices.

f) Participation in the programmes arranged by TOLIC

During the period under report, Spices Board was awarded the Rolling Trophy (4th position) instituted by Kochi Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) for the best implementation of Official Language Policy in the office. The award was received by the Director i/c (Administration)



during the periodical meeting of the TOLIC, Kochi on 29th June, 2022.

During the period, the Director i/c (Administration) and Senior Hindi Translator of the Board attended the half-yearly meeting of TOLIC, Kochi organized on 09th November, 2022.

The Senior Hindi Translator participated in the technical workshop related to "Translation Tools" under the aegis of Directorate of Cashew and Cocoa Development, Kochi.

Official Language Seminar was organized by the Cochin Shipyard Limited on 11 January, 2023 for the Hindi personnel of the member organizations of all the three Town Official Language Implementation Committees of Kochi. The Senior Hindi Translator and Official Language Trainee of Spices Board participated in the seminar.

g) In-service training

Spices Board nominated two officials each for the PARANGAT Hindi training course for the July-November 2022 session and January-May 2023 session organized by the Hindi Teaching Scheme.

iii) Spice India (Hindi)

Attended the work related with the release of the Board's monthly magazine 'Spice India' in Hindi.

C. Library and Documentation Service

The Board's Library has a good collection of books and periodicals with computerised bibliographic database. The process of strengthening the library and documentation unit has been continued by addition of new books and periodicals. During 2022-23, 138 new books have been added and continued the subscription of about 120 periodicals. Library continued the regular services like issue and return of books and periodicals, current awareness services, daily information services, E- paper reading and accessing open access journals and the 'Spice news service'. Reference facilities including guidelines were provided to about 15 students and research scholars from various institutions. Besides the regular activities, information was compiled on organic farming, climatic change, Indian agriculture, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilli, garlic, mint, seed spices, tree spices, oils and oleoresins.





FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects and programmes of Spices Board are financed through grants from the Government of India. The expenditure on Administration is partly met through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2022-23 was ₹11,550.00 lakh. An amount of ₹7,874.50 lakh against grants, ₹2,027.50 lakh against financial assistance/ subsidies, ₹849.00 lakh towards provision for the North Eastern Region; ₹349.00 lakh towards provision for SC sub plan; and ₹450.00 lakh towards provision for Tribal sub plan were received by the Board from the Government of India during 2022-23. The Board generated IEBR of ₹2,661.36 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2022-23.

Spices Board is mandated with the Export Promotion of spices (52 scheduled spices and their products); Production, Research, Development, and Domestic Marketing of Cardamom (Small & Large) and Quality Evaluation and Certification of Spices for Export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme - 'Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices and Research and Development of Cardamom'. The scheme includes various components such as Export Oriented Production, Export Oriented Research, Export Development and Promotion, Quality Improvement and Human Resource Development.

The total expenditure of the Board during 2022-23 was ₹12,096.58 lakh, the break-up of which is given below:

Head of Account	Expenditure (₹ Lakh)
Export Oriented Production	4,047.05
Export Development & Promotion	2,168.79
Export Oriented Research	773.59
Quality Improvement	1,039.90
HRD & Works	66.17
Establishment	4001.08
Total	12,096.58

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and national agencies such as ICAR, ASIDE and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2022-23 are given below :-

Programmes	Grants Received (₹lakh)	Expenditure (₹ lakh) (*)
Area wide IPM Black Pepper	2.25	-
ICAR - AICRPS	11.50	12.85
Bayer Project	-	4.84
SHM Kerala Project - ICRI	-	63.51
WTO-STDF	76.23	56.54
DUS Test centre	-	0.50
Assessment of Polysulphate	5.88	-
Evaluation of Spinetoram	25.96	0.19
e-Spice Project Ministry of IT	-	2.51
Total	121.82	140.94

(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilized in FY 2022-23, as well.



Annual Report 2022-23



During 2022-23, Spices Board initiated the process to implement a new Financial Accounting System (FAS) from financial year 2023-24 onwards. The project is developed by the National Informatics Center (NIC), GoI, based on the Board's requirement. Better data security, transparency, unlimited storage capacity, reduced manpower intervention and web based accessibility are the important technical advantages than the old FAS (iDempiere). The new FAS enables the Board to give user access to unit offices all over India and provision to record day to day expenditure and receipts. The Payment Gateway Systems in the new FAS help accounting of bank receipts in 'real time' basis. Expenditure limits are allocated

from Head Office to each unit office levels based on approved schemes/budget requirements. These features enabled the Finance Department to view the current position of bank balances, expenditures, advances, subsidy payment, allocated expenditure limits etc., related to all unit offices of the Board, which in turn helps in better management control and regular monitoring from Head Office. The trial run of new FAS and trainings to all employees were completed in time so as to make new FAS running live, as per schedule, from 01st April 2023 onwards. Developing additional features and integration with other department modules are also initiated by the NIC.

The paras in the statutory Audit Report 2022-23 on Spices Board are placed as Appendix I.



EXPORT ORIENTED PRODUCTION AND POST-HARVEST IMPROVEMENT OF SPICES

Spices Board is responsible for the overall development of Cardamom (Small and Large) in terms of improving production, productivity and quality. The Board is also implementing post-harvest improvement programmes for production of quality spices for export. Various development programmes and post-harvest quality improvement programmes of the Board are included in the component “Export Oriented Production” under the Central Sector Scheme- “Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices and Research and Development of Cardamom”.

The development programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA)

Spices Board established Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar, Jammu and Kashmir for promoting development, marketing, quality, export and domestic consumption of saffron. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry and the Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir. During the period of report, the Board initiated steps for the reconstitution of SPEDA.

Spice Development Agencies (SDAs)

Spices Board had established 11 Spice Development Agencies (SDAs) to promote development and marketing of spices and enable better co-ordination with various state, central and allied agencies/institutions for implementing programmes for research, production, marketing, quality improvement and export of spices grown in the country. With effect from 17 September 2021, as per Ministry’s Letter No. 2/21/2020-Plant-D, the SDAs have been merged with the Districts as Export Hub (DEH) scheme monitored by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT).

Export Oriented Production of Spices

The various programmes implemented under the component ‘Export Oriented Production of Spices’ during the year 2022-23 are detailed as follows:

A. Cardamom (Small)

Small Cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Majority of cardamom holdings are small and marginal. The total area under Small Cardamom during 2022-23 was 70,410 hectares (ha) with an estimated production of 24,463 metric tonnes. The programmes implemented for the development of Small Cardamom are given below:

a) Replanting/New Planting

The objective of this programme is to motivate the growers to improve production and productivity through systematic replanting of the diseased, old, senile, and uneconomic plantations and to take up area expansion of Small Cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka by encouraging



marginal growers and providing them financial assistance for replantation/new plantation. The growers are being offered a financial assistance of ₹1, 00,000/- for General and ₹2, 10,000/- for SC and ST farmers per ha in Kerala and Tamil Nadu, and ₹75, 000/- for General and ₹1, 68,000/- for SC and ST farmers per ha in Karnataka, towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual instalments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to eight (8) ha are eligible for benefit under this programme.

During 2022-23, the Development Department, through implementation of this programme, has provided assistance for replanting 444.90 ha of Small Cardamom. Under the programme, financial assistance of ₹430.85 lakh (which includes 2nd instalments of 2021-22 along with backlog payments of 1st instalment of 2021-22) was provided, benefitting 1232 growers.

b) Production and distribution of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy and quality planting materials were taken up by the Board's Departmental Nurseries. The planting materials produced in the five Departmental Nurseries were distributed at a nominal rate to growers.

During 2022-23, a total of 1,44,060 cardamom planting materials, 1,93,753 rooted pepper cuttings, and 15,027 pepper nucleus planting materials were produced and distributed to 765 growers from the five Departmental Nurseries in the Karnataka region.

c) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers/seedlings in their own field. Planting materials produced in the certified nurseries will be used for replanting / gap filling by the applicants (not more than 50 percent) and the balance will

be supplied to neighbouring/needly farmers at an optimum price not exceeding the market price.

During 2022-23, under this programme, 174.4 units (i.e., 8,72,000 planting materials) were established covering 356 beneficiary farmers with the financial assistance of ₹25.63 lakh.

d) Irrigation and land development

Irrigation during summer months is essential in cardamom plantations for getting higher yield. This programme aims at promoting irrigation in cardamom plantations by augmenting water resources by constructing irrigation structures like farm ponds, tanks, wells, rainwater harvesting structures, installation of irrigation equipment and soil conservation works. The Board is implementing the programme in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka.

(i) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metres for availing maximum assistance under the programme. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category whichever is less.

(ii) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 Ha to 8.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme IP set/gravity irrigation equipment. In the case of sprinkler/drip/micro irrigation, registered cardamom growers having land holding size of 0.40 ha to 8.00 ha are eligible to avail the financial assistance. The scale of assistance offered is 50 per cent of the actual cost or ₹5,000/- for gravity irrigation; ₹15,000/- for irrigation pump set; ₹32,000/- for sprinkler/drip/micro irrigation



whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹11,250/- for gravity irrigation; ₹45,000/- for irrigation pump set; ₹95,000/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to SC/ST category.

(iii) Construction of rainwater harvesting structure

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the benefits under the programme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Financial assistance at the rate of 33.33 per cent of the actual cost limited to ₹18,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost limited to ₹40,000/- to SC/ST category whichever is less is extended for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2022-23, a total number of 60 water storage structures and 34 rainwater harvesting structures were constructed and 54 irrigation pump sets and 15 micro irrigation systems were installed benefitting 163 farmers with the financial assistance of ₹36.38 lakh.

B. Development Programmes for the North East

Cardamom (Large)

Large Cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. The total area under Large Cardamom in Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal and Sikkim during 2022-23 was 26,617 ha with an estimated production of 6,222 MT. The total Large Cardamom growing area under Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland in 2022-23 was 18,778 ha with the production of 2,851 MT. Non - availability of quality planting materials, presence of senile, old and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting Large Cardamom production. Keeping this in view, the Board is implementing the following programmes for Large Cardamom.

a) Large Cardamom: Replanting/New Planting

Large Cardamom is grown by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the

society. The objective of the programme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase productivity. It is difficult for cardamom farmers to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. The programme provides an assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (1st and 2nd years) as financial assistance subject to a maximum of ₹33,600/- and ₹75,000/- per hectare respectively, payable in two equal annual instalments.

During 2022-23, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for replanting / new planting 549.21 ha (which includes backlog cases i.e., 1st instalment of 2021-22 and 2nd instalment of 2021-22) of Large Cardamom and ₹455.04 lakh was arranged as financial assistance, benefitting 2,338 growers.

b) Planting material production

In order to produce disease - free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field.

During 2022-23 under this programme, 226.37 units (i.e., 11,31,850 planting materials) were established covering 579 beneficiary farmers with the financial assistance of ₹70.74 lakh.

c) Irrigation and Land Development

Large Cardamom is mainly grown as a rainfed crop. Vagaries of climate often affect the production. The long dry spell from November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth and adversely affecting production. In order to increase water resources as well as to install irrigation equipment in Large Cardamom plantations for enabling irrigation to combat long dry spells during winter months and to increase the productid (ramme,-17)-13Tw (33,600/- and 1 (dan



North Eastern Region and Darjeeling district of West Bengal.

(i) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metre for availing maximum financial assistance under the programme. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category whichever is less.

(ii) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme IP set/gravity irrigation equipment. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one unit. The scale of assistance under irrigation equipment/gravity irrigation equipment is 50 per cent of actual cost or ₹15,000/- to General category and 75 per cent of actual cost or ₹ 20,000/- to SC/ST category whichever is less.

(iii) Construction of rainwater harvesting structures

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the benefits under the programme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Financial assistance at the rate of 33.33 per cent of the actual cost, limited to ₹ 18,000/- for General category and 75 per cent of actual cost or ₹ 40,000/- to SC/ST category is allowed for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2022-23, six water storage structures and 19 rainwater harvesting structures were

constructed and 56 irrigation pump sets were installed benefitting 81 farmers with the financial assistance of ₹17.81 lakh.

C. Promotion of Exportable Surplus of Identified Spices in the North East

a) Cultivation of Lakadong turmeric

The objective of the programme is to promote cultivation of Lakadong turmeric for exports. The turmeric growers of the North-East India having land holding size of 0.10 to 8.00 ha are eligible to avail the assistance. The programme provides an assistance of 50 per cent of cost of planting material subject to a maximum of ₹30,000/- per ha.

During 2022-23, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for 111 farmers of North-Eastern states of India covering 34.86 ha of Lakadong turmeric area with a financial assistance of ₹10.46 lakh.

b) Cultivation of specific ginger varieties in North East

The objective of the programme is to promote cultivation of specific ginger varieties in North East for exports. The ginger growers of the North East having land holding size of 0.10 to 8.00 ha are eligible to avail the assistance. The programme provides 50 per cent of cost of planting material as assistance subject to a maximum of ₹30,000/- per ha.

During 2022-23, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for 110 farmers of North Eastern states of India covering 34.41 ha of North-East Ginger area with a financial assistance of ₹10.32 lakh.

D. Post-harvest Improvement of Spices

a) Supply of improved cardamom curing devices for Small Cardamom

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce good



quality cardamom for export. The programme provides an assistance of 33.33 per cent for General category and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the dryer subject to a maximum of ₹1,50,000/- for General category and ₹3,37,500/- for SC and ST farmers.

During 2022-23, 49 improved cardamom curing devices were set up at a total financial assistance of ₹61.90 lakh, benefitting 49 growers.

b) Supply of improved cardamom curing devices for Large Cardamom

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. The programme provides an assistance of 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the cost of the dryer including transportation from South India subject to a maximum of ₹3,75,000/-.

During 2022-23, four improved cardamom curing devices were set up with financial assistance of ₹9.64 lakh, benefitting four growers.

c) Supply of Large Cardamom dryers (Sawo dryer/ Modified Bhatti/Approved equivalent dryer)

The objective of the programme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of Large Cardamom. The programme provides financial assistance at the rate of 33.33 per cent of total cost for General category and 75 per cent for SC and ST farmers subject to a maximum of ₹16,000/- per unit for General category and ₹28,000/- per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2022-23, a total of 67 Modified Bhatti units were constructed at a financial assistance of ₹15.61 lakh, benefitting 67 growers.

d) Supply of seed spice threshers

The harvesting and post-harvest practices followed by some of the seed spice growers are unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits, etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing

the plants manually by hand, etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, the Board popularizes the use of threshers which are operated manually or by using power.

The Board is providing 50 per cent for General category and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher as financial assistance subject to a maximum of ₹75,000/- and ₹1,12,000/- respectively for General category and SC/ST farmers.

During 2022-23, the department extended assistance for installing 103 power operated threshers in the farmers' fields and a total financial assistance of ₹80.81 lakh was given, benefitting 103 growers.

e) Supply of pepper threshers

The objective of the programme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the spikes. The programme provides an assistance of 50 per cent for General category and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher subject to a maximum of ₹19,000/- for General category and ₹28,000/- for SC and ST farmers respectively as financial assistance.

During 2022-23, 459 threshers were set up at a total financial assistance of ₹80.73 lakh, benefitting 459 growers.

f) Supply of turmeric steam boiling units

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularizes the use of large scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric, suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General category and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the boiling unit or ₹1,88,000/- for General category and ₹2,82,000/- for NE/SC/ST farmers respectively whichever is less.



During 2022-23, a total number of 122 turmeric steam boiling units were installed at a financial assistance of ₹281.76 lakh, benefitting 122 growers.

g) Supply of polisher for spices

The programme aims at motivating and assisting the spices growers, especially turmeric and Small Cardamom growers, growers' groups, spice producer societies / spice farmer producer companies and so on, to adopt polishing of spices by supplying improved polishers at subsidized rates to produce quality spices suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General category and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the boiling unit or ₹94,000/- for General category and ₹1,40,000/- for NE/SC/ST farmers respectively, whichever is less.

During 2022-23, 204 spices polishing units were installed at a financial assistance of ₹178.34 lakh, benefitting 204 growers.

h) Supply of nutmeg/clove dryer

The objective of the programme is to popularize mechanical dryers among the growers to produce quality nutmeg, mace and clove. The programme provides an assistance of 50 per cent for General category and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the cost of the dryer subject to a maximum of ₹37,500/- for General category and ₹56,000/- for NE/SC/ST farmers respectively as financial assistance.

During 2022-23, assistance was given for setting up of 322 nutmeg/clove dryers, to the tune of ₹69.07 lakh, thereby benefitting 322 growers.

i) Supply of mint distillation unit

The objective of the programme is to motivate the mint growers to set up modern field distillation units lined with stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation unit as well as to improve the quality of the oil for exports. The scheme provides an assistance of 50 per cent for General category and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the distillation unit subject to a maximum of ₹1,88,000/- for General category

and ₹2,80,000/- for SC and ST farmers as financial assistance.

During 2022-23, six mint distillation units were set up at a total financial assistance of ₹9.67 lakh, benefitting six growers.

j) Supply of spice cleaners/graders/spiral gravity separators

The objective of the programme is to popularize the spice cleaners/graders/spiral gravity separators to increase profitability in production of spices by way of mechanization and to improve the quality of spices for export. The programme provides an assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹44,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹66,000/- per unit for NE/SC/ST farmers.

During 2022-23, a total of 28 spice cleaners/graders/spiral gravity separators were installed at a financial assistance of ₹12.32 lakh, benefitting 28 growers.

k) Supply of spices washing machines

The objective of the programme is to popularize the spices washing machines to increase profitability in production of spices by way of mechanization and to improve the quality of spices for exports. The programme provides an assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹53,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹80,000/-, per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2022-23, a total of 54 spices washing machines were installed at a financial assistance of ₹28.60 lakh, benefitting 54 growers.

l) Quality Gap Bridging Groups-Spice producers' groups in identified clusters

The objective of the programme is to capacitate the spices producers to produce spices with quality, safety and traceability through supporting identified groups. The programme provides an assistance of a maximum of ₹25 lakhs per Spice Producers' Group for setting up of Post-harvest machine /equipment bank, IT support for joining online platform on traceability and improving



quantum of sale by the Spice Producers' Group, Establishment of plot for Good Agricultural Practices (GAP) and support for technical manpower for maintenance of online platforms, GAP plot and office of Spice Producers' Group based on MoU with Spices Board. A group with legal entity such as registered FPO, FPC, SHG, SPS, etc., actively engaged in spices sector is eligible for the assistance.

During 2022-23, 21 farmers' groups in spices sector installed various post-harvest machines and a financial assistance of ₹130.64 lakh was provided benefitting 6,441 farmers.

m) Weather based crop insurance for Small Cardamom in Idukki district of Kerala

The objective of the programme is to protect Small Cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production. Registered cardamom growers of Small Cardamom having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to enroll for the programme. The programme is applicable for farmers growing any prevailing variety of Small Cardamom as mono crop or intercrop. Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) is the Implementing Agency of this programme under the aegis of Spices Board. The programme provides an assistance of 75 per cent of the premium by Spices Board and 25 per cent by the beneficiary. The Board provides maximum assistance of ₹16,040/ ha (including GST).

During 2022-23, 325 farmers were enrolled under the programme covering an area of 217 ha and provided an assistance of ₹34.54 lakh as the Board's share.

E. Organic Farming

In order to promote organic production of spices, support for setting up vermicompost units, and promoting organic seed bank of spices were implemented in 2022-23.

a) Setting up of Vermicompost Units

It is necessary to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility in organic production.

In order to enable the growers to produce organic farm inputs, particularly vermicompost, ₹4,500/- as financial assistance at the rate of 33.33 per cent of financial assistance to the General category growers and ₹10,000/- at the rate of 75 per cent financial assistance to the SC/ST farmers is offered to set up a unit having a capacity of one tonne output of vermicompost.

During 2022-23, a total number of 307 vermicompost units were set up benefitting 307 growers at a total financial assistance of ₹30.77 lakh.

b) Establishing Organic Seed Banks for Spices

Indigenous varieties viz., Cochin ginger in Kerala, Nadia ginger in North Eastern states, Alleppey finger turmeric in Kerala, Raja Pori turmeric in Maharashtra, Lakadong/Megha turmeric in Meghalaya and herbal spices in Tamil Nadu, are identified for coverage under organic seed bank. The objective of the programme is to establish organic seed banks in the growers' field for multiplication of planting materials of indigenous varieties of ginger and turmeric having rich intrinsic value and herbal spices to retain purity and serve as a source for quality planting materials. Individual growers of any of these varieties of spices having holding size from 0.10 ha to 8.00 ha and organic certification are eligible to avail benefits under the programme. A grower can avail financial assistance under the programme for a maximum of three years up to two ha per beneficiary.

During 2022-23, the payment for seven organic seed banks with regard to ginger and turmeric effected in Guwahati region with the financial assistance of ₹4.65 lakh under ST category.

F. Training Programme for Quality Improvement of Spices (QITP)

Spices Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre



and post-harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 13087 personnel were trained under 235 training programmes during 2022-23 at a total expenditure of ₹16.20 lakh (Female: 3104; SC: 542; ST: 4756). The expenditure was met under the HRD head.

G. Extension Advisory Service

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post-harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post-harvest management through personal contact, field visits, group meetings and distribution of literature for Small Cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka) and for Large Cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the production and post-harvest programmes of the Board under the component 'Export Oriented Production' are implemented through the extension network.

During 2022-23, a total of 28,550 extension visits were made and 19526 group meetings/campaigns were organized for cardamom (Small and Large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹2,098 lakh during 2022-23.

H. Exposure Visits of Farmers

Exposure visits were organized by the Board for the farmers. A total of 128 farmers from the regions of Bodinayakanur (Tamil Nadu), Gangtok (Sikkim), Nizamabad (Telangana) and Sakleshpur (Karnataka) were benefitted through the exposure visits arranged in four different batches with the financial assistance of ₹ 2.78 lakh. The farmers were taken to the various spices plantations of Hingoli (Maharashtra), Idukki (Kerala), Gangtok (Sikkim),

Thanjavur, Trichy Palani Hills (Tamil Nadu), and research institutions such as Indian Cardamom Research Institute (ICRI), Myladumpara, Idukki district; Indian Cardamom Research Institute (ICRI), Regional Research Station, Tadong, Sikkim; Indian Institute of Spices Research (IISR), Calicut, Kerala; and Spices Park, Puttady, Kerala.

I. Large Cardamom Productivity Awards

Spices Board has instituted Large Cardamom Productivity Awards for encouraging and recognizing the Large Cardamom farmers. The awards for excellence in Large Cardamom Productivity for the years 2019-20, 2020-21 and 2021-22 were distributed during the International Buyer Seller Meet & Spices Conclave organised at Guwahati, Assam on 30th June, 2022. The Chief Guest of the function was Dr Himanta Biswa Sarma, Hon'ble Chief Minister of Assam.

J. Other Activities

a) National Sustainable Spice Programme (NSSP)

The project titled "National Sustainable Spice Networking Programme", is being implemented in collaboration with World Spice Organisation (WSO, the technical wing of All India Spices Exporters Forum (AISEF)), International agencies-IDH (which supports the sustainable trade initiative) and GIZ, Germany (which works on biodiversity and trade) and Spices Board for ensuring food safety, and bringing in traceability and achieving sustainability with due concern for biodiversity in the spice sector. The focus spices under the programme are chilli, pepper, turmeric, cumin, Small Cardamom and the spices produced in NE region so as to give a boost to the production and export of spices from the region.

b) Strengthening of spice value chain in India and improving market access through capacity building

In order to address the Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues in spices, Spices Board submitted a project proposal in 2014 titled "Strengthening of



spice value chain in India and improving market access through capacity building and innovative interventions”, to the Standards and Trade Development Facility (STDF - an organization under World Trade Organization (WTO) that supports developing countries in building capacity to implement international standards, guidelines and recommendations as a means to improve their human, animal and plant health status and ability to gain or maintain access to international markets).

The project was approved by the STDF in October 2018. FAO India is the implementation partner of the project and the budget holder and is responsible for the overall supervision of the project. Spices Board is the local partner of the project and has to ensure the implementation of all local activities and their coordination.

The overall objectives of the project are:

- Capacity building of stakeholders in spices value chain to expand exports of safe and high-quality spices from India to overseas market.
- Boost income of small-scale farmers, empower women and other marginalised communities.
- Support efforts to reduce poverty (SDG 1/0 and hunger [SDG 2])

The project is being implemented in 12 villages across four states focusing four spices namely;

- Cumin and Fennel in Gujarat and Rajasthan (implemented in four villages in each state)
- Coriander in Madhya Pradesh (in two villages)
- Black Pepper in Andhra Pradesh (in two villages)

The project commenced with an inception workshop conducted on 22 October, 2020. The project has completed two phases successfully and is currently in the third phase. The activities

conducted during first two phases include:

- Baseline survey of the targeted farmers in project villages to understand their level of knowledge on crops they cultivate.
- Development and standardization of Good Agricultural Practices, (GAP) and Good Hygienic Practices (GHP) for the focus spices as per the requirement of the global market.
- Training of master trainers on the GAPs and GHPs developed under the project, for imparting the knowledge to the farmers.
- Training of farmers by the master trainers on GAPs and GHPs.
- Study tour for farmers so as to give them practical knowledge on good practices by taking them to leading research centres like National Research Centre on Seed Spices (NRCSS), Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Indian Institute of Spices Research (IISR); spice processing units of leading exporters as well as field of progressive farmers.
- Development of Information, Education and Communication (IEC) materials like brochures, information videos, etc.
- Conducted Buyer Seller Meet for black pepper and coriander.

c) IndGAP

In India, the quality of food and food safety are enforced through an array of Quality Assurance (QA) systems and norms, which are followed by various industries based on the target market and suitability to their sector.

The Quality Council of India (QCI) operates the national accreditation structure for conformity assessment bodies as well as provides accreditation in the field of education, health and quality promotion. It also promotes the adoption of quality standards relating to Quality Management Systems (ISO 14001 Series), Food



Safety Management Systems (ISO 22000 Series) and Product Certification and Inspection Bodies through the accreditation services provided by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB).

India Good Agricultural Practices (IndGAP) Certification Scheme is one such certification developed by the QCI to strengthen Good Agricultural Practices in India. The scheme is aligned as per ISO 17065, the international standard for product/process certification requirements, complete with certification and

accreditation framework. The standards ensure greater efficiency in production, improve business performance, and benefit farmers, retailers, and consumers throughout the world.

Spices Board entered a MoU with the QCI to carry out "Pilot project on IndGAP Certification of spices". In the pilot phase, the QCI had implemented five projects from the various clusters identified in the Agriculture Export Policy (AEP). The spices covered under the five projects and areas and the project are:

Sl. No.	Spices	District	Project
a.	Cumin	Balmer district, Rajasthan	Nedspice Processing India Pvt. Ltd.
b.	Cumin	Jaisalmer district, Rajasthan	AVT McCormick Ingredients Pvt. Ltd.
c.	Small Cardamom	Idukki district, Kerala	Peermade Development Society (PDS)
d.	Small Cardamom	Idukki district, Kerala	Royal Bird Charitable Society
e.	Chilli	Warangal district, Telangana	AB Mauri India Pvt. Ltd

All the projects were certified and certificates were issued.

The second phase of IndGAP certification project is being implemented in the STDF project region for the spices viz., cumin, fennel, coriander and black pepper as well as for turmeric in the cluster identified under AEP in the state of Telangana.

d) Campaign on Clean and Safe Spice

A campaign on 'Clean and safe spices' was conducted on 27 February, 2023 commemorating the 36th foundation day of the Board. The campaign was inaugurated by Shri Rajesh Agrawal, IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India at Spices Board Head Office in Cochin.

The campaign was designed to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practises to be followed at various stages of

production, processing, value addition and export of spices. The campaign was conducted across the country for creating an awareness to all the stakeholders and public.

Sl. No.	Abstract of the campaign	
1	No. of states covered	19
2	No. of locations	54
3	No. of participants	M 2300
		F 559

e. Establishment of training centre at Thodupuzha, Idukki, Kerala

Shri A. G. Thankappan, Chairman, Spices Board inaugurated the training centre jointly established by Spices Board and Kerala Agricultural



Development Society (KADS) PCL at Thodupuzha, Idukki, Kerala on 29th April, 2022. The training centre will serve as a place of interaction and training on organic farming and related crop production aspects between farmers and subject experts.

f. Training on Sustainability Certifications for Promoting Export of Spices

A one-day training programme on Sustainability Certifications for promoting export of spices for the officials of Spices Board and office bearers of selected spices FPCs was conducted at the

training centre established at KADS Village Square, Thodupuzha on 7th July, 2022. Shri D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board inaugurated the training programme in the presence of Dr A. B. Rema Shree, Director (Research & Finance), Shri B. Venkateson, Director i/c (Development) and Shri B. N. Jha, Director i/c (Marketing). Participants were given information on Carbon Neutral Agriculture with focus on Cardamom, Sustainability certification – GlobalGAP, IndGAP, Rainforest Alliance, Union for Ethical Biotrade (UEBT) and European Bio-Char certification, etc.



EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

Spices Board is mandated with the Export Promotion of spices (52 scheduled spices and their products) & Production, Research, Development, and Domestic Marketing of Cardamom (Small & Large) and Quality Evaluation & Certification of Spices for Export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme - "Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices and Research and Development of Cardamom". The scheme includes various components such as Export Oriented Production, Export Oriented Research, Export Development and Promotion, Quality Improvement and Human Resource Development.

During 2022-23, India exported 14,04,357 MT of spices and spice products valued at ₹31,761.38 crore (3,952.60 million US\$). India's export of spices increased from 8,17,250 MT valued at ₹13,73,539 lakhs (2,268 million US\$) in 2013-14 to 14,04,357 MT valued at ₹31,76,138 lakhs (3,952.60 million US\$) in 2022-23 registering an increase of 82 per cent in volume, 131 per cent in value (INR) and 84 per cent in value (US\$). The export of spices registered a CAGR of 6.2 per cent in volume, 9.76 per cent in value (INR) and 6.37 per cent in value (US\$) since 2013-14.

The various programmes implemented under the component 'Export Development and Promotion' (EDP) aim at supporting the exporters to develop infrastructure, promote Indian spice and spice products etc., with a view to enhance export of processed and value-added spices, which comply with the changing food safety standards of the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process

upgradation, the Board focuses on enhancing compliance with quality and food safety norms across the supply chain of spices. The major thrust areas under Export Development and Promotion (EDP) are trade promotion, product development and research, infrastructure development, promotion of Indian spice brands abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing, and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centers, promotion of organic spices/GI spices, organizing Buyer Seller Meets, etc. Also, special programmes are undertaken for promoting the spices of the Northeastern region.

A. Infrastructure Development

a) Adoption of Hi-Tech/ Technology Upgradation & Setting up/ upgradation of in-house labs

Under this programme, the Board aims at assisting exporters in setting up facilities for processing and value addition of spices, quality evaluation of spices and spice products, etc. The scale of assistance under the programme is 33 per cent of the cost of machinery/equipment and accessories subject to a maximum of ₹1.00 crore per exporter for General category and 75 per cent of the cost of machinery/equipment and accessories subject to a maximum of ₹1.50 crore for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan states, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2022-23, the Board has collected proposals for assistance under the scheme from eight exporters through the online system for further processing and approval.



b) Assistance to exporters for installing primary processing equipment for spices

Under this programme, the cost of machinery for the primary processing such as cleaning, grading, sorting, slicing, cutting, crushing, grinding, packing, etc., is considered for assistance. The scale of assistance is 33 per cent of the cost of machinery subject to a maximum of ₹10 lakhs per exporter for General category and 75 per cent of the cost of machinery subject to a maximum of ₹15 lakhs for SC/ST exporters and FPO exporters. During 2022-23, the Board has collected proposals for assistance under the scheme from five exporters through the online system for further processing and approval.

c) Assistance to exporters for Rapid Food Testing Devices and Kits

Rapid Food Testing Devices and Kits are used for testing intrinsic properties, physical parameters, toxins, contaminants, residues etc., in spices and spice products. The scheme aims at encouraging the exporters to install rapid testing devices and kits to undertake testing of raw materials as well as processed products across various stages of the supply chain, which will help to monitor the intrinsic parameters, quality and safety aspects, etc.

The scale of assistance under the programme is 33 per cent of the cost of rapid quality & safety testing devices and kits subject to a maximum of ₹10 lakhs per exporter for General category and 75 per cent of the cost, subject to a maximum of ₹15 lakhs for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, other Himalayan states, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2022-23, the Board has collected proposals for assistance under the scheme from three exporters through the online system for further processing and approval and an assistance of ₹4.78 lakhs was provided.

d) Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/certifications

Under this programme, cost of accreditation/certification of processing units, in house laboratories, etc., of spices exporters under ISO/HACCP/ FSSC 22000/ NPOP, etc., (including KOSHER, HALAL, GMP, SQF, BRC, etc.) by recognized agencies, certification by authorized agencies of importing countries / Foreign Buyer Verification Programme (FBVP), etc., are considered.

The Board gives 33 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹5.00 lakh for General category exporters and 75 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹7.50 lakhs for SC/ST exporters, FPO exporters and exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region) and other Himalayan states/ Jammu and Kashmir and Ladakh, States notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep).

During 2022-23, assistance of ₹0.12 lakh was provided under the programme.

e) Setting up and maintenance of infrastructure for common processing (Spices Parks)

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realization and wider market access for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/market centers. The objective of the Park is to have an integrated operation for cultivation, post-harvesting, processing, value addition, packaging and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization, etc., will help the farmers to improve the quality of their produce and thus result in a higher price realization. Ministry of Food Processing Industries, Govt of India had notified all the eight Spices Parks as designated Food Parks in May 2018. The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/market centers, are as below:



Sl No	Location/State	Spices Covered	Land Area (Acre)
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Chilli & Garlic	10.00
2	Puttady, Kerala	Pepper & Cardamom	12.50
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin & Coriander	60.00
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	100.00
5	Sivaganga, Tamil Nadu	Chilli & Turmeric	75.00
6	Guntur, Andhra Pradesh	Chilli	125.00
7	Ramganjmandi (Kota), Rajasthan	Coriander	30.00
8	Raebareli, Uttar Pradesh	Mint	11.79

i) Status of Common Processing Units in Spices Parks

All the Parks have well established common processing units for processing, value addition and storage of spices and spice products and the units in all the Parks except Rae Bareli are functioning

presently through the operators identified by the Board. With respect to Spices Park, Rae Bareli, the Board has taken initiative to lease out the space for establishing common processing facilities by the exporters. The processing facilities available in each Park along with the name of the operators are given below:

Location of the Spices Park	Details of processing facilities	Name of the Operator
Chhindwara	Garlic drying / dehydration and chilli extraction	M/s Vee Natural
Guna	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly coriander	M/s Mayank Industries
Guntur	Cleaning, sorting, grinding and packaging facilities for chillies	M/s Mane Kancor Spices Pvt Ltd.
Jodhpur	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly cumin	M/s Shree Radhey Krishna Spices Pvt Ltd.
Ramganjmandi (Kota)	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly coriander	M/s Eastern Condiments Pvt Ltd.
Puttady	Cleaning, grading, grinding, packaging facilities for cardamom and pepper	M/s Flavourit Spices Trading Ltd.
Raebareli	Mint and other herbs oil distillation unit in Park and Impact Zone	The distillation units are directly operated by farmers' groups
Sivaganga	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for chillies and turmeric	M/s Season Fresh Agro Foods

The common storage facilities (warehouses) at Spices Park, Jodhpur and Sivaganga have been leased out to exporters.

(ii) Status of allotment of plots to Exporters and status of units established at Spices Parks

All the Spices Parks except Chhindwara and Puttady, have land that is earmarked for allotting to prospective entrepreneurs for developing their

own processing units for value addition and high-end processing of spices.

During 2022-2023, the Board has allotted six plots to five exporters at Spices Park, Guntur; ten plots to six exporters at Spices Park, Guna; three plots to three exporters at Spices Park, Kota & three plots to two exporters at Spices Park, Sivaganga for establishing spice processing units.



As on 31 March 2023, 23 plots have been allotted to 19 exporters at Spices Park, Jodhpur, of which nine units are functioning; 39 plots have been allotted to 22 exporters at Spices Park, Guna, of which two units are functioning; 16 plots have been allotted to 15 exporters at Spices Park, Ramganjmandi (Kota), of which one unit is functioning; 52 plots have been allotted to 27 exporters at Spices Park, Guntur, of which, seven units are functioning; 25 plots have been allotted to 19 exporters at Spices Park, Sivaganga; and eight plots have been allotted to four exporters at Spices Park, Raebareli.

During 2022-23, M/s ITC Ltd has established a state-of-the-art spices processing unit at Spices Park, Guntur with a manufacturing capacity of 20000 MT per annum at an investment of ₹180 crore and M/s PC Kannan & Co, a leading exporter of Coriander has established a modern spice processing unit at Spices Park, Ramganjmandi (Kota).

(iii) Performance of Spices Parks

During 2022-23, 29,504 MT spices worth ₹33,365.30 lakhs was processed in the common processing units and units established by the exporters in the Spices Parks and 1,580 liters mint oil valued at ₹18.50 lakhs was processed in the Mint Distillation units established in the impact zone of Spices Park, Raebareli of which 9,369 MT spices / spices products valued at ₹33365.30 lakhs were exported / supplied to exporters for export. In addition, a total of 30,591 MT of spices worth ₹35,802 lakhs has been stored in the warehouses at Spices Parks. Also, a total of 812 workers / labourers were engaged in the Spices Parks. During 2022-23, a total expenditure of ₹82.82 lakhs was incurred for maintenance / undertaking works in the Spices Parks.

(iv) Spice Complex Sikkim

Govt. of Sikkim had allotted ten acres of land free of cost at Namcheybong in East District of Sikkim to Spices Board to establish Spice Complex for development of infrastructure for

promoting spices exports from the state. The Executive Committee of Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) in its 13th meeting held on 09 February 2021 accorded approval for the establishment of Spice Complex in Sikkim, within a period of three years, at a total financial outlay of ₹26.51 crore, out of which Spices Board's share is ₹8.77 crore and the remaining amount of ₹17.74 crore would be the contribution from TIES. Spices Board signed a MoU with the Central Public Works Department (CPWD), Gangtok for establishment of the Spice Complex on a turn-key basis. The CPWD has divided the construction works into three packages as detailed below:

Package-I: Gate complex and fencing of the site area with barbed wire, with an estimated cost of ₹120 lakh.

Package-II: Construction of Amenities Centre, Common Processing Centre and Bio Agent Production Center and Spice Research & Quality Control Lab including equipment, with an estimated cost of ₹884 lakh.

Package-III: Construction of Administrative Building, Training Hall, Guest House and Canteen, service block including roads, storm water drains, power supply and other works as per the DPR with an estimated cost of ₹1,523 lakh.

The area for establishment of the Spice Complex falls in the high-risk zone for landslides and hence the District Administration instructed that there shall be no earth excavation works during monsoon period from 03 June 2022 to 30 September 2022. In this connection, arrangements were made to commence the work under Package I, in October 2022.

The layout and design of the Package-II consisting of erecting pre-engineered structures for warehouse, plant building, etc., and the Package-III consisting of construction of other buildings received from CPWD were approved by the Board and CPWD has initiated the process of finalizing detailed estimates based on the revised drawings



and getting relevant approvals from their higher authorities for tendering for Package-II.

In the meanwhile, the Empowered Committee (EC) of TIES at its meeting held on 01 September 2022, decided to cancel the approval for the project due to delay in implementing the project. However, based on the request from Govt. of Sikkim and Spices Board to reconsider the decision of EC and to grant approval for continuation of the project highlighting the importance of the project for the state of Sikkim, the EC of TIES at its meeting held on 24 January 2023 gave approval for revival of the project for additional one year. Accordingly, CPWD has mobilized resources and resumed the work and the establishment of Spice Complex is in progress.

B. Trade Promotion

a) Sending business samples abroad

Export contracts for spices and spice products in general are concluded based on samples provided to the buyers. Exporters are required to send samples to their customers abroad, for approval and to match the requirements of the buyers. Considering the higher cost of couriering samples and number of samples required to be couriered for securing a contract, the Board provides assistance to exporters to offset the cost of courier charges for sending samples abroad. The assistance is provided, as reimbursement, to Merchant Exporters with annual turnover not more than ₹250 crore during FY 2021-22 and MSME exporters at the rate of 50 per cent of the cost of courier charges subject to a maximum of ₹1.50 lakh per annum for General category and 75 per cent of the courier charges subject to a maximum of ₹2.25 lakh per annum for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan states, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2022-23, an assistance of ₹2.36 lakh was provided under this programme to six exporters.

b) Packaging development & barcoding

There is a felt need to improve the existing packaging and to develop modern packaging for increasing shelf life, reducing the storage space and better presentation of Indian spices in markets abroad. The Board, under the programme, provides assistance to all registered exporters who have registered their brand names with Spices Board to improve the existing packaging and to develop modern packaging. Under the programme, activities such as Packaging Development, Bar coding, QR code, Electronic Product Code (EPC)/ Radio Frequency Identification (RFID) tags, etc., are considered, as per the emerging market requirements.

c) Product research & development

Spices are known to have medicinal, cosmetic, nutritional and health values. A vast body of traditional knowledge about such uses is available in the country. However, sufficient documented evidence / validation studies do not exist to establish the acclaimed properties of spice / spice extracts / spice mixes. The absence of documentation / validation prevents the marketability of such products. It is felt that if the required documentation/ validation is generated on the basis of scientifically conducted trials and clinical evaluation, products can be formulated with very high value addition and these products can be marketed and patented (if required) in the established markets as alternative medicines, functional foods, nutraceuticals, immunity boosters, etc. Also, there is scope for deriving new end uses and applications from the spices produced within the country.

The returns from exports of such new products and formulations would be significantly higher than the value realized by exporting whole spices with low levels of value addition. Development of new end products from spices involve scientific research in the areas of unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with higher potential for



exports. The scheme offers financial assistance for product research and development, clinical trials, validation of properties, and patenting and test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities are eligible to avail assistance under the programme to the tune of 50 per cent of the cost of product research and development subject to a maximum of ₹25.00 lakh in installments based on evaluation of the progress of the study. If clinical trials and patenting are involved, the ceiling of assistance is ₹1.00 crore. Also, for Central/State Universities, R&D and other institutions of the Government, the scale of assistance is extended up to 100 per cent of the cost of the project, without any change in the ceiling. During 2022- 23, the Board provided an assistance of ₹18.33 lakhs under the programme.

d) Promotion of Indian spice brands abroad

A considerable portion of spices from India is exported in bulk form and is facing stiff international competition from low-cost economies of Southeast Asia, Africa, and the Far East. India being the hub for spice processing, the spice sector needs to evolve to be better, stronger, and more adaptable than the competitors. The scheme aims to assist exporters in penetration of Indian brands in overseas markets, with a clear mark of traceability and food safety.

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, through a series of promotional programmes. Under this programme, exporters who have registered their brand with the Board can avail the financial assistance as interest free loan of up to ₹100 lakhs per brand. Assistance under the programme covers 100 per cent of slotting / listing fee and promotional expenditure, and 50 per cent of the cost of product development, so as to help the exporters to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad.

During 2022-23, the Board released an amount of ₹33.33 lakh to one exporter, under the programme.

e) Participation in international trade fairs/ exhibitions/ meetings and trainings

Spices Board functions as an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board participates in international fairs, exhibitions, etc., to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers. During 2022-23, the Board participated in six international fairs and 35 domestic exhibitions. The Board also participated in one international trade fair under the Market Access Initiative (MAI) Scheme.

The Board also encourages exporters to participate in international trade fairs and exhibitions for promoting exports. The Board proposes to support exporters in setting up their own stalls in international fairs to showcase their capabilities and capacities in the export of spices. Under the programme, the registered exporters of the Board are eligible to avail an assistance of 50 per cent of the cost of air fare subject to a maximum of ₹1.50 lakh and 50 per cent of the cost of stall rent, subject to a maximum of ₹5.00 lakh for General category and 75 per cent of the cost of air fare subject to a maximum of ₹2.25 lakh and 75 per cent of the cost of stall rent, subject to a maximum of ₹7.50 lakh for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan states, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2022-23, the Board provided assistance to the tune of ₹30.74 lakh as reimbursement of air fare as well as stall charges to 21 exporters.

f) Reimbursement of fees for Certificate of Registration as Exporter of Spices

Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) is mandatory for export of spices from the country. In order to encourage the entrepreneurs in NE region (including Sikkim & Darjeeling region) and other Himalayan states/ Jammu and Kashmir and Ladakh, State Notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and



Lakshadweep) and SC/ST exporters and Farmer Producer Organizations (FPOs) across the country to undertake export business in spices, the Board reimburses part of CRES fee.

During 2022- 23, the Board provided assistance of ₹1.13 lakh under this component to 15 exporters.

C. Marketing and Auxiliary Services

a) Marketing services

Spices Board is implementing a series of programmes to develop and promote the export of spices and spice products from India and to strengthen the domestic marketing of cardamom. The Board assists stakeholders on a day-to-day basis to sort out various issues faced with regard to post-harvest management, marketing, processing, quality improvement, etc., of spices and provides advice and technical support to exporters, farmers and state governments.

(i) Registration & licensing

(a) Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES)

As per the Spices Board Act 1986, any person exporting spices is required to possess a valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES). As per Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021, the CRES is valid for three years from the date of issuance.

The issuance of CRES by the Board was migrated to the Common Digital Platform (eRCMC) developed by the DGFT during FY 2022-23 and starting May 2022, CRES were issued through the DGFT platform.

During 2022-23, a total of 1,968 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) were issued by the Board, of which 1,774 certificates fall under the merchant exporter category and 194 certificates under the manufacturer exporter category.

(b) Cardamom Dealer & Auctioneer License

Any person who wishes to carry on the business of cardamom, as auctioneer or dealer shall have a valid license from the Board, as per the Cardamom

Licensing & Marketing Rules, 1987. Accordingly, Auctioneer and Dealer Licenses for Cardamom (Small & Large) are issued by the Board. The Auctioneer and Dealer Licenses are issued for a block period of three years and the current block period (2020-23), extends till 31st August 2023. As part of facilitating ease of doing business, Spices Board has on-boarded to the National Single Window System (NSWS) developed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), for the issuance of cardamom dealer and auctioneer license, with effect from 1st August 2022.

During the block period 2020-23, the Board issued 668 Cardamom Dealer Licenses (629 Small Cardamom Dealer Licenses and 39 Large Cardamom Dealer Licenses) all over India, of which 141 licenses (139 Small Cardamom Dealer Licenses and two Large Cardamom Dealer Licenses) were issued during FY 2022-23. Also, twelve e-Auctioneer Licenses and five Manual Auctioneer Licenses have been issued by the Board, during the block period.

(ii) Auction of Cardamom

(a) Establishment of cloud-based live e-auction system

The Board introduced the e-auction system for Small Cardamom at auction centres located at Bodinayakanur (Tamil Nadu) and Puttady (Kerala) in 2007 replacing the erstwhile traditional outcry system. This system has been serving the cardamom industry very well and has contributed to increase the transparency in transactions and better price realization for the farmers. The e-auction system required physical presence of the dealers at the auction centres which demanded frequent travel across the state borders. Also, the e-auction was conducted in a particular centre only on alternate days. Considering the practical difficulties in physical participation in the auction, particularly during the COVID- 19 pandemic period, the Board introduced 'Cloud-Based Live e-Auction' with effect from 1st November 2021, which enabled virtual linking of both the auction centres and simultaneous conduct of the e-auction. In this system, the farmers and dealers can take part in the cardamom auctions from any of the auction centre



as per their convenience unlike the earlier system, wherein the farmers and dealers had to travel to the respective auction centres for participating in the auction. The Board continued to run the cloud-based live e-auction system during FY 2022-23 as well. The cloud based live e-auction system has helped to increase the buyer participation in the auction, thereby enabling better price realization.

Also, during FY 2022-23, the Board continued the intervention for streamlining pooling of cardamom by the dealers and the limit of 25MT for pooling by dealers was continued. A total quantity of 27843 MT of Cardamom (Small) was sold through e-auctions conducted at the Board's auction centres at Puttady and Bodinayakanur during the period 2022-23 (Aug-July).

(b) e-Selling of Large Cardamom in Nagaland

Spices Board launched a pilot project in collaboration with M/s M-Junction for e-selling of Large Cardamom in Nagaland state on 28th October 2022. The pilot project is expected to bring easy marketing options to the farmers of Large Cardamom, most of whom are cultivating in remote areas of the North Eastern region and foster competition among buyers and contribute to better price realization to the growers.

(c) Special Auction for Cardamom

The Board has introduced Special e-auction of lab tested cardamom on pilot basis i.e. to facilitate a separate marketing channel for cardamom tested in lab for pesticides and artificial colours from 22.10.2022 onwards. The special auction is conducted once in a month for cardamom with the objective to promote production and to facilitate export sourcing of IPM (Integrated Pest Management) cardamom, which complies with the pesticide MRLs, and that are free of artificial green colour. At present, two artificial colours (Brilliant Blue and Tartrazine) and six pesticides, viz., Acetamiprid, Cyhalothrin (includes lambda cyhalothrin), Cypermethrin (Including alpha- and zeta cypermethrin), Profenofos, Triazophos, and Dithiocarbamates are being tested and only those cardamom lots which demonstrate compliance with the prescribed standards, on the basis of test reports are placed in the special e-auction.

The Board provides assistance to the extent of 1/3 of the testing charges to the farmers as discount in the invoice if the samples are found suitable for placing in the special e-auction. The farmer has to bear the total testing charges as per the invoice raised if the samples are not cleared for placing in the special e-auction. If the dealers are pooling cardamom in the special e-auction, they have to bear full testing charges of the samples irrespective of whether the sample is cleared for placing in special e-auction or not.

(iii) Mandatory Sampling and Testing

Under the provisions of the Spices Board Act, 1986 and Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, Spices Board is undertaking Mandatory Sampling & Testing of export consignments of some of the spices and spice products to selected destinations based on the requirement of the importing countries, previous incidences of export alerts, risk assessment etc. During FY 2022-23, the Board continued the mandatory sampling, testing and clearance of spice consignments, with periodic amendments to the parameters and spices tested, in line with the changing requirements.

As part of mandatory sampling and testing programme, the Board analyzed 1,32,806 parameters such as Aflatoxin, Illegal dyes, Extraneous matters, Pesticide residues, Salmonella, ETO, etc., in 79,116 samples of spices and spice products meant for export to various countries during 2022-23. Also, the Board issued 5,723 Official Certificates for export consignments of spices and spice products to the EU & UK.

To facilitate ease of doing business, the Board introduced digitally signed online test reports with effect from 25 May 2022 which are accepted by all importing countries. In order to ensure authenticity of test report, a QR code is affixed to the report, for verification by the concerned authorities.

(iv) Establishment of QEL at Spices Park, Jodhpur

The Quality Evaluation Laboratory (QEL), established a basic testing facility for cumin and other seed spices in the administration building of Spices Park, Jodhpur and it was digitally inaugurated jointly by Shri A. G. Thankappan,



Chairman, Spices Board and Shri D. Sathiyam IFS, Secretary Spices Board in presence of Smt. Annu Shree Poonia, Member, Spices Board India on 20th April 2022. The lab is equipped for testing the physical parameters like extraneous matter, other seeds, parameters specified by ASTA, mammalian excreta, etc., in seed spices, especially cumin, which is a major commodity of commerce.

(v) Testing of Customs samples of spices

The Board is receiving samples from Customs of spices and spice products, imported into the country under Advance Authorization Scheme (AAS), for yield assessment and for providing recommendation to the DGFT for the fixation of Standard Input Output Norms (SION). During 2022-23, the Board tested 303 samples in import consignments of spices and spice products received from the Customs Department and test reports were issued.

(vi) Geographical Indication registration

Spices Board obtained GI Tags for five spices viz., Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilli and Byadagi Chilli from the GI Registry and is the Registered Proprietor of these five GI tagged spices. During FY 2022-23, the Board assisted the Farmers / Farmers' Groups in getting 'Authorized User Certificate' for the above mentioned spices from the GI Registry, by issuing NOC.

(vii) Buyer Seller Meets, Seminars and Training Programmes

In order to impart knowledge to stakeholders on export procedures, import documentation etc., and to motivate them to enter spices business, the Board has been organizing Entrepreneurship Development Training Programmes. Further, to facilitate the market linkages between buyers and sellers, the Board has been conducting Buyer Seller Meets targeting producers, exporters and importers of spices.

(a) Buyer Seller Meets

With a view to promote the export of spices and to strengthen linkages for export sourcing of spices, the Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSMs) with a view to provide a platform for interaction between the spice growers, exporters and importers for establishing direct market linkages.

(i) Domestic Buyer Seller Meets

The domestic buyer seller facilitate direct interaction between the farmers' groups and exporters, and helps to strengthen the export sourcing, besides facilitating information exchange on the quality and safety requirements of the export sector. During 2022-23, the Board conducted following domestic buyer seller meets.

Sl No	Name of the Programme	Date
1	Buyer Seller Meet for Saffron at Srinagar, J&K(UT)	17 to 18 Oct 2022
2	Buyer Seller Meet for Black Pepper in Arakku Valley, Andhra Pradesh	28 to 29 Nov 2022
3	Buyer Seller Meet in Hubballi, Karnataka	22 December 2022
4	Buyer Seller Meet for spices at Madikeri, Coorg, Karnataka	24 January 2023
5	Buyer Seller Meet for Turmeric in Nizamabad, Telangana	22 February 2023
6	Market Linkage programme on Mint in Raebareli, Uttar Pradesh	18 March 2023
7	Buyer Seller Meet on Spices for Maharashtra region in Mumbai, Maharashtra	24 March 2023

(ii) International Buyer Seller Meets

Spices Board, in association with the Embassies/ Missions, has been conducting International Buyer Seller Meets (IBSMs) through virtual platform. The IBSM involves the participation of Indian spice exporters, leading importers in the respective countries, trade associations,

chambers of commerce, leading supermarket chains /departmental stores, etc. The event offers a platform for the Indian exporters to build direct business linkages with the importers across the globe. During 2022-23, the Board conducted following international buyer seller meets.



Sl No	Name of the Programme	Date
1	International Buyer Seller Meet (IBSM) and Spices Conclave, Guwahati, Assam	30 June & 01 July 2022
2	Online Buyer Seller Meet for Indian Spices with Focus on China	20 March 2023

The stakeholders of the spice industry have shown keen interest and have actively participated in the BSMs, so as to make the best use of the platform, to build market linkages.

(b) Entrepreneurship Development Programmes

Spices and value-added spice products have been registering a steady growth in world market, thereby enhancing the potential for entrepreneurial ventures in spice processing and value addition. Spices Board, so as to attract, motivate and equip the progressive stakeholders to enter into the spices business, has been organizing Entrepreneurship Development Training Programmes, involving participants from across India. The main purpose of the programme is to sensitize and educate the participants on various aspects of the spice export sector, including export documentation & procedure, quality and safety standards, regulatory requirements for exports, international marketing, export logistics, analyzing export data and trends, etc. During FY 2022-23, the Board organized three Entrepreneurship Development Training Programmes, the details of which are given below:

Sl No	Name of the Programme	Date
1	Virtual Entrepreneurship Development Programme for NE region	29 July 2022
2	Entrepreneurship Development Programme for Spices Stakeholders of Sikkim and North Bengal	24 August 2022
3	Entrepreneurship Development Programme for Spices Stakeholders of Delhi	29 - 30 November 2022

D) International Pepper Community (IPC)

The International Pepper Community is an intergovernmental organization under the auspices of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). The Community now includes India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as permanent members and Papua New Guinea and Philippines as associate members. The Community is a non-profit organization designed as a platform for the global pepper industry to discuss the common issues and seek solutions for the betterment of global pepper industry. Representatives of the member countries hold the office of the Chairman of IPC on rotation basis for a period of one year. IPC has formed different Standing Committees to frame policies and specific strategies in respect of Research & Development, Marketing and Quality evaluation of Pepper for addressing current and emerging issues. The major committees are:

(a) IPC Committee on Research & Development (Research)

The 11th Meeting of the International Pepper Community (IPC) on Research and Development was hosted by the IPC Secretariat in virtual mode on 05 July 2023. Delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Viet Nam as well as the government officials from all member countries attended the virtual meeting. The Meeting elected Dr A.B. Rema Shree, Director (Research) Spices Board, Government of India as the Chairperson and Mr. Ananda Subasinghe, Director (Research), Department of Export Agriculture, and Government of Sri Lanka as the Vice-Chairperson of the meeting.

(b) IPC Committee on Marketing

The 8th Meeting of the IPC Committee on Marketing was held on 29 August 2022 in Kuala Lumpur. The meeting was attended by the delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Viet Nam as well as government officials from the member countries. Shri B.N. Jha, Director i/c (Marketing), Spices Board attended the meeting.



(c) IPC Committee on Quality

Dr A.B. Rema Shree, Director; Ms. Srilatha C. M., and Dr Ramesh Babu N., Scientists, Spices Board attended the 28th Meeting of the IPC Committee on Quality which was organized on 11th October 2022 via online mode. The meeting was attended by delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Viet Nam and Philippines. The officials of the Board presented a report covering Quality Improvement Programmes for Black Pepper; STDF Project; Food Safety and Standards Authority India (FSSAI) standards for import and domestic consumption of pepper in whole and ground form, etc.

E. Major Interventions undertaken for Export of Spices

The General Administration of Customs of China (GACC), People's Republic of China (PRC), has implemented the 'Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food', and has stipulated for registration of overseas production enterprises of 14 categories of food products, including spices during the year 2021. Accordingly, establishments involved in the production, processing and storage of the aforementioned categories of products, exported to China were formerly required by GACC to be registered in the China Import Food Enterprise Registration (CIFER) system.

During 2022-23, GACC bifurcated the procedure for registration of spices to ground and unground segments and registration of establishments involved in the production, processing, storage, and export of unground/unprocessed spices has been entrusted to the Department of Animal and Plant Quarantine (DAPQ) of GACC. Accordingly, the Board facilitated the DAPQ registration of exporters of unground spices to China and the list of registered exporters is updated periodically by adding new exporters.

F. Visit of officials from Embassy/ Other Countries

a. Visit of Hon'ble Ambassador of India to Liberia

Shri Pradip Kumar Yadav, Hon'ble Ambassador of India to Liberia visited Spices Board on 11th April 2022 and interacted with the Chairman, Secretary and other officials to explore the possibilities of promoting export of Indian spices to Liberia. Shri Pradip Kumar Yadav, Hon'ble Ambassador of India to Liberia briefed about the spice production and consumption trend in Liberia and deliberated on steps to be taken for promotion of Indian spices in Liberia.

G. Blockchain-enabled Traceability System for Indian Spices

United Nations Development Programme (UNDP) India's Accelerator Lab and Spices Board signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 5 April 2021 with the aim to build a blockchain based traceability interface for Indian spices to enhance transparency in trading. Blockchain, the decentralized process of recording transactions on an open and shared electronic ledger, allows for ease and transparency in data management across a complex network, including, farmers, brokers, distributors, processors, retailers, regulators, and consumers, thus simplifying the supply chain.

The pilot phase of the building blockchain-powered traceability platform was successfully completed during FY 2022-23. The Board proposes to scale up the initiative to a full-fledged blockchain-powered traceability platform, in association with UNDP and extend the benefit to the other spices and spice growing regions. It is proposed to cover other verticals of traceability in the supply chain, such as Manufacturer/ Export traceability, Consignment / Quality Management traceability and Export alert traceability, in the scale up project. The proposal for upscaling the project in association with UNDP has been submitted to the Ministry and approval is awaited.



TRADE INFORMATION SERVICE

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction, and domestic prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export/import of spices from India is the export/import data provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata/ Ministry of Commerce (MoC) website/Daily List of Exports (DLE)/Daily List of Imports (DLI) published by Customs. The Board is compiling the export details of spices on a monthly basis and import details of spices on an annual basis and disseminating the export and import figures of spices to stakeholders through its website and Ministry/Departments on a regular basis. For this purpose, the Board regularly collects both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar, etc./ DGCI&S, Kolkata and information is also collected through the Regional Offices of the Board.

The Board compiles and disseminates information on prices of spices from major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through its website and publications. The major sources for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, and International Pepper Community, Indonesia. All these information are also collected through online/offline mode through the Regional Offices of the Board and subscription to the international agencies.

Since the Board is responsible for the production and development of Cardamom (Small &

Large), the area, production and productivity of cardamoms are estimated by the Trade Information Service with the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board. Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/ Agriculture/Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as the website to the stakeholders and policy makers.

As per the Registration of Exporters (Regulations), all the registered exporters of spices have to submit their quarterly export returns to the Board. Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns submitted by the registered exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and used for official purpose/ dissemination to stakeholders based on their request.

Spices Board is conducting e-auction for trading of Cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and average price of cardamom are compiled and published on a daily basis through the Board's website. The consolidated details on auction sale and average prices are compiled and disseminated through the Board's publication.

Weekly domestic price of different spices for different market centres are compiled and published through the publication of the Board namely Spices Market on a weekly basis (on website) for the benefit of stakeholders of the industry.



A. Area and Production of Spices

The area, production and productivity of Cardamom (Small) and Cardamom (Large) for

2022-23 compared to 2021-22 are given in Table I & II. Area and production of other spices is given in Table-III.

Table-I Area and production of Cardamom (Small)

State	2021-22				2022-23			
	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ha)	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ha)
Kerala	39143	29426	21270	722.85	40345	30295	22165	731.64
Karnataka	25135	14414	697	48.36	25135	14548	833	57.23
Tamil Nadu	4912	2786	1373	492.79	4930	2781	1466	527.18
Total	69190	46626	23340	500.58	70410	47624	24463	513.68

Source: Estimate by Spices Board.

Table-II : Area and production of Cardamom (Large)

State	2021-22				2022-23			
	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ha)	Total Area (ha)	Yielding Area (ha)	Prodn. (MT)	Yield (Kg/ha)
Sikkim	23312	17189	4990	290.30	23312	17281	5147	297.84
West Bengal	3305	3159	1044	330.48	3305	3159	1076	340.49
Arunachal Pradesh	11684	6853	1695	247.31	11912	6953	1751	251.78
Nagaland	6537	4280	1079	252.05	6650	4298	1096	254.98
Manipur	201	52.39	4.5	85.70	217	64	4.74	74.11
Total	45039	31533	8812	279.45	45396	31755	9074	285.76

Source: Estimate by Spices Board.

Table-III- Major spice wise area and production in India

(Area in Hectare; Production in Tonnes)

Spices	2021-22		2022-23(*)	
	Area	Prodn.	Area	Prodn.
Pepper	283962	70000	278050	64000
Chilli	882000	1836222	852413	1957635
Ginger(fresh)	210016	2503325	205899	2431521
Turmeric(dry)	333024	1221717	323838	1161025
Coriander	553099	735280	638652	847190
Cumin	869186	555789	902010	627031
Celery	4568	6557	4444	6313
Fennel	64922	114971	82142	137408
Fenugreek	168716	252063	146363	226305
Garlic	431218	3523436	407208	3368821
Tamarind	40345	152409	44056	162148
Clove	1924	1209	2086	1224
Nutmeg	23353	18429	23924	16077
Grand total including others	4388955	11125010	4437870	11140980
Grand total in Mil. Tonnes		11.12		11.14

Source: State Directorate of Eco. & Stat. /Agri./Horti. Departments, Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode; Pepper Production : Trade Estimate; Cardamoms estimated by Spices Board, (*) 1st Advance Estimate



B. Auction Sales and Prices of Cardamom (Small)

The state-wise auction sales and weighted average price of Cardamom (Small) for 2022-23 (August 2022-July 2023) and 2021-22 (August 2021- July 2022) are given in Table-IV.

Table IV - Auction sales & prices of Cardamom (Small)

(Qty. in Tonnes, Price in ₹/Kg.)

Centre	2021-22 (August - July)		2022-23 (August-July) *	
	Quantity Sold	Wt. Avg Auction Price	Quantity Sold	Wt. Avg Auction Price
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	28959	1002.23	27843	1086.66
Karnataka	11	710.01	13	721.84
Maharashtra	66	927.41	101	1172.37
Total	29036	934.94	27957	1086.81

Source: Reports received from Licenced auctioneers . * Provisional

C. Prices of Cardamom (Large)

The average wholesale prices of Cardamom (Large) at Gangtok and Siliguri Markets for 2021-22 and 2022-23 are given in Table V.

Table V: Average wholesale prices of Cardamom (Large)

(Price in ₹/Kg.)

Centre	Grade	2021-22	2022-23
Gangtok	Badadana	589.38	562.19
Siliguri	Badadana	657.32	684.79

Source : Spices Board Regional Office, Gangtok.

D. Prices of Other Major Spices

The average domestic prices of major spices are given below. These prices were collected from secondary sources like Chamber of Commerce,

Indian Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc. Prices of major spices in important market centers are given in Table VI.

Table VI - Prices of major spices in important market centers

(Price in ₹/Kg.)

Spice	Market	2021-22	2022-23(*)
Black Pepper(MG-1)	Cochin	460.53	514.03
Chillies	Guntur	112.67	164.69
Turmeric	Chennai	114.85	98.09
Coriander	Chennai	95.89	118.36
Cumin	Chennai	176.09	301.20
Fennel	Chennai	140.10	187.36
Fenugreek	Chennai	88.69	81.86
Garlic	Chennai	73.89	42.58
Poppy seed	Chennai	1572.21	1381.40
Ajwan seed	Chennai	170.62	183.71
Mustard	Chennai	84.90	81.67
Tamarind	Chennai	134.60	123.86
Saffron	Delhi	174430.50	159270.83
Clove	Cochin	699.69	808.58
Nutmeg (with shell)	Cochin	264.91.	280.56
Nutmeg(without shell)	Cochin	524.25	551.19
Mace	Cochin	1031.56	1005.40

(*): provisional



E. Export Performance of Spices from India

Export of spices from India during 2022-23 reached the level of US\$ 3,952.60 million (₹31,761.38 crore) against US\$ 4,068.45 million (Rs.30,324.32 crore) during 2021-22 (revised) with a decline of 2.80 per cent in terms of US Dollar and an increase of 4.74 per cent in terms of rupee terms of value. The Rupee - Dollar exchange rate in 2022-23 has fallen from 74.54 to 80.36, with a decline of 7.8 per cent. If the dollar remained the same level of last year, the value of spices export would have been US\$ 4,261 million (4.74 per cent higher than the previous year.) Looking at another angle, the depreciation of Rupee against US Dollar has toned down the domestic price increase in spices.

During 2022-23, export of spices like Turmeric, Coriander, Garlic, some of the seed spices like Ajwan, Aniseed, Dill seed, etc., classified under Other Seeds, and spices like Asafoetida, Cinnamon, Cassia under Other Spices have shown increase in both volume and value. In the case of Chilli and Cumin, the significant increase in the domestic price (30 to 40 per cent higher than last year) has brought down the volume of exports. The increase in unit price compensated the decline in volume and registered increase in the export value realization. In the case of value-added products, export of curry powder/paste increased both in terms of volume and value. All other spices have

shown a declining trend during the year 2022-23 as compared to the previous year. The export of spices from India during April 2022-March 2023 compared with April 2021-March 2022 is given as Table VII.

F. Major Contributors & Destinations during 2022-23

During 2022-23, the major contributors in spices export basket in terms of value were Chilli(33%), Cumin(13%), Spice oil & Oleoresins (13%), Mint Products (11%), Turmeric (5%), Curry powder (4%), Small Cardamom (3%) and Pepper (2%) which altogether contributed more than 80 per cent to the total export earnings of spices.

During 2022-23, the major export destinations of Indian spices were China (20%), U.S.A. (14%), Bangladesh (7%), U.A.E. (6%), Thailand (5%), Indonesia(4%), Malaysia (4%), U.K. (3%), Sri Lanka (3%), Germany (2%), Netherlands (2%), Nepal (2%), and Saudi Arabia (2%) contributing more than 70 per cent to the export earnings of spices.

Out of the top 11 destinations, export to seven major destinations have shown an increase during FY 2022-23. The reason for decline in export of spices can generally be attributed to stringent quality norms imposed by major importing countries coupled with increase in domestic price of spices like chilli, and cumin in India which made the items uncompetitive in the international market.



Table- VII

EXPORT OF SPICES FROM INDIA DURING APRIL 2022 - MARCH 2023 COMPARED WITH APRIL 2021 - MARCH 2022

COMMODITY	Apr-Mar 2022-23 (F)			Apr-Mar 2021-22 (R)			% CHANGE IN		
	Qty (Tonnes)	Value (Lakhs)	Value (Mln \$)	Qty (Tonnes)	Value (Lakhs)	Value (Mln \$)	Qty (Tonnes)	Value (Lakhs)	Value (Mln \$)
Chilli	516176.96	1044412.31	1299.73	557143.98	858458.36	1151.23	-7%	22%	12%
Cumin	186508.79	419359.76	522.11	216970.69	334367.40	449.34	-14%	25%	16%
Spices Oils & Oleoresins	18398.15	408551.25	510.40	21920.45	447823.73	601.09	-16%	-9%	-15%
Mint Products(2)	26708.33	357386.49	445.52	36253.84	444144.18	595.95	-26%	-20%	-25%
Other Spices(3)	82951.61	172437.92	209.16	72036.00	136524.49	183.14	15%	26%	14%
Turmeric	170085.36	166699.49	208.00	152757.59	153442.05	205.81	11%	9%	1%
Curry Powder/Paste	57924.18	141689.27	176.19	52479.32	115836.50	155.34	10%	22%	13%
Cardamom (S)	7352.33	87514.87	109.72	10571.06	137566.95	184.46	-30%	-36%	-41%
Pepper	17958.16	72686.41	90.83	21862.94	75331.23	101.02	-18%	-4%	-10%
Coriander	54481.49	66501.19	82.61	48656.09	48247.51	64.70	12%	38%	28%
Other Seeds(1)	57430.73	48089.08	60.25	47166.53	40445.48	53.93	22%	19%	12%
Ginger	50884.83	43246.06	54.05	147677.23	83651.76	112.30	-66%	-48%	-52%
Fennel	21200.62	31437.42	39.23	40138.68	41197.20	55.39	-47%	-24%	-29%
Fenugreek	35054.71	26680.17	33.41	32402.30	26285.83	35.28	8%	2%	-5%
Garlic	57346.13	24579.64	30.59	22134.92	18575.04	24.90	159%	32%	23%
Nutmeg & mace	3446.84	22127.57	27.55	3596.72	21798.86	29.23	-4%	2%	-6%
Tamarind	33316.71	21263.37	26.47	37333.01	23433.40	31.44	-11%	-9%	-16%
Cardamom (L)	1883.49	13720.19	17.10	1981.11	15448.21	20.64	-5%	-11%	-17%
Celery	5247.53	7755.76	9.68	7578.95	9854.19	13.24	-31%	-21%	-27%
Total	1404356.95	3176138.22	3952.60	1530661.41	3032432.44	4068.45	-8.3%	4.7%	-2.8%

Source: MOC/DGCI&S, Kolkata


(1) Include Bishops weed(Ajwan seed), Dill seed, Poppy seed, Aniseed, Mustard, etc.

(2) Include Menthol, Menthol crystals and other Mint oils.

(3) Include Asafoetida, Cinnamon, cassia, Cambodge, Saffron, Spices (nes), etc.




Major Contributor in Indian Spice Export Basket



Item	Value (₹ Lakhs)
Chilli	1,044,412.31
Cumin	419,359.76
Spice Oils & Oleoresins	408,551.25
Mint Products	357,386.49
Turmeric	166,699.49
Curry Powder/Paste	141,689.27
Cardamom(S)	87,514.87

Item	Value (₹ Lakhs)
Pepper	72,686.41
Coriander	66,501.19
Other Seeds	48,089.08
Ginger	43,246.06
Fennel	31,437.42
Fenugreek	26,680.17
Others	261,884.45

Major Destinations



Country	Value (₹ Crore)
China	6391.64
U.S.A.	4467.40
Bangladesh	2076.65
U.A.E.	1945.99
Thailand	1498.08
Malaysia	1205.61
Indonesia	1199.12
Sri Lanka	932.65
U.K.	868.51
Saudi Arabia	747.90
Germany	732.03
Netherlands	574.85

Country	Value (₹ Crore)
Nepal	559.17
Japan	439.74
Australia	426.89
Singapore	425.24
Canada	422.94
South Africa	335.96
France	335.94
Korea(South)	325.23
Morocco	307.80
Vietnam(South)	305.96
Others	5236.08



PUBLICITY AND PROMOTION

During the period April 2022 to March 2023, the Publicity and Promotion Section carried out various activities for enhancing the reputation of Spices Board and for promotion of Indian spices aiming at increased export of spices from the country. Every promotional opportunity was made use of to enhance the public awareness on Indian spices, various value-added spice products, uses and benefits, etc. Information on the activities and schemes of Spices Board were also disseminated using various channels during the period 2022-23.

The major highlights of 2022-23 include participation in trade fairs / exhibitions,

advertisement campaigns, online promotional campaigns, and printing and publication of magazines, brochures, etc.

A. Participation in Exhibitions/Trade Fairs

Participation in trade fairs and exhibitions is one of the finest tools for reaching out to the various stakeholders of the spice industry. During the financial year, the Board ensured its participation in major trade fairs and the list of fairs attended is given below;

List of Domestic Fairs Participated by Spices Board

Sl. No.	Event Name	Place	Event Date
1.	Uttar Pradesh Spices Conference & Expo 2022	Lucknow, UP	19 th April, 2022
2.	ICAR-Kalpa Vajra	Kayamkulam, Kollam	24 th April, 2022
3.	KADS Green Fest 2022	Thodupuzha, Kerala	25 th April to 01 st May, 2022
4.	AAHAR 2022	New Delhi	26-30 April, 2022
5.	North East Food Show 2022	Shillong, Meghalaya	05-07 May, 2022
6.	Karshakashree 2022	Kottayam, Kerala	11-15 May, 2022
7.	Power of Democracy-National Women Legislators Conference	Trivandrum, Kerala	26-27 May, 2022
8.	Agro + Food & Beverage Pro World Expo'22	Mumbai	09-11 June, 2022
9.	Kerala Business To Business Meet (VYAPAR) 2022	Kochi, Kerala	16-18 June, 2022
10.	13 th Krishi Fair	Puri, Odisha	20-24 June, 2022
11.	India International Hospitality Expo (IHE 2022)	Delhi-NCR	03-06 August, 2022
12.	Agro + Food & Beverage Pro World Expo'22	Goa	04-06 August, 2022
13.	India Geographical Indications (GI) Fair 2022	Delhi-NCR	26-28 August, 2022
14.	Biofach India 2022	New Delhi	01-03 September, 2022
15.	Annapoorna Anufood 2022	Mumbai	14-16 September, 2022
16.	Fi India & Hi 2022	Bengaluru	21-23 September, 2022
17.	Spice Conference	Ernakulam, Kerala	27-28 September, 2022
18.	Mathrubhumi Agri Fest 2022	Palakkad, Kerala	07-11 October, 2022
19.	State Level Farmers Day 2022	Madurai	14-16 October, 2022



Annual Report 2022-23



20.	Vision Rajasthan 2022	Jalore Sirohi, Rajasthan	01-03 November, 2022
21.	IITF 2022	New Delhi	14-27 November, 2022
22.	SIAL India 2022	New Delhi	01-03 December, 2022
23.	7 th International Agri Horti show	Khanapara, Guwahati.	17 - 19 December, 2022
24.	Agricultural & Horticultural Mela 2022 (Krishimela)	Mudigere, Karnataka	23 December, 2022
25.	Indus Food 2023	Hyderabad	08-10 January, 2023
26.	Cochin Flower Show 2023	Kochi, Kerala	13-22 January, 2023
27.	Shining Madhya Pradesh 2023	Ujjain, Madhya Pradesh	18-20 January, 2023
28.	Samrambhaka Sangamam 2023	Kochi, Kerala	21 st January, 2023
29.	Joint Official Language Conference of South and South-West Regions	Trivandrum, Kerala	27 th January, 2023
30.	Agrivision 2023	Bhubaneswar, Odisha	27-29 January, 2023
31.	Expo Organic North East 2023 (Expo ONE)	Guwahati, Assam	03-05 February, 2023
32.	21 st Prof. K V Thomas Endowment Seminar & 4 th International Symposium on NTAC 2023	Thevara, Kochi	07-08 February, 2023
33.	7 th Annual Spice Meet	Andheri, Mumbai	03-04 March, 2023
34.	AAHAR 2023	Pragati Maidan, New Delhi	14-18 March, 2023
35.	Nowruz Festival	New Delhi	19-20 March, 2023

List of International Fairs Participated by Spices Board

Sl. No.	Name of the Fair	Venue	Date
1.	Fine Food Australia	Melbourne, Australia	05-08 September, 2022
2.	SIAL	Paris, France	15-19 October, 2022
3.	Food & Hotel Asia (Horeca) 2022	Singapore	25-28 October, 2022
4.	Gulfood Manufacturing 2022	Dubai, U.A.E.	08-10 November, 2022
5.	Foodex	Tokyo, Japan	07-10 March, 2023
6.	IFE Manufacturing	London, U.K.	20-22 March, 2023

Event participated under the Market Access Initiative (MAI) Scheme & Guidelines

Sl. No.	Name of the Fair	Venue	Date
1.	World Food Moscow 2022	Moscow, Russia	20-23 September, 2022

B. International Buyer Seller Meet and Spices Conclave for Inclusive Development of North Eastern Spice Industry

Aiming at connecting the North East spices community with the global spices fraternity, an International Buyer Seller Meet (IBSM) and Spices Conclave was organised at Guwahati, Assam

during 30th June and 01st July 2022. Hon'ble Chief Minister of Assam, Dr Himanta Biswa Sarma inaugurated the event on 30th June, 2022. Shri Tage Taki, Hon'ble Minister for Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry & Veterinary, Dairy Development & Fisheries, Government of Arunachal Pradesh was the Guest of Honour during the programme.



The dual day IBSM and Spices Conclave witnessed active participation of farmers, Farmer Producer Organisations (FPOs), and Officials from across the eight North Eastern States. Participation of upcountry buyers, exporters and importers from many a foreign country added to the pomp and glory of the event. Besides getting to know the true potential that the North Eastern States hold to produce and deliver high-quality, by default organic, indigenous spice varieties, the event also provided a common platform to share the concerns of both the producers and buyers in channelizing and sustaining the supply chain from the region effectively and to suggest smart solutions to overcome the pitfalls.

C. Online Promotional Campaigns

The Publicity Department made use of the various social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn for promotion of Indian spices and Spices Board's activities in 2022-23. Designed to educate the online viewers, the social media campaigns created awareness on spices including its botanical and geographical information, trade data, therapeutic and culinary aspects, etc.

D. Spice Xchange India- Spices Board's B2B Portal

Spice Xchange India (www.spicexchangeindia.com), Spices Board's 3D virtual portal was launched on 20th January 2022 to address the gap in building market linkages created by the pandemic. The B2B portal is expected to provide immense business opportunities to benefit Indian spice entrepreneurs. Spice Xchange India portal is expected to facilitate ease of doing business, and is equipped with features like 24 x 7 virtual office space for Indian spice brands, Artificial Intelligence based recommendation model, market information, and access to global spice trade data. This portal is a key intervention identified by the Board to help the entrepreneurs in spices sector.

Services of the SpiceXchange India portal was rendered to the subscribers during the period 2022-23. An International Spice Trade Fair with

focus on USA, Canada and Mexico was organized during 17th to 27th August, 2022 on Spice Xchange India platform. The International Spice Trade Fair saw the participation of more than 100 buyers from USA, Canada and Mexico and more than 200 exporters from India.

E. Periodicals

a) Spice India

The periodical publication, Spice India is being published in five different languages; English, Hindi, Malayalam, Kannada, and Tamil, as a monthly and as a quarterly in Telugu. The periodicals were published regularly during this period.

b) Foreign Trade Enquiries Bulletin

Spices Board compiles and publishes trade enquiries received from overseas trade fairs, e-mail and direct enquires to the Board's offices as a fortnightly bulletin named as Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB) to facilitate export of spices. The publication is sent through email to the subscribers.

c) Other Publications

Booklets and brochures printed during 2022-23 were:

- GI Spices of India (E -book and printed version)
- Small Cardamom Package of Practices in English and Malayalam
- Compendium on Key Schemes for Spices Exporters
- General Brochure on Spices Board

F. Release of Advertisements

Advertisements on vacancies in Spices Board, tenders, etc., were released during the year. Besides these, advertisements on general information on Spices Board and for promotion of cardamom and advertorials were also released through various newspapers and magazines.



G. Press Releases

Press releases detailing the export performance and trends, initiatives, activities, and major events organised by Spices Board, etc., were released during FY 2022-23.

H. Spice Experience Zones at G20 Trade and Investment Working Group Meetings

In connection with India's G20 presidency, the first meeting of Trade and Investment Working Group was held at Mumbai during 28-30 March 2023 and theme-based experience zones on spices, millet, tea, and coffee were set up at the venue.

The experience zone on spices put up by Spices Board was of aesthetic design and displayed the spectrum of spices and value-added spice products in addition to live spice plants to provide a first-hand experience of Incredible Indian Spices. Different categories of value-added products from spices such as nutraceuticals and health supplements, perfumeries and aromatics, flavours, natural colours, extracts, isolates, etc., were displayed in the experience zone for providing information and experience on such products to the visitors. Leading exporters of value-added spices and nutraceuticals, displayed their unique products at the spices experience zone.

The spices experience zone sought to provide a holistic experience to position Indian spices as of high-quality and meeting the norms of food safety in addition to demonstrating the country's

strength and capabilities in the spices sector. The experience zone recapitulated an impression and feel in the minds of the visitors and onlookers, which complimented to creating a sustainable brand image to Indian spices as premium products of desired quality, food safety and hygiene aspects, having applications in various sectors. The experience centre also had a digital zone where all necessary information on Indian spices were made available in a digital format.

I. Promotion of Spices

- a) In order to promote the use and consumption of spices in India and abroad, and to popularize spice based cuisines, Spices Board partnered with Vanitha, a leading women's magazine, to support organizing a cooking competition called Vanitha Pachakarani 2022. The competition had a participation of 45 contestants selected through a multi stage selection procedure. An international food photo contest was also organised as part of the competition.
- b) Spices Board in collaboration with the All India Radio, Kochi broadcast a radio series on cultivation of Small Cardamom during 1st -12th August 2022. The series covered different aspects of Small Cardamom cultivation including cultivation, post-harvest processing, quality management and farmers' experiences and was led by experts including scientists, field-level officers of Spices Board and farmers.



CODEX CELL AND INTERVENTIONS

A. Background of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was approved at the 36th Session of the Codex Alimentarius Commission held at the FAO Headquarters, Rome in July 2013. The Committee was established with the support of over 105 member countries, with India as the host country and Spices Board as the host organization.

The scope of CCSCH is the development of globally accepted standards for quality parameters in spices and culinary herbs taking into consideration the international and national legislations, other available standards and specifications. This Committee is hosted and chaired by India, with Spices Board India as its Secretariat. Dr M.R. Sudharshan (Retired Director (Research), Spices Board) is the current Chairman of this Committee.

So far, six sessions of the committee have been organized by Spices Board on behalf of India. The CCSCH1 session was held in 2014 at Kochi, CCSCH2 in 2015 at Goa, CCSCH3 in 2017 at Chennai, and CCSCH4 in 2019 at Thiruvananthapuram. After the onset of COVID-19, two sessions were held virtually, viz., CCSCH5 in full virtual mode during April 2021 and CCSCH6 with a full physical head table and delegates attending online, during September- October 2022. Out of these six sessions of the CCSCH committee, eleven full-fledged international standards for spices have been developed.

a) Sixth session of the Codex Committee on Spices and Culinary herbs (CCSCH6)

The CCSCH held its sixth session virtually, on 26th, 27th, 28th, 29th, 30th September and 3rd October 2022. Dr M. R. Sudharshan, former Research Director, Spices Board India, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, chaired the session, and was attended by 60 Member Countries, one Member Organization (European Union) and Observers of four International Governmental Organizations (IGOs) and Non-governmental Organizations (NGOs) and United Nations agencies.

Mr Rajesh Bhushan IAS, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and Chairperson, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), inaugurated the session. Mr D. Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board India, Mr Konda Reddy Chavva, Officer in-charge, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in India, Dr A.B. Rema Shree, Director, Spices Board India, and Mr Steve Wearne, Chairperson of the Codex Alimentarius Commission (CAC) addressed the Committee.

CCSCH6 concluded successfully with finalization of quality standards for three more new spices, viz., chilli pepper & paprika, nutmeg, and saffron, and the same was forwarded to the CAC for adoption.

b) Upcoming Session (CCSCH7)

The seventh session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH7) is scheduled to be held physically from 29th January to 2nd February 2024, with the concurrence of Codex Secretariat and Codex



India. The preparatory work for the upcoming session is in progress. Draft standards for Small Cardamom, turmeric, group standards on dried fruits and berries are coming up for discussion in this session.

B. Other Codex Committee Meetings

a) Codex Alimentarius Commission (CAC)

The 45th session of the Codex Alimentarius Commission (CAC45) was held in hybrid mode during 21st-25th November, 2022; 12th-13th December, 2022; and 19 December, 2022, and 06 February, 2023. The Chairperson of CCSC and Scientists from Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board attended the session virtually. The three new spice standards viz., chilli pepper & paprika, nutmeg, and saffron forwarded for adoption by the CCSC6 committee, were adopted by the commission.

Spices Board officials also attended the meeting on Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF15), virtually in May 2022.

C. ISO/TC 34/SC 7 Committee

The 31st meeting of ISO/TC 34/SC 7 was held virtually during 14th -15th December 2022. Bureau of Indian Standards (BIS, India) holds the Secretariat for this ISO committee, and was chaired by Dr A. B. Rema Shree, Director, Spices Board, India. Thirty-seven delegates from 16 member countries participated in the meeting spread over two days with extensive discussions on international standards for spices and related test methods. During the meeting, 10 draft international standards were discussed and progressed to next advance stage and 11 expert working groups were setup on different subjects.

D. Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee (FAD- 9)

The 19th and 20th meeting of the Food and Agriculture Sectional Committee (FAD-9) on spices, culinary herbs and condiments were held during May 2022 and November 2022

respectively. Dr A. B. Rema Shree, Director (Research), Spices Board India chaired the meetings. The committee has formulated 74 Indian Standards in the field till now and Indian Standards, both new and revisions, are under development.

E. National Committee on Spices Quality & Safety (NCSQS)

National Committee on Spices Quality & Safety (NCSQS) is an advisory committee, constituted by the Secretary, Spices Board, to address the challenges and technical issues affecting Indian spices and their exports, including quality and safety issues. The second session of the National Committee on Spices Quality & Safety (NCSQS-2) was held virtually during March, 2023.

The committee consists of representatives from various research institutions, spice growers, exporters and other experts and stakeholders of the spice sector. Codex Cell of Spices Board is functioning as the Secretariat for this committee.

In the session, problem of lack of sufficient number of label claims in pesticides for use in spices was flagged as a critical issue to be addressed in the spice production sector in India. Subsequently, Spices Board had interactions with the Chairperson and Secretary of Central Insecticides Board & Registration Committee (CIB&RC), Assistant Director General - Plant Protection (ADG-PP) and Advisor (Quality Assurance, Science & Standards), FSSAI, to request their guidance and intervention to take this matter forward. From the inputs received, Spices Board launched a concerted effort with research institutions and pesticide industry to fast-track the activities. It is expected that in the coming months, a framework can be finalized that can initiate the required data generation work, which will hopefully result in at least a few important pesticides having label claims in spices in a couple of years. Under this committee, a study to assess the possibility of natural occurrence of ethylene oxide in spices is also progressing.



QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board at Kochi was established as the Board's first of its kind laboratory in the year 1989. QEL, Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997, ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution, U.K. and is also accredited under ISO/IEC:17025 Laboratory Quality Management System since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology (DST), Government of India. Quality being considered the prime commitment, QEL, Kochi has always maintained and continues to maintain its credentials by consistently upgrading the quality systems. The lab is certified under the latest versions i.e., ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 by the British Standard Institution, U.K. and ISO/IEC 17025:2017 by the NABL, Department of Science and Technology (DST), Government of India.

With the objective that spices exported from India conform to specifications laid down by appropriate national/international organizations and also to provide the customers with timely, reliable and accurate test results, Spices Board has expanded its reach throughout India by establishing its Regional Quality Evaluation Laboratories. Seven Regional QELs are now in operation at major producing/ exporting centres viz., Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata. Under the QEL, a basic testing facility for cumin and other seed spices was established at Spices Park, Jodhpur, which was inaugurated on 20th April 2022. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai, Delhi, Tuticorin and Kandla are accredited under ISO/IEC 17025:2017 by NABL and QEL Kolkata is in the process of obtaining accreditation.

QELs undertake analysis of consignment samples under the mandatory inspection of Spices Board, provide analytical services to the Indian Spice Industry and help to monitor the quality of spices produced and processed in the country. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analysis as per the requirements of importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory, including the generation of worksheets and submission of analytical results are made online through a software system called "QUADMAS" and the same is updated to meet the new needs as per the requirements of the ISO Quality System and customers.

A. Analytical Services

During the FY 2022-23, the Quality Evaluation Laboratories continued the analysis of mandatory samples of chilli and chilli products for the presence of Sudan dye I-IV and Aflatoxin under the mandatory sampling of consignments of chillies, chilli products, turmeric powder and other food products containing chilli. Similarly, the lab continued analysis of export consignment of curry leaves (for pesticides namely Profenofos, Triazophos and Endosulfan to the E.U.), cumin seeds (for extraneous matter and other seeds) and chilli, cumin and spice mixes (for Salmonella to the U.S.A) as per the mandatory inspection and testing implemented by the Board.

Testing of spices and spice products such as chilli, cumin, turmeric, black pepper, fenugreek and Small Cardamom in whole and ground form, from India to Japan (excluding oils & oleoresins) for pesticide residues like Iprobenfos, Profenofos, Triazophos, Ethion, Phorate, Parathion, Chlorpyrifos and Methyl Parathion and



the analysis of Piperine and oleoresin content in imported black pepper consignments were also done during the period.

Analytical services were also provided for various parameters like other illegal dyes (viz., Para Red, Rhodamine B, Butter Yellow, Sudan Red 7B and Sudan Orange G), Ochratoxin A, detection of mineral oil in black pepper, illegal colourants in cardamom, coumarin content in cassia/cinnamon, etc., apart from the general physical, chemical and microbiological parameters in spices and spice products.

The laboratory also provided the analytical service for testing of export consignments of spices (Small Cardamom) to Saudi Arabia. The test parameters include Acetamiprid, Cyhalothrin, Cypermethrin isomers, Profenophos, Triazophos and Dithiocarbamates (DTC).

The Laboratory makes available to its customers, scope of its testing on the website and the same

was revised including more parameters, for pesticide residue analysis as per internationally accepted methods. The changes being made to the list of parameters for which analytical services are provided by the QEL is updated from time to time.

During the financial year 2022-23, the laboratory analysed a total of 1,32,806 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, Ethylene Oxide (ETO) and Salmonella. Since 23 September, 2022, QEL, Kochi commenced testing of farmers' cardamom samples for quality parameters like artificial colour and pesticide residue. Since 05th January, 2023, QEL commenced testing for curry leaves exported to the EU for pesticide residue analysis (in addition to Ethylene Oxide) through its empanelled labs.

During the year, Spices Board continued testing samples from export consignment to the EU for ethylene oxide through its empanelled labs since 07th February, 2022.

QEL	Number of			
	Samples received	Parameters tested	Mandatory parameters tested	Rejected mandatory samples
Kochi	14064	26601	23374	223
Tuticorin	3513	5883	5869	81
Chennai	17724	20868	20559	196
Guntur	7590	12472	11707	64
Mumbai	17922	30193	25462	957
Narela	2216	4993	4766	212
Kandla	13088	27961	27714	392
Kolkata	2952	3741	3663	4
Jodhpur	47	94		
TOTAL	79116	132806	123114	2129

Monitoring of rejections of export to various importing countries like the U.S.A., E.U., Japan, Saudi Arabia, etc., are consistently reviewed for the need for expansion of scope of mandatory inspection and testing.

B. Human Resources Development Programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel and updating the requirements of various Quality

Systems adopted by the laboratory, the following national/ international training programmes/ workshops were attended by the scientific and technical staff;

1. Scientist C, QEL, Guntur and Scientist C, QEL, Mumbai attended Lead Auditor Training on Food Safety Management System based on ISO 2200:2018 standard at Spices Board, Kochi, from 04/08/2022 to 08/08/2022.



2. Scientist A, QEL, Kolkata attended training on achieving higher throughput and accuracy in food testing analysis conducted by FSSAI on 10th May, 2022.
3. Scientist C, QEL, Chennai and Scientist A, QEL, Kolkata attended the Lead Auditor Training on ISO 22000:2018, FSMS (Virtual training), during 19th-23rd May, 2022.
4. Scientist C, QEL, Kochi, Senior Chemist, QEL, Kochi, Jr. Microbiologist, QEL, Mumbai, Junior Chemist, QEL, Kochi, Junior Chemist, QEL, Guntur and Junior Microbiologist, QEL, Guntur attended training on ISO/IEC 17025:2017 - Risk Management Requirements & Implementation in Laboratories conducted (On-line) by the Quality Council of India (QCI) on 20th July, 2022.
5. Two Scientists from QEL, Guntur attended Training (On-line) on FDA Import Operations hosted by the Export Inspection Council (EIC) on 2nd August, 2022.
6. Scientist A, QEL, Chennai attended the 6th PTP/RMP conclave conducted by NABL at Bengaluru, during 25th -26th August, 2022.
7. Junior Microbiologist, QEL, Kolkata and Junior Chemist, QEL, Guntur attended training on Measurement & Decision Rule as per ISO/IEC 1705:2017 conducted by Training and Capacity Building (TCB) Cell, Quality Council of India, New Delhi during 15th-16th September, 2022.
8. Scientist A, QEL, Chennai, attended the NABL Assessors training at New Delhi, during 08th-12th October, 2022.
9. Scientist C, QEL, Mumbai, Scientist C, QEL, Guntur and Junior Chemist, QEL, Kochi attended training on Method Validation for Pesticide Residue Analysis conducted by NIPHM, Hyderabad during 12th-16th December, 2022.

10. Scientist C, QEL, Kochi participated in training on Right to Information - Public Information Officers during 02nd-03rd March, 2023 conducted by the Institute of Secretariat Training & Management (ISTM).
11. Scientists of QEL attended 28th IPC Quality meeting held virtually on 11th October 2022.

C. Training Programmes

a. Training programmes conducted by QEL

1. QEL, Kochi conducted four training programmes;
 - (i) Training Programme on Analysis of Mycotoxins and Illegal Dyes in Spices and Spice Products (22nd-26th August, 2022),
 - (ii) Training Programme on Physical, Chemical Analysis of Spices/Spice Products (29th August-02nd September 2022),
 - (iii) Training Programme on Microbiological Analysis of Spices/Spice Products Based on FDA BAM (19th-23rd September 2022) and
 - (iv) Training Programme on GCMS/LCMS/MS Analysis of Pesticide Residues in Spices and Spice Products (26th-30th September, 2022, & 31st October to 04th November, 2022). A total of 29 participants (from various spice export/processing units, private testing laboratory and national research institutes) attended the training programme.
2. Scientist C, QEL, Mumbai imparted Training to Trainers (42 Nos) under the programme jointly conducted by STDF and FAO at National Research Centre on Seed Spices (NRCSS), Ajmer during 18th-20th May, 2022.
3. Spices Board, Regional Office Mumbai, conducted Exporters' Awareness Programme



on Trade Rejections and Quality Issues at Spices Board, Mumbai on 29th June, 2022.

b. Other training programmes

1. Scientist A, QEL, Kolkata, and resource person from Spices Board, Kochi, conducted a training on Good Harvesting Practices (GHP) and Quality Issues in Black Pepper Supply Chain during 26th -29th April, 2022 under the project entitled "Strengthening spice value chain in India and improving market access through capacity building and innovative interventions" implemented by Spices Board jointly with Standards and Trade Development Facility (STDF) under WTO and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), India.
2. QEL Kolkata attended training on FDA Import Operations conducted by USFDA India office jointly with EIC, Delhi on 22nd August, 2022.
3. Scientist C, QEL, Chennai, conducted an online training for exporters on Quality Requirements of Spices for Export to Europe on 27th September, 2022.
4. Scientist C, QEL, Guntur conducted a meeting and presentation on Quality Improvement of Chillies to the farmers from Madhya Pradesh at QEL, Guntur on 12th October, 2022.

c. Student internship/academic project works

1. QEL, Kochi, had provided guidance and dissertation facilities to one student of post-graduation, and nine students of graduation and internship facilities to eight students from different colleges/universities.
2. QEL, Tuticorin, provided internship programme in Chemistry and Microbiology to one student of graduation.

D. ISO Systems Related Activities

1. QEL, Chennai successfully completed the NABL desktop audit 2022 for ISO/IEC: 17025:2017.

2. QEL, Tuticorin successfully completed the NABL external audit conducted during 03-04 December, 2022.
3. QEL, Narela successfully completed the NABL external audit.
4. QEL, Mumbai underwent the NABL external audit during 07-08 May, 2022. Also, the NABL desktop audit was successfully completed in 2023.

E. Spices Board Check Samples Programme/ Proficiency Testing Programme

The QELs of Spices Board conducted/ participated in Inter-Laboratory Check Sample (ILC) programmes and participated in various Proficiency Testing (PT) programmes. The results were well within the limit of "Z" score and corrective action was taken wherever deviation was observed.

a. ILC programme details

1. QEL, Kandla successfully organized ILC programme for the parameters-Aflatoxin, Sudan and Extraneous matter in Cumin. QEL Kochi, QEL Kandla, and QEL Tuticorin participated in the ILC programme.
2. QEL, Chennai, successfully organized ILC programme for the parameter; Ethylene oxide.
3. QEL, Narela successfully organized ILC programme for parameters- Moisture, Volatile oil, Piperine, and Extraneous matter.

b. PT programme details

QEL, Kochi, Tuticorin, Chennai, Narela, Guntur, Mumbai, Kandla and Kolkata participated in the proficiency-testing (PT) programme conducted by various international/ national agencies like FAPAS, International Pepper Committee, Trilogy, Fare Labs Pvt Ltd., and AASHVI Proficiency Testing and Analytical Service.

Test parameters for which QEL participated included various physical, chemical, residual and microbiological parameters like Aflatoxins, Sudan



dyes, Ochratoxin A, Acid insoluble ash, Total ash, Bulk density, Volatile oil, Moisture, Starch, Curcumin, Light berries, Piperine, Extraneous/ Foreign matter, Capsaicin, Salmonella, *Staphylococcus aureus*, Total aerobic microbial count, Yeast and mould count, E.coli, Coliforms and Enterobacteriaceae.

F. Projects/Standardization Work Undertaken

1. QEL, Chennai provided technical consultancy for setting up of Quality Control Lab at APMC, Bydagi, Karnataka during the year.
2. QEL, Chennai commenced customer service for testing Ethylene Oxide residue in spices and spice products.

3. QELs conducted random check on the consignment for export to the E.U. for presence of Salmonella spp.

G. Strengthening of Labs' Infrastructure and Purchase of Equipment

QEL, Guntur and Mumbai are in the process of strengthening their infrastructure for testing pesticide residue as per the EU norms. It is expected to commence analytical service during next financial year. Also, QEL is in the process of strengthening its infrastructure for testing Ethylene Oxide and heavy metals in spices .



EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) undertook research programmes mainly on crop improvement, biotechnology, crop production studies based on nutrient management and soil analysis, crop protection studies based on integrated pest and disease management in Small and Large Cardamom and adaptive trials on other spices during the period under report. Transfer of technology was extended to farmers and targeted groups through various extension activities such as advisory services, scientist-farmer interface, mobile spice clinics, webinars, workshops, training programmes and audio and visual media and publications. ICRI developed strategies and created awareness to minimize pesticide usage in cardamom, encouraged practice of Integrated Pest Management (IPM), Integrated Disease Management (IDM) and Integrated Nutrient Management (INM) systems as well as organic farming. Established a state-of-the-art Quality Evaluation Laboratory for pesticide residue analysis at ICRI, Myladumpara with financial assistance of the State Horticulture Mission, Kerala.

A. Crop Improvement

a) Small Cardamom

During the reporting period, unique accessions of Small Cardamom germplasm were conserved in the gene bank of ICRI farm at Myladumpara (544 nos) and Sakleshpur (266 nos). The superior quality cardamom clone (MCC 594), developed by ICRI, Myladumpara through natural selection, genetic upgrading, and evaluation, is registered with ICAR- NBPGR, New Delhi. This clone is assigned with IC No. 645601 and notified to propose as a new variety in the Kerala State Varietal Release Committee for plantation crops. Ten multi locational trials (MLTs) of this clone were laid out in farmers' fields in the cardamom tract of

Idukki district to assess performance of this clone as a prerequisite for variety release.

As part of hybridization programme in Small Cardamom, developed two hybrids which were promising and suitable for the cardamom tracts of Idukki district. These two hybrids developed were evaluated for consecutive four years and the two hybrids were notified by ICAR-NBPGR and assigned IC numbers as IC645599 (MHC-1) and IC645600 (MHC-2) respectively. Developed sucker nursery of each popular cultivar in farm in order to produce quality planting material as special programme.

b) Large Cardamom

During 2021-22, a survey was conducted in Kalimpong district of West Bengal, collected six unique accessions of Large Cardamom which were planted in isolated areas for monitoring and observation. Completed preliminary characterization of six germplasm collected during 2021-22 and shifted to the germplasm conservatory. Hybridization was carried out and growth performance of already developed hybrid (F1) lines was recorded. All the hybrids outperformed the parental lines (except Sawney and SCC 263) and standard check in terms of growth parameters. Under drought tolerant line study, preliminary observations indicated that Ramsey outperforms others in terms of growth parameter.

B. Biotechnology

a) Small Cardamom

Molecular characterizations of 50 accessions of Small Cardamom germplasm were conducted. In-vitro studies on the effect of cardamom leaf oil extracts against major fungal pathogens of Small



Cardamom (*Fusarium oxysporum*, *Colletotrichum gloeosporioides*, *Phytophthora meadii*, *Phythium vexans*, *Rhizoctonia solani*) were carried out. Preliminary studies indicated that leaf oil extracts showed about 60 per cent inhibition in in-vitro conditions against *Colletotrichum gloeosporioides* in cardamom plants. Molecular characterization of *Fusarium* isolates from Small Cardamom was carried out. Gene sequencing of fifteen *Fusarium* isolates were carried out using selective primers and analysis of results is to be continued.

C. Agronomy and Soil Science

a) Small Cardamom

1. Mobile App development for site-specific fertiliser recommendation

A prototype of Mobile Application for site-specific fertiliser recommendation was developed as an output of the collaborative project (with ICRI Spices Board, Rubber Board and Digital University of Kerala) entitled 'Integrating GIS based soil fertility assessment of cardamom tract and app-based fertiliser recommendation for climate resilient cardamom cultivation'. On a pilot basis, the fertiliser recommendation will be available for the spice growers in ten villages in Idukki district. A webpage entitled 'Cardamom SiS' was hosted in Spices Board website depicting soil information system of Kanthipara village.

2. Soil advisory service and fertiliser recommendation

A total of 1,502 soil samples were tested covering 18,024 nutrient parameters and rendered advisory services through soil test reports and recommendations reaching 554 spice farmers in South India.

Thirteen M.Sc. (Food Science and Technology/Bio chemistry) students from Tamil Nadu, Kerala and Karnataka states were guided for doing project works on

post-harvest and value addition of spices in Agronomy and Soil Science division of ICRI.

b) Large Cardamom

Concluded the study on nutrient evaluation of soil and leaf samples from highly productive and disease affected Large Cardamom plantations. The study revealed that soil pH plays a significant role in Large Cardamom productivity, however, soil organic carbon had no influence in production. All major and minor nutrients found to be low in diseased and low productive plantation compared to high productive plantation. Initiated a new experiment "Production potential of Large Cardamom under diverse organic management practices" in two diverse conditions viz., Regional Research Station Hill Zone, Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya (UBKV), Kalimpong and Kabi Research Farm. Preliminary soil sample analysis before imposition of treatment revealed that the soil nutrient status is far superior in Uttar Banga Krishi Vishwavidyalaya (UBKV), Kalimpong compared to Kabi Research Farm in terms of pH and available nutrients.

D. Plant Pathology

a) Small Cardamom

A study was undertaken for the evaluation of bio-efficacy and phytotoxicity of Fluopicolide 4.44 % + Fosetyl-al 66.67 % wg (profler) against Azhukal disease (capsule rot) (*Phytophthora* spp.) and rhizome rot disease in Small Cardamom. The results showed that the incidence of rot diseases such as rhizome rot and capsule rot were reduced in the plot treated with fungicides compared to control. However, the plot applied with Fluopicolide 4.44 % + Fosetyl-Al 66.67 % WG (Profler) at the rate of 2500 g/ha was found most effective followed by Fluopicolide 4.44 % + Fosetyl-Al 66.67 % WG (Profler) at the rate of 2250 g/ha in controlling rhizome rot and Azhukal disease (capsule rot) in Small Cardamom in comparison to existing recommended fungicide Fosetyl Al 80 % WP at the rate of 3000 g/ha.



b) Large Cardamom

Surveys revealed that the incidence of diseases like blight, leaf streak and leaf rust were high during April to September whereas wilt/dry rot was high during October-June. A new terminology 'White Furled Leaf' (WFL) was coined to describe a disorder where appearance of whitish folded terminal leaves and subsequent growth retardation of Large Cardamom tillers occurs. Studies on white furled leaf indicated that the application of agricultural lime in soil (at the rate of 100g/plant) followed by foliar application of nutrients (5g/litre) at fortnightly intervals can rectify the problem. The documentation of dry rot and rust diseases were done. Isolation of *Trichoderma* and *Pseudomonas* (11 nos) from native soils were done. Studies on germination of bio-primed seeds were initiated in polyhouse and open conditions. The germination was earlier by 47 days in polyhouse condition and bio-priming with *Azotobacter*+ Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) combination resulted in highest germination followed by bio-priming with yeast.

E. Entomology

a) Small Cardamom

The final report on the external funded research project on "Evaluation of Rallis insecticide, Hunk (Acephate 95% SG) on major insect pests viz., thrips and borer in Small Cardamom" was submitted to the Central Insecticide Board and Registration Committee (CIB&RC) through M/s Rallis India Limited for label expansion of Acephate 95% SG in Small Cardamom. Survey for major pests and natural enemies in Small Cardamom in Kerala and Tamil Nadu revealed that there is no incidence of invasive alien pests viz., chilli invasive thrips and thrips *parvispinus* (Karny) in cardamom ecosystem. Field evaluation of bio-efficacy of newer molecules viz., Spinetoram, Spirotetramat, Flupyradifurone, Afdopyropen and Chlorantranilipriole revealed that different doses of Spinetoram was effective against thrips and shoot, capsule and panicle borer pest of Small Cardamom (50- 60 % reduction).

b) Large Cardamom

Pest surveillance in roving and fixed plots was carried out in major Large Cardamom growing

tracts of Sikkim, Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal, Arunachal Pradesh and Meghalaya. However, no major incidence of insect pest was recorded during the period except capsule borer (up to 33.90%). A study on the role of biotic and abiotic pollinators on capsule setting in Large Cardamom was initiated. Preliminary observations revealed no significant difference between abiotic (rainfall) and biotic pollinators on capsule setting. However, good capsule setting happened when both the factors i.e., rainfall (abiotic) and pollinators (biotic) occurred together. Identification and life cycle study of emerging major pest capsule borer of Large Cardamom revealed that it is a butterfly (*Jamides alecto ageladas*; common name -Metallic Caerulean). Study on insect pest tolerant lines in Large Cardamom showed varied infestation levels among the cultivars/variety. No specific trend obtained so far and further biochemical studies are needed for conclusion.

F. Transfer of Technology

a) Small Cardamom

1. Short term training programmes

Four exposure visits were organised by ICRI for the students of various institutes and a total of 167 students attended in these programmes.

2. Bio-agent production

ICRI produced and supplied liquid formulation of *Pseudomonas fluorescens* 1,575 litres and *Trichoderma harzianum* 2,101 litres to the farmers for management of rot disease in cardamom. Mass multiplied and supplied 20,590 EPN Cadavers for the sustainable management of root grub in Small Cardamom. Successful bio-management of cardamom root grubs by the application of native strains of EPN ICRI-18 (*Heterorhabditis indica*) was achieved. *Trichoderma harzianum* (Liquid) 291 litres, *Trichoderma harzianum* (coffee husk) 372 kg and *Pseudomonas fluorescence* (Liquid) 381 litres were supplied from ICRI Regional Research Station, Sakleshpur.



3. Webinars and Spice Clinics

One webinar on soil test-based fertiliser application was conducted by Indian Cardamom Research Institute, Myladumpara in which 26 farmers benefitted. Twenty Mobile Spice Clinic Programmes were conducted by ICRI, Myladumpara and 263 farmers benefitted from these programmes through diagnostic field visits and farm advisory services. The spice clinic covered about 500 ha area of cardamom in Tamil Nadu and Kerala. Five spice clinics were organized in Karnataka to address the problems of spice crops in Karnataka region.

During the period 2022-23, ten Mobile Spice Clinics were conducted covering various aspects of good agricultural practices of Large Cardamom involving 252 farmers of six districts of Sikkim, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal.

4. Quality planting materials production

ICRI, Myladumpara produced quality planting materials of Black pepper rooted polybags (24,225) and Small Cardamom suckers (15,271) which were supplied to the spice farmers. Cardamom hybrid seedlings (1,342), Cardamom suckers (150) and Black pepper (rooted cuttings) (2,022) were supplied to the spice farmers from ICRI Regional Research Station, Sakleshpur, Karnataka.

The model nursery unit for spices existing in ICRI, Myladumpara got its accreditation renewed by the Directorate of Arecanut and Spices Development (DASD), Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India. The nursery presently running in the Institute has adopted modern technologies for raising quality planting materials including polyhouses, mist irrigation, etc.

5. MoU for Transfer of Technology on Large Cardamom

Spices Board (ICRI, Regional Research Station (RRS) Gangtok) entered in to

a MoU with the Herbal Research and Development Institute, Government of Uttarakhand for transfer of technology of Large Cardamom. As directed by the Ministry of Commerce and Industry, surveys were conducted and submitted a report on the status of Large Cardamom in Soreng district (Aspirational District) of Sikkim with recommendations on increasing cultivation of Large Cardamom in the district.

G. Externally Funded Projects

a) Small Cardamom

- Assessment of effect of polysulphate (dehydrite poly halite) on yield and quality parameters of Small Cardamom under Kerala and Karnataka regions. The project is being undertaken in collaboration with ICL Management and Trading India Pvt. Ltd., Gurugram, Haryana.
- Effect of micronutrients on growth and yield of Small Cardamom (AICRPS).
- Site-specific nutrient recommendation for varying yield target of cardamom (AICRPS).
- Evaluation of nano fertilisers' (Urea & DAP) response in Small Cardamom and its nutrient use efficiency.
- A project on setting up of a cardamom processing unit at Edamalakudy tribal settlement was approved for implementation by working group on District Level SC/ ST, Idukki.
- Established a state-of-the-art Quality Evaluation Laboratory for pesticide residue analysis at ICRI, Myladumpara with financial assistance of the State Horticulture Mission, Kerala (₹194 Lakhs).
- A project on "Evaluation of Spinetoram 12% SC w/v (11.70% w/w) against thrips and borer (shoot/panicle /capsule borer) in Small Cardamom" funded by M/s Dow AgroSciences India Private Limited (CORTEVA) was approved for implementation.



INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of Spices Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations were replaced with online systems which effectively reduced the workload of various departments of the Board and reduced the turnaround time for operations. Electronic Data Processing (EDP) department facilitates the use of information technology in various departments of the Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables the Board to perform more efficiently.

A. Main Activities of EDP Department

- a. Advising, guiding and assisting various departments and offices of the Board for effective use of information technology.
- b. Help desk management for existing applications, messaging solutions, internet and website maintenance.
- c. Administration of organization wide IT resources namely hardware, software, databases, networking and peripheral equipment.
- d. Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation.
- e. Upgradation of IT infrastructure.
- f. Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software.
- g. Data processing.
- h. Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users.

- i. Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application softwares.
- j. Maintenance and update of the Board's websites indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com and ccsch.in.
- k. Formulate and conduct computer training programmes.

B. Major Achievements during 2022-23

- Onboarded the Board's schemes to Service Plus.
- Implemented online Leave Management System, enabling employees to submit leave applications and track their status online. It simplified the leave approval process, reducing paperwork and improving efficiency.
- Enhanced the Export Support System (ESS) with mapping of mandatory tests. This automated the selection of appropriate mandatory test parameters for spice consignments based on destination countries.
- Successfully deployed a new Financial Accounting System and deployed on a cloud server approved by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), ensuring data security and compliance.



12

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) was enacted by the Parliament and the assent of the President was obtained on 15th June, 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act and can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees, except certain information as notified under Section 8 of the Act.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board designated the Deputy Director (Audit & Vigilance) as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. An Assistant Co-ordinating Central Public Information Officer in Head Office was also nominated. Seven Central Public Information Officers (CPIOs) in Head Office and one Central Public Information Officer (CPIO) in the Research Station at Myladumpara, Idukki were designated under Section 5(2) of the Right to Information Act,

2005 to disseminate information under Right to Information Act, 2005. The Director (Research) is nominated as Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and the Deputy Director (A&V), Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure Guidelines of the RTI Act, 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed suo moto in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2022-23, a total of 74 RTI applications (through physical and the online portal) and 15 appeals were received under the RTI Act and information was disseminated to all the cases within the stipulated time. One Central Information Commission (CIC) hearing was held during this period. An amount of ₹ 140/- was received as RTI registration fee. The Quarterly RTI Returns (1st quarter to 4th quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.



Way Forward

India is the leading producer, consumer and exporter of spices and spice products in the world. The Indian spice sector has emerged as a trusted supplier of a wide range of spices and value-added spice products globally and currently exports over 225 unique products to more than 180 countries. Activities focussing on Export Promotion and Quality Management of spices for export are undertaken by Spices Board through its office network, Spices Parks, and Quality Evaluation Laboratories, besides through collaborative initiatives with various international and national agencies. The interventions of Spices Board have propelled spices exports from US\$ 229.90 million in 1987 to US\$ 3.96 billion in 2022-23. Further, between 2013-14 and 2022-23, the exports registered a CAGR of 6.2 per cent in volume, 9.76 per cent in value INR, and 6.37 per cent in value USD.

Despite the steady progress in the export of spices and spice products, it is noteworthy that the share of value-added products in India's spice export basket has remained at around 50 per cent in the last few years. Further, there is an increasing price competition from low-cost economies, particularly from the ASEAN and SAFTA regions, who are major producers of spices. It is learnt that, some of the countries in the NEA and ASEAN regions, which source spices in whole form from India have developed state-of-the-art systems for processing and value addition and further supplying to the developed countries, thereby fetching better value realization. Hence, the way forward for the Indian spice industry to sustain its global leadership is to focus more on value addition and to increase the share of value-added spice products in the export basket.

The immunity boosting properties of spices which are known for decades need to be scientifically established to effectively tap the increased global demand for health foods, nutraceuticals, etc., which has spiked after the pandemic situation. Also, the Indian spice industry shall continue its focus on quality and safety aspects so as to ensure compliance of the export consignments from India with the quality and safety standards of the importing countries, thereby building a brand image for Indian spices that is synonymous with quality and safety.

Against the backdrop of the vast potential for further expansion and promotion, the Indian spice sector is targeting exports worth US\$10 billion by 2030 from the current level of US\$ 4 billion. This requires rigorous efforts to make India a 'Global Spices Processing Hub' focussing on value-added spices, seasonings and extracts for institutional, nutraceutical, retail and food service segments to achieve the set target. The major product categories that hold the potential for further growth are single spices and spice powders, spice blends, curry powder and seasonings, condiments, pastes, chutneys, sauces, spice oils and oleoresins, menthol and essential oil, and spice extracts. Attention is also needed on production of an exportable surplus to match the international requirements, promotion of digitization, technology enablement in the value chain, increased focus on value-addition, promotion of innovation, and targeted branding and marketing, to transform the Indian spice industry and to derive better socio-economic returns across the value chain.



Spices Board has been supporting the industry to move ahead towards achieving the vision of becoming the global processing hub and premier supplier of clean, safe, and value-added spices and spice products to the global markets. A set of well-advised programmes have been envisaged to support the industry to achieve its vision and target. The key areas for future intervention are:

- Strengthening the manufacturing capacity of the Indian spice sector for higher end value addition in spices.
- Upskilling the Indian spice industry to reap the benefits from the Global Value Chains in the spices sector, leading to economic growth and employment opportunities. This may also help integrate the expertise of lead firms and other stakeholders, in addition to percolation of technology and innovations for faster growth and better performance.
- Promoting development of new products and applications from spices, diversification, and customization, aligned with the changing consumer preferences and requirements of the global spice sector.
- Undertaking studies on the potential markets for export promotion of spices, new spice products, as well as on strategies to strengthen the presence in the existing markets.
- Designing and implementing quality assurance programmes to assess the quality and safety aspects of export consignments for compliance with the applicable standards based on scientific evidence.
- Undertaking focused efforts for post-harvest management of spices, with a view to enhance production of an exportable surplus of quality spices and value-added spice products.
- Implementation of programmes designed for supporting the niche segments such as the spices of North Eastern Region, GI spices, and spice varieties rich in intrinsic parameters with a view to facilitate import substitution.
- Strengthening and streamlining of Trade Promotion Initiatives to build and nurture market linkages, promotion of GI tagged spices, etc., on a global scale.
- Carrying out applied research interventions to provide multi-dimensional support to the spices sector, with regard to the emerging aspects such as bio-prospecting, climate resilient practices, and other advanced interventions.
- Undertaking capacity building initiatives for the stakeholders of the spices sector on various emerging requirements which will help in information exchange and knowledge transfer thereby contributing to the overall development of Indian spices sector and export promotion of spices of India.
- Promoting technological interventions in the Indian Spices sector to be abreast with global technological advancements, and to continue improving trading efficiencies in the sector. This includes supporting technological innovations through incubation centres, digitization, etc., to accelerate the process of transformation in the Indian spice industry. In addition, use of technology-based tools/platforms to connect spice growers and exporters needs to be tapped to facilitate traceability enabled direct sourcing for exports.

The unique comparative advantages of diverse agro-climatic conditions that are conducive for production of a wide range of spices, availability of diverse varieties and cultivars, large domestic market and time-tested traditions and expertise in production, processing and value-addition have been favouring the Indian spice sector to retain its apex position in the global trade of spices for centuries. These comparative advantages strengthened with strong export led global value chains, high-end value addition, innovation and customization supported by technological enhancements will further leverage India to cater to the global requirements in spices, thereby strengthening its position as the global hub for an array of quality spices and spice products. ■



Appendix-1

Reply for the Separate Audit Report of Annual Accounts of the Spices Board for the year ended 31st March 2023.

	Paras in Separate Audit Report	Reply/Action Proposed
A	Balance Sheet as at 31.03.2023	
1	Liabilities	
1.1	<p>Earmarked/Endowment Funds (Schedule 3): Rs. 311.18 crore.</p> <p>Board accounted depreciation amounting to ` Rs. 17.32 crore on fixed assets acquired from earmarked/ endowment funds as Board's expenditure in Income & Expenditure account instead of charging same in Earmarked/ Endowment Funds. Similarly, expenses for the current year amounting to Rs.11.56 crore incurred for the upkeep and maintenance of Quality Evaluation Labs and Spices Park were accounted in Income & Expenditure Account instead of charging the same in Earmarked/ Endowment Funds.</p> <p>This resulted in overstatement of Board's deficit for the year and earmarked/ endowment funds by Rs.28.88 crore (17.32 crore + 11.56 crore).</p> <p>This issue was highlighted in Separate Audit Report for the year 2021-22, however, no corrective actions were taken by the Board.</p>	<p>Since the assets procured from the endowment have a long lifespan, providing depreciation on these assets cannot be accounted for within this fund, as there is a risk of creating a negative balance in the respective fund.</p>
2	Assets	
2.1	Current Assets, Loans, Advances etc. (Schedule 11): Rs.253.69crore	
a	<p>Board accounted interest free loan of Rs.1.95 crore under the Brand Promotion Scheme as revenue expenditure instead of loan disbursed to exporters. This resulted in understatement of Others- Brand Promotion Loan Scheme and overstatement of Board's deficit by Rs.1.95 crore.</p>	<p>The implementation of the approved EFC Scheme, Brand Promotion under Export development is being processed in the same manner. It includes specific provisions under this category in the annual budget. However, the refund of the loan has not yet been initiated. The necessary accounting treatment will be undertaken once the loan refund process begins.</p>
b	<p>Board accounted receivables of Rs.0.83 crore as negative balance in current liabilities. This resulted in understatement of current liabilities and current assets by Rs.0.83 crore.</p>	<p>The financial statement includes the opening balance of current liabilities from the previous year and the current year's expenditure under the same head. However, the audit has only highlighted the expenditure of the current financial year, resulting in a negative balance being shown.</p>



c	<p>Government of Gujarat allotted (2010) land admeasuring 67.35 hectares at Mehsana to Spices Board for establishing a Spices Park for an amount of Rs.4.78 crore. The Board capitalized (2015) Rs.2.63 crore being the amount in respect of the land taken into possession (37 hectare) and the balance amount of Rs.2.16 crore was shown as advances under Current Assets, Loans, advances, etc. Later, the Board surrendered the land taken into possession and requested (2016) for refund of the amount from Government of Gujarat as the Spices Park project was cancelled. As such the land capitalized for the value of Rs.2.63 crore should have been reversed. The total amount of Rs.4.78 crore paid for the land should have been shown as receivable (Sundry debtors) under Current Assets.</p> <p>This resulted in overstatement of Fixed Assets and Advance by Rs.2.63 crore and Rs. 2.16 crore respectively and understatement of receivables (Sundry Debtors) under current assets by Rs. 4.78 crore.</p>	<p>The matter has already been taken up with the Gujarat State Government for the refund of the amount, with frequent follow-up on the same. Once it is received from the Gujarat Government, it will be informed to the Audit.</p>
d	<p>Accounting of term deposit of Rs. 0.04 crore being the interest earned from employee contributions towards NPS for the period 2004-2010 as Board's income instead of accounting of the same as payable to Pension Fund Regulatory Development Authority resulted in overstatement of Income and understatement of liability by Rs. 0.04 crore.</p>	<p>Though the NPS Scheme came into effect on 01/04/2004, the Board enrolled in PFRDA only during 2011. This amount represents the interest accumulations for the employer and employee contributions for those employees who have been recruited for the period from 2004-2011. Since there is no provision in PFRDA to upload this interest alone without equivalent employer contribution, the Board shall adjust this amount with the employer contribution during the current financial year, thereby keeping this balance as nil.</p>
e	<p>Current Assets includes Rs.4.42 crore of advances which were being carried out for last five years. A provision in accounts should be made for the same since probability of recovery of this amount was remote considering the time and absence of records.</p>	<p>The observation of the audit is noted. Efforts will be undertaken to locate the details of pending advances for settlement and to determine whether adjustment bills were incorrectly allocated to other categories. If resolution is not achievable, the Board will initiate actions for write-off.</p>
B	General	
1	Notes to Accounts (Schedule 67)	
a	<p>The Board has included Rs.14.39 crore being the closing balance of General Provident Fund contributions of employees as on 31.03.2023 in its financial statements as Earmarked/Endowment Funds (Liability-Schedule 3) and as short-term investment (Assets - Schedule 9). General Provident Fund does not pertain to the Board, the same needs to be disclosed appropriately in Schedule 67- Notes to accounts.</p>	<p>The audit observation is noted. Proper disclosure of the treatment of GPF (General Provident Fund) account shall be made in the Notes to the financial statements, as a part of the informative section of the accounts.</p>
b	<p>As per Note No. 3-Earmarked Fund for Spices Board Employees' Pension Fund, the Board transferred an amount of Rs.10.00 crore to the Earmarked Funds- Pension Liabilities from income received from Analytical Charges. Similar amounts have been transferred during previous years also. The total amount in the Fixed Deposits invested out of Pension Fund was Rs.115.28 crore as on 31 March 2023. However, the annual pension liabilities of the Board are not met from the Earmarked Fund created for the purpose and the same is expensed from the general Grants-in aid received during the year from Government of India.</p> <p>This issue was highlighted in Separate Audit Report for the year 2021-22 also.</p>	<p>The Board has conducted Actuarial valuation of Board's Pensioner Liabilities as on 31.03.2021. As per the Actuarial valuation report, the Board's liability comes to Rs.319.07 crores. The balance available in the Board's pension fund as on 31.03.2023 is Rs.115.28 crore only and same may not be sufficient to meet the pension liabilities of the Board.</p>



Annual Report 2022-23



c	<p>Note No 7 does not include an amount of Rs.9.77 crores arisen due to an arbitration case with Civcon Construction Private Ltd pending in Calcutta High Court with respect to construction of Quality Evaluation Lab at Kolkata.</p>	<p>The work order given to Civcon Construction Private Limited for the construction of Quality Evaluation Lab (QEL) Kolkata was valued at Rs.5.57 Crore. So far, work completed amounts to Rs.4.84 crore, and corresponding bills have been settled accordingly. Additionally, a payment of Rs.8 lakh was also made to the company on the basis of their running account, making the total amount paid to them Rs.4.92 crores.</p> <p>As of now, there is an outstanding balance of Rs.65 lakhs for the remaining work to be completed. However, it is essential to note that the Board's liability of Rs.65 lakhs will only be applicable if the contractor completes the work within the prescribed time and adheres to the contract conditions.</p> <p>Considering the above facts, the claim made by the contractor for Rs. 9.77 crores is not justifiable. Therefore, based on the information provided, it is not reasonable to consider a contingent liability for the huge amount demanded by the contractor.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Annexure- I

a	<p>Adequacy of Internal Audit System</p> <p>The Internal Audit Department conducted audit of only 2 offices during 2022-23 out of 83 Branch offices of the Board. Internal Audit of Head Office was not conducted during 2022-23.</p>	<p>Reply: In response to observation raised, we would like to provide a detailed justification for the perceived inadequacies, taking into consideration the following key points:</p> <p>Branch Offices Classification:</p> <p>While it is true that in Spices Board there are 81 Branch Offices in total, it is essential to note that out of these, 19 offices are classified as Regional Offices (ROs), and 8 offices are Quality Evaluation Labs (QELs). These 27 major offices have been given significant attention in the Internal Audit by IPAI, due to their size and impact on operations.</p> <p>We have already audited 20 out of these 27 major offices as part of our Internal Audit Process, and the remaining 7 major offices will be completed by the end of the current month. This ensures comprehensive scrutiny of the majority of significant offices.</p> <p>Coverage of Subordinate Offices:</p> <p>During the audit of Regional Offices (ROs), it is important to highlight that the transactions of subordinate offices (DO, FO and Farms) are also audited as they submit their bills for recouping to ROs. This process ensures that the transactions of subordinate offices are also subjected to Internal Audit, indirectly encompassing all offices.</p> <p>Coverage of Divisional Offices, Field Offices, and Farms:</p> <p>It is pertinent to understand that apart from the major Regional Offices and QELs, the remaining offices are Divisional Offices (DOs), Field Offices (FOs), and Farms. These offices typically deal with routine and minimal transactions, such as electricity, telephone, and sweeper payments, with imprest amounts usually around Rs.5000/-.</p> <p>Given the nature of these transactions and the minimal amounts involved, the frequency of Internal Audit for these offices is streamlined in ROs audit to ensure effective resource allocation and avoid unnecessary burden to the Board. Else visiting and auditing these small offices would involve travelling, accommodation and audit fees which would be highly wastage of taxpayer's money to audit. The total expenses involved to audit these offices would be more than the total transaction expenses of offices, also the point to be considered is that the offices are in remote location and many are manned by only one officer.</p> <p>Pre-Audit of Payments:</p> <p>We would like to emphasize that all files for payments exceeding `2 lakhs undergo pre-audit by the Deputy Director (Audit and Vigilance). This process provides an additional layer of scrutiny and reinforces the internal control mechanism.</p> <p>Involvement of Audit Section in Purchase Committee:</p> <p>The Audit Section's involvement in the Purchase Committee further enhances the oversight on procurement activities, ensuring compliance with established financial procedures and regulations.</p> <p>Reconciliation and Reporting Mechanisms:</p> <p>To strengthen internal controls, all offices diligently send reconciliation statements, vehicle usage reports, and monthly progress reports of outstation offices to the Audit Section. This practice enables regular reviews by the concerned Directors, thereby promoting transparency and accountability. Moreover, with the new accounting software all the transactions can be audited by HO hence auditing of outstation offices would be irrelevant.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Annual Report 2022-23



		<p>In conclusion, we believe that the audit observation suggesting inadequate internal controls is not entirely accurate. Our Internal Audit System has been designed and implemented with due consideration to the size, complexity, economics, nature of various offices within our Board. We remain committed to improving our processes continuously, and audit feedback during the accounts and performance audit has been instrumental in shaping our enhancement initiatives. Hence, the statement that the Internal Audit System was not adequate and not commensurate with the size of the organisation is not true. Organization's offices may be more but office is small and having very little financial freedom, all are connected to HO through ROs and it's a semi centralized set up and connected through technology by way of e-office and accounting system. Processing of farmers' subsidy is through technology-based solution which is monitored by HO, processing of Export registration is centralized and issued by HO. Considering all these parameters inadequate internal control for subordinate office is not correct.</p> <p>However, the Board assure that all the offices, including the major Regional Offices and QELs, would have completed the Internal Audit exercise by the end of this month. The Board will continue to implement measures to ensure utmost efficiency and effectiveness of the Internal Audit System.</p>
b	<p>Adequacy of Internal Control</p> <p>The Board did not enter into a Memorandum of Understanding with the Administrative Ministry as per Rule 229(xi) of General Financial Rules, 2017.</p>	<p>The observation of the audit is noted. Since there is every chance for difference in release of funds and Grand in Aid communicated by Ministry, there is a practical difficulty in executing MOU. The fund earmarked under various heads in the annual budget may vary with actual expenditure due to this difference. During the last 5 years the release to the Board was less than the administrative approval communicated by the Ministry.</p>
c	<p>System of physical verification of fixed assets and Inventory</p> <p>The Board carried out annual physical verification of fixed assets and inventory in 16 out of 83 units under its jurisdiction during the year 2022-23. Physical verification of fixed assets and inventory of Head Office was not conducted during 2022-23</p>	<p>The audit observation is well noted. Necessary steps will be taken to complete the physical verification process at the earliest.</p>
d	<p>Regularity in payment of statutory dues</p> <p>The Board was yet to pay Rs. 3.61lakh to Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) being the interest earned from employee contributions towards NPS for the period 2004-2010.</p>	<p>Though the NPS Scheme came into effect on 01/04/2004, the Board enrolled in PFRDA only during 2011. This amount represents the interest accumulations for the employer and employee contributions for those employees who have been recruited for the period from 2004-2011. Since there is no provision in PFRDA to upload this interest alone without equivalent employer contribution, the Board shall adjust this amount with the employer contribution during the current financial year, thereby keeping this balance as nil.</p>



Promoting Heritage, Hygiene & Health



Spices  India
FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489